स्मारिका
SOUVENIR

राष्ट्रीय संगोष्ठी

06-07 अक्टूबर, 2018

भारत में सामाजिक भेदभाव : स्वरूप, कारण एवं निवारण

(Social Discrimination in india : Nature, Causes and Prevention)

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ।।

आइए हम सब लोग भावनात्मक रुप से साथ-साथ चलें, साथ-साथ बोलें, साथ-साथ मन को समझें !
जिस प्रकार हमारे पूर्व देवगण समवेत स्वर में परमात्मा की उपासना करते थे !!

ऋगवेद 10.191.4

आयोजक

शिक्षा विभाग एवं समाजशास्त्र विभाग

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आयोजन समिति

संरक्षक

डॉ. बंश गोपाल सिंह

कुलपति

सहसंरक्षक

डॉ. राजकुमार सचदेव

कुलसचिव

संयोजक

डॉ. बीना सिंह

विभागाध्यक्ष : शिक्षा विभाग

संयुक्त संयोजक

श्री संजीव कुमार लवानियाँ

विभागाध्यक्ष : समाजशास्त्र-समाजकार्य विभाग

आयोजन सचिव

डॉ. अनिता सिंह

सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग

समिति के सदस्य

डॉ. बी.एल. गोयल	डॉ. प्रकृति जेम्स
डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति	डॉ. रुचि त्रिपाठी
डॉ. प्रीतीरानी मिश्रा	श्री रेशमलाल प्रधान
डॉ एस. रूपेन्द्र राव	डॉ पुष्कर दुबे
डॉ. गौरी शर्मा	डॉ. दीपक पाण्डेय
डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी	डॉ. तनुजा बिरथरे
डॉ. अनुपमा कुमारी	डॉ. सुषमा सोलंकी
डॉ. बालक राम चौकसे	श्री फुलेश्वर वर्मा
कु. शारदा पटेल	कु. नेहा अंचल

शुभकामना संदेश

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
PT. SUNDARLAL SHARMA (OPEN) UNIVERSITY CHHATTISGARH

डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति

Dr. Bansh Gopal Singh
Vice-Chancellor

क्र. ...503../कु.स./18 बिलासपुर दिनांक 03/10/2018

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे विश्वविद्यालय में "भारत में सामाजिक भेदभावः स्वरूप, कारण एवं निवारण" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी दिनाँक 06–07 अक्टूबर, 2018 को आयोजित की जा रही है। वर्तमान परिस्थिति में इस विषय पर विचार–विमर्श आवश्यक हो गया है। जाति, लिंग, वर्ग ,संप्रदाय, धर्म, प्रजातीय, क्षेत्रीय, भाषायी, इत्यादि आधारों पर व्याप्त सामाजिक भेदभाव समाज के आपसी भाईचारे एवं सदभाव को चोट पहुँचाते हुए, मॉब लिंचिग जैसी समस्याओं के रूप में परिणित हो रहा है, जो कि देश की एकता एवं अखण्डता के लिए गंभीर चुनौती है।

मुझे पूरा विश्वास है कि इस दो दिवसीय राष्ट्रीय–संगोष्ठी में सामाजिक भेदभाव को दूर कर सामाजिक समरसता के लिए विभिन्न मतों, विचारों एवं आवश्यक बिंदुओं पर विचार–विमर्श करते हुए समाधान हेतु उपायों पर विचार मंथन होगा।

आमंत्रित विशेषज्ञों, आयोजकों और प्रतिभागियों को अग्रिम शुभकामनाएँ।

BG 3.10

डॉ. बंश गोपाल सिंह

पता - कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009 फोन नं. (07752 240701, 240711) निवास (07752 424329)
मोबाइल नं. : +91 96699 07206
Website : www.pssou.ac.in, Email : vc@pssou.ac.in

शुभकामना संदेश

Prof. G.D. Sharma
Vice-Chancellor
BILASPUR UNIVERSITY
Bilaspur (C.G.) 495001
Former Vice-Chancellor, Nagaland University &
Former Pro-Vice-Chancellor, Assam University (Central)

प्रो. जी. डी. शर्मा
कुलपति
बिलासपुर विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.) 495001
पूर्व कुलपति, नागालैण्ड विश्वविद्यालय एवं
सह-कुलपति असम विश्वविद्यालय (केन्द्रीय)

कमांक 1947/नि.स./2018 बिलासपुर, दिनांक 25/9/2018

संदेश

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर शहर में स्थित ''पण्डित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ.ग.'' द्वारा विषय ''भारत एवं सामाजिक भेदभावः स्वरूप, कारण एवं निवारण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन एवं शोध संक्षेपिका का प्रकाशन किया जा रहा है जो कि अत्यन्त सराहनीय है।

मैं मुक्त विश्वविद्यालय के अध्यापकगण द्वारा किये जा रहे प्रयास की हृदय से सराहना करता हूँ । आज के आधुनिक परिवेश में भी धर्म से लेकर बोलचाल तक भाषा से लेकर पहनावा तक, जातिगत भेदभाव, अमीर-गरीब, ऊँच-नीच, श्वेत-अश्वेत आदि सभी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से भेद-भाव को महसूस किया जा सकता है। जिसका कारण ढूंढ कर निदान करना स्वस्थ्य समाज की अस्मिता के लिये अतयन्त ही आवश्यक है।

मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में प्रकाशित होने वाली संक्षेपिका के माध्यम से सामाजिक भेदभाव संबंधित भ्रांतियाँ दूर करने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी।

दो दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी पर आधारित शोध संक्षेपिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से विश्वविद्यालय एवं आयोजक समिति को हार्दिक शुभकामनायें एवं बधाई .....

G.D. Sharma

(प्रो. जी. डी. शर्मा)
कुलपति

Address : Gandhi Chowk, Bilaspur (Chhattisgarh) 495001,
Telifax + 91- 7752-220007 (O), +91-7752-220007, Mob. : +91-9406218401, 09435500660
E-mail : gduttasharma@yahoo.co.in, bilaspur.university2012@gmail.com, Website : bilaspuruniversity.ac.in

शुभकामना संदेश

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी, बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009
दूरभाष (07752) 240702, 240712

डॉ. राजकुमार सचदेव
कुलसचिव

Dr. Raj Kumar Sachdeo
Registrar

सामाजिक सद्भाव के संदेशवाहक कालजयी व्यक्तित्व कबीरदास और अन्य श्रेष्ठ महापुरूषों के देश में मनुष्यों की संख्या बुरी तरह घटी है और अपनी भाषा, क्षेत्र, जाति पंथ, संप्रदाय, धर्म, को आधार मानकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की भावना तेजी से बढ़ी है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के दूसरे सबसे अधिक मानव शक्ति वाला देश होने पर भी हम निरंतर कमजोर और असहाय दिखते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम आज भी ठीक से मनुष्य नहीं बन पाये हैं। आज भी कुछ देश विरोधी शक्तियॉं सवॉं सौ करोड़ जनसंख्या को विभाजित करने के दुष्चक्र में लगी हैं। भारतीय जितने बटेंगें उतने कमजोर होंगे इस दुष्चक्र के वातावरण को असफल करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है।

मानव मानव एक समान का भाव विस्तारित हो, मॉं भारती के पुत्र होने के कारण हम सब भाई हैं, इस विचार एवं उद्देश्य के साथ आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी की सफलता हेतु शुभकामनाऍं।

Rkscachdeo

डॉ. राजकुमार सचदेव
कुलसचिव
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर छ.ग.

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी, बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009
दूरभाष (07752) 240715

संयोजक के कलम से.....

वि.वि परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। यह दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शिक्षा विभाग एवं समाजशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है, आज इस प्रस्तावना का प्रारंभ आचार्य श्रीराम शर्मा के इस कथन से करते है कि "विवेक को परंपराओं के ऊपर प्रधानता देनी चाहिए" और संगोष्ठी का आयोजन भी विवेक जागरण का एक सशक्त माध्यम है। चर्चा, परिचर्चा, संवाद यह सब हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है, चाहे विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा या तक्षशिला की बात हो, काशी में गंगा तट पर होने वाले शास्त्रार्थ हों या अद्धैतवाद को लेकर आदि शंकराचार्य संपूर्ण देश में भ्रमण करते समय बिहार में द्वैतवाद के प्रबल समर्थक मंडन मिश्र के साथ एक सप्ताह तक शास्त्रार्थ करते हों। यह वाद–संवाद का ही उदाहरण हैं, हमने विभिन्न प्रकार के मतान्तरों एवं समस्याओं का हल हमेशा आपसी संवाद एवं परिचर्चा से निकाला है, इसी सोच के साथ इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है।

जहाँ तक इस संगोष्ठी के विषय के चुनाव की बात है," भारत में सामाजिक भेदभाव" विषय बेहद समीचीन है, क्योंकि आज जिस तरह देश में जाति–धर्म आदि के आधार पर भय एवं संदेह की जो स्थिति बनी है और इससे भी कहीं अधिक मॉब लिंचिग के रूप में जो हिंसा हो रही है, यह बहुत निराशापूर्ण है, आज भारतीय संस्कृति के मूल प्रतीकों को योजनाबद्ध तरीकों से धूमिल किया जा रहा है और गौरक्षा को पक्ष–विपक्ष ने राजनीति का अखाडा बना दिया है, कभी पूर्वोत्तर के लोगों के साथ उत्तर भारत में मारपीट होती है। माँ, बहनों और बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएँ चरम पर हैं। तो दिव्यांग असहाय स्थिति में हैं, संवेदनहीनता चरम पर है। वृद्धजन वृद्धाश्रमों में शरण लेने के लिए विवश हैं, आज भी दलित समाज के व्यक्ति को घुड़चढी से रोका जाता है, यह स्थिति शर्मनाक है। आज सामाजिक भेदभाव गाँव–शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ राजनीतिज्ञों या कुछ स्वार्थी लोगों ने तो अपने तुच्छ हितों को साधने के लिए मानव को गली–मुहल्लों तक बाँट दिया है।

आज इस संदर्भ में भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का स्मरण स्वतः ही होता है। उनको सिर्फ दलितों, शोषितों का मसीहा कहना उनके व्यक्तित्व को सीमित करने जैसा होगा।

हमें तो उनके द्वारा दिए गए मंत्र " शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो" के निहितार्थ ढूँढने होंगे, यह सब केवल बदले की भावना से नहीं है।

लेकिन अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोंण से इसे समझने की चेष्टा करते हैं तो पायेंगे कि भारत में विभिन्न जातियों ने अपनी मेहनत, संघर्ष शिक्षा–दीक्षा से जाति क्रम में अपनी उच्च स्थिति बनायी है।

हमें आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम का स्मरण हो रहा है उनका भारत के विकास में अमिट योगदान है आज भी वह प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्वतः ही सम्मान पाते हैं। वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे।

अभी हाल ही में जन–जन के नायक सर्वप्रिय पूर्व प्रधान मंत्री स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने इस संसार से विदायी ली है। यह संगोष्ठी उनके प्रति भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। बाजपेयी जी कहते थे – बाधाऐं आती हैं आयें, घिरें प्रलय की घोर घटाऐं कदम मिलाकर चलना होगा ।

जिन लोगों का दृष्टिकोण ऐसा है कि भारत में सब कुछ खराब था, या चल रहा है उन्हें स्वामी विवेकानंद जी से प्ररेणा लेनी चाहिए, जब स्वामी जी को सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने पाया कि चेतना के स्तर पर कोई भेद टिकता नहीं, जब शिकागो धर्म सम्मेलन में वे उद्घोष करते हैं "Who so ever comes to me through whatsoever the form, I reach to him" शायद धार्मिक सदभाव के लिए इससे बडा कोई चिन्तन नहीं हो सकता, यही सनातन भारतीय चिंतन है, जब वह भारत की दासता एवं दुर्दशा से विचलित थे तो उन्होंने एक ही बात कही " इस देश को खडा किया जा सकता है या सुरक्षित रखा जा सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत के सनातन आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा "। वह चाहते थे कि यह चिंतन हर भारतीय की बौद्धिक सोच का हिस्सा बने।

भारत में सामाजिक समरसता के इतिहास की बात करें तो मर्यादा पुरूषोत्तम राम –राज्य से बडा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, जब वह इस संसार से अंतिम विदायी लेते हुए सरयू नदी पर अपना शरीर छोड रहे थे, उस समय का दृश्य बड़ा ही मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी है, सभी अयोध्या के नागरिक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरूष, हर वर्ग के लोगों के नेत्र अश्रुपूरित थे और श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें भी अपने साथ ले चलो।

जो भी लोग इस समाज और देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, उन्हें श्री राम के चिन्तन के आधार को समझना होगा–एकोउहम बहुस्याम, एक में सब है और सब में एक है, एक अन्य श्लोक के अनुसार

परदारेषु, मातृवत, परद्रव्येषु लोष्ठवत।
आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पण्डित।।

इस संगोष्ठी में हम देश के विभिन्न विचारकों एवं सुधारकों के योगदान को भी समझेंगे, जैसे– स्वामी दयानंद का आर्य समाज, गाँधी जी का सर्वोदय, विनोबा भावे का भूदान, पं. दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय आदि।

आज भारत में नवोन्मेष ओर प्रौद्योगकी चरमोत्कर्ष की ओर है, साथ ही योग एवं अध्यात्म मानव के अतृप्त मन को स्वस्थ चिंतन से सिंचित कर रहा है। ऐसे समय पर हमें आशा है कि इस द्वि दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में सामाजिक भेदभाव जैसी चुनौती के विभिन्न पहलुओं एवं कारणों पर विचार मंथन होगा और निश्चित रूप से इस सारस्वत अनुष्ठान से समाधान रूपी रत्नों का उद्भव होगा जो आने वाले समय में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।

एक बार पुनः हमारे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का बहुत–बहुत अभिनंदन एवं बहुत–बहुत स्वागत ।

सधन्यवाद।

संयोजक

(संजीव कुमार लवानियाँ)
विभागाध्यक्ष- समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग

(डॉ. बीना सिंह)
विभागाध्यक्ष : शिक्षा विभाग

Identity crisis of International Students: Social Discrimination

Roli Tiwari
Assistant Professor
ITE, Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur (C.G.)

Prof. Bansh Gopal Singh
Vice- Chancellor
Pt. Sundarlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh, Bilaspur (C.G.)

Abstract

India has emerged as an educational hub in world scenario in recent past. Since Indian universities have opened their doors to international students, the numbers of international students have continued to grow. The present study was carried out to examine the stress level and effect on Mental Health of international students at an Indian University. The study also focused on/ point out the issues which was carried out by the international students that are identity crisis in a new culture which results social discrimination.

Data was collected from a focused group of five international students (three boys and two girls) for interaction of particular note of purposive sampling.

Using content analysis to the open ended comments on above issues, international students reported some more stressors and issues related to identity crisis such as cultural diversity, adjustment and psychological stressors. The findings were discussed in term of implications for international students.

Keywords : International students, Identity crisis, discrimination.

सामाजिक भेदभाव का स्वरूप

डॉ बीना सिंह
विभागाध्यक्ष शिक्षा
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

भारतीय समाज भेदभाव से इसलिए भरा हुआ है,क्योकि यहाँ हर प्रकार की विविधता है। धर्म और संप्रदाय के विविध रूप हैं, सबकि अपनी मान्यतायें एवं विश्वास है, जिसके कारण कई विभेद उभरते हैं, लैंगिक भेदभाव की गहरी खायी भारतीय समाज मे देखने को मिलती है, जातिवाद और ऊँच नीच की भावना भारतीय समाज में एक प्रश्न की तरह है जो हमारी एकता और अखंडता को चोट पहुँचा रहा है। क्षेत्रीयता ने भी हमारी एकता को प्रश्न में खड़ा किया है तथा भाषा का प्रश्न भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक बड़े प्रश्न के रूप में उभरा है। यह सारे सामाजिक मुद्दे पूरे देश के लिए अच्छे नहीं है। हम सभी यह जानते और मानते हैं कि भारत एक तभी रहेगा, जब जाति, धर्म संप्रदाय और भाषा के प्रश्न को समाप्त कर दिया जाए। लैंगिक असमानता दूर किये बिना कभी भी आधे आबादी के साथ

न्याय नही होगा और जनसंख्या का एक वर्ग असंतोष की अग्नि में जलता रहेगा तो कभी भी शान्ति नहीं रहेगी इसलिए दिनकर ने लिखा है – शांति नहीं तब तक, जब तक सुख भाग न नर का सम हो। नहीं किसी को अधिक नहीं किसी को कम हो।।

भारतीय समाज विविधता का समाज है उसे हमें भेद विहिन बनाने की जरूरत है यही समय की मॉग भी है और जरूरत भी।

सामाजिक भेदभाव एवं शिक्षा

डॉ अनिता सिंह
सहायक प्राध्यापक शिक्षा
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ गौरी शर्मा
सहायक प्राध्यापक शिक्षा
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

वर्तमान समय विभिन्न तरह के द्वद्वों से भरा हुआ है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति जहाँ एक ओर अभावो से भरा है वहीं दूसरी ओर व्यक्ति आत्मविश्वास से भी भरा है, और यही से शुरू होता है सामाजिक भेदभाव का सफर, बल्कि न केवल सामाजिक भेदभाव का साथ ही साथ आर्थिक भेदभाव, क्षेत्रीय भेदभाव, औधोगिक भेदभाव इत्यादि भी यही से पनपना शुरू हो जाते है, और यही भेदभाव फिर समाज में व्याप्त आपसी प्रेम, भाई–चारा, मानवता, नैतिकता जैसी भावनाओ को समाप्त करते है व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए समाज को जाति, धर्म में बांट रहा है, गरीब व्यक्ति गरीब ही बनकर रह गया है वह आर्थिक रूप से उपर नहीं उठ पा रहा है, जबकि अमीर व्यक्ति अपनी आर्थिक सीमाओ को बढाते जा रहे है, यदि वास्तव में हम सामाजिक भेदभाव जैसी भावनाओं से लड़ना चाहते है तो हमे शिक्षा का सहारा लेना होगा, शैक्षिक समानता ही हमारे वर्ग, जाति, धर्म, बंधन को तोड़कर समानता का भाव पैदा कर सकती है महिलाओं को उनका अधिकार दिला सकती है, शिक्षा हमे सोचना सिखाती है, हमारे कर्त्तव्यों व अधिकारो का बोध कराती है, हमे अपने हक के लिए लड़ना सिखाती है, और सभी सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय भेदभाव से उपर उठकर अपने को मुख्य धारा में जोड़ने मे सफल होती है, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति अपनी दक्षता,क्षमता के आधार पर प्रत्येक भेदभाव के बंधन को तोड़कर समाज में एक प्रतिष्ठित वर्ग के रूप मे जाना जाए।

सामाजिक भेदभाव एवं शिक्षा

डा. प्रकृति जेम्स
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग
पडिण्त सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि., छ.ग. बिलासपुर

भारत विश्व के सबसे तेज आर्थिक विकास वाले देशों में शामिल है किन्तु यहां व्याप्त सामाजिक भेदभाव विकास की रफ्तार को चुनौती देते नजर आते हैं। हम अपने देश की गरीबी को दूर करने मे सफल नही हो पा रहे हैं जिसका कारण है आर्थिक विकास को समान भाव से विस्तार नही किया जा

रहा है। गरीब व्यक्ति आर्थिक रुप से उपर उठने की बजाए और गरीब होता जा रहा है। हमारी सामाजिक चुनौतियां और बढ़ती जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान न दिये जाने के कारण गरीबी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, लैंगिक विषमता जैसी सामाजिक समस्यांए बढ़ती जा रही है। यह देश के विकास को आगे बढ़ने से रोक रहा है। यदि हम चीन से तुलना करे तो यह स्थिति विपरित है, चीन गरीबों की संख्या कम करने में कामयाब रहा है, रोजगार के पर्याप्त अवसर देने में सफल रहा है। यदि हम पिछले आकड़ों को देखें तो भारत में पिछले वर्ष अनगिनत शैक्षणिक संस्थाएं – विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खोले गये हैं किन्तु राजनैतिक दबाव और भ्रष्टाचार जैसे कारण शिक्षा को आगे बढ़ने नही दे रहे हैं; हमारे देश में आई.आई.टी., आई.आई.एम. जैसी संस्थाएं आज भारत के विकास के लिए आवश्यक और प्रशिक्षित इंजीनियर देने में सक्षम नही हो पा रही है। शिक्षा और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये भारत को सामाजिक भेदभाव की संकीर्णताओं से बाहर निकलकर सबके लिए समान अवसर तथा समान सोच की विचारधारा को अपनाने की आवश्यकता है जिससे कि भारत धर्म–आधारित देश न बनकर कर्म–आधारित देश के रुप में स्थापित हो सके जिसमें न कोई सामाजिक भेदभाव हो ना ही कोई धार्मिक भेदभाव हो।

सामाजिक भेदभाव के कारक तत्व : मनोसामाजिक दृष्टिकोण

डॉ. एस. रूपेन्द्र राव
विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. छत्तीसगढ़, बिलासपुर

शोध–सारांश

भारतीय सामाजिक परिस्थिती के निर्णायक तत्वों में सामाजिक संरचना विशेषकर यहॉ निवास करने वाले व्यक्तियों के समूहों एवं उनकी जीवन–शैली का विशेष महत्त्व है इस सामाजिक संरचना में जहॉ एक ओर विविधता की विशेषता दिखती है, वही दूसरी ओर सोच और चिंतन शैली की असमानता के कारण भेदभाव भी दृष्टिगोचर होते है, मनुष्य अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुआयामी प्रयत्न अपने दैनिदनी जीवन में करता है इस दौरान अनेक व्यक्तियों, समूहों, विचार शैली, मूल्य, चिंतनशैली से उसकी परस्पर अंतःक्रिया होती है इस दौरान सोच या विचारों में अंतर के बाद भी कार्य सुचारू रूप से होते है यह सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का एक विशेष गुण है। कभी–कभी विचारों में असमानता, चिंतन शैली में विकृति एवं वैमनस्य भेदभाव का कारण बन जाती है, मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि विशेष परिस्थिती में पालन–पोषण से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके अनुरूप होता है और उसका व्यवहार भी इससे प्रभावित होकर होता है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बहुत सी विशेषताओं के साथ भेदभाव जैसी सामाजिक कुरूतियॉ भी व्याप्त है, व्यक्ति विशेष को उसके धर्म, जाति, लिंग सम्प्रदाय, उपजाति, सामाजिक परिस्थिति एवं आर्थिक आधार के अनुसार अलग–अलग समझकर व्यवहार करना भेदभाव का कारण बनता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण एवं व्यवहार प्रर्दशन में मनोसामाजिक कारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति के विकास क्रम में जहा। स्वस्थ मानसिक शाररिक विकास का महत्व है वहीं सामानीकरण की प्रक्रिया मे बेहतर सामाजिक परिवेश का

भी अपना विशेष महत्व है, बुद्धि के विकास के साथ चिंतन और सोच मे व्यापकता, सभी के प्रति समान दृष्टिकोण, व्यवहार में सामजस्य और लोचता एक अच्छे व्यक्तित्व का सूचक है। मनोसामाजिक परिस्थितियां विशेष व्यवहार को करने के लिए बाध्य करती है। समूह सोच या समाजिकरण के दौरान समूह चितंन से प्रभावित होकर व्यवहार करना भी परिवेशगत परिस्थिती पर कभी–कभी निर्भर रहता है, व्यक्तिगत कसौटी पर विवेक एवं बुद्धि के आधार पर निर्णय लेना स्वस्थ व्यक्तित्व की अलग विशेषता है।

सामाजिक भेदभाव के मनोवैज्ञानिक सामाजिक एवं अन्य महत्वपूर्ण कारकों को ज्ञात करते हुए वैज्ञानिक रूप से उन्हे सामने लाकर इसके निराकरण के उपायों की समीक्षा करना प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है ।

संकेत शब्द :– सामाजिक भेदभाव, मनोसामाजिक कारक चितंन,व्यवहार आदि।

A Study on Role of Fiscal Measures for Economic Equality in India

Dr. Pushkar Dubey
Assistant Professor & Head
Department of Management
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
Chhattisgarh, Bilaspur

Dr. Deepak Pandey
Post Doctoral Fellow- ICSSR
Department of Psychology
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
Chhattisgarh, Bilaspur

Abstract
Countries across the globe are striving for economic equality. For any country social advancement is a sign of economic prosperity and prosperity is linked to economic development of a nation. All the prospering countries of the world are determined to achieve economic equality for overall economic development. Existence of gross inequalities is a social evil and no measure of economic growth will increase economic welfare unless an equitable distri-bution of the rising national product is assured. Instrument of taxation and certain types of govern-ment expenditure are used as a means of bringing about a redistribution of income in favour of the poorer sections of the society. It is worth noting that in a poor underdeveloped country the objective of equity can be achieved if fiscal policy seeks to reduce mass poverty and unemployment that prevails in it. It is essential to strike a balance between the two objectives of lessening economic inequalities and that of sustaining and strengthening incentives to invest and accelerating economic growth. The present article attempts to highlight the role of fiscal policy in bringing economic equality in the country. The outcome suggests the changing role of fiscal policy and use of tool in precision in achieving economic equality in the country.
Keywords: *Fiscal Policy, Economic development, Economic equality, Economic prosperity.*

Social Inclusion and Economic Equality in India

Reshamlal Pradhan
Assistant Professor & Head
Department of Computer Science
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
Chhattisgarh, Bilaspur

Dr. Mordhwaj Tripathi
Coordinator
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
Chhattisgarh, Bilaspur

Abstract

Rapid increase in economic growth has failed to achieve economic improvement in quality of life. The sole reason behind this economic inequality is non-income inequalities. Thus marginilization, lack of social support, and social protection are some of the prime reasons behind this in-equality. India is a populous county and constitutes of various class. Social inclusion is the process of improving the terms on which individuals and groups take part in society—improving the ability, opportunity, and dignity of those disadvantaged on the basis of their identity. Social inclusion empowers all members of society to take advantage of economic opportunities. The current article identifies four social inclusions adopted in independent India to bring in equality. First, recognising and nurturing cultural diversity, by the state not privileging the religion or language of the majority and by the state giving equal respect and opportunities to the religions and languages of the minorities. Second, by institutionalising political pluralism through a multi-party democracy and effective devolution of political power through real federalism and introducing a regime of nomination at macro and micro levels, wherever needed. Third, by abandoning centre-peripheral distinction. Four, by delegitimizing caste hierarchy.

Keywords: *Social inclusion, cultural diversity, political pluralism, caste hierarchy.*

Social Discrimination in India with Special Reference to Tibetan Refugees.

Sanjiv Kumar Lavania
Asstt. Professor & Head
Department Sociology & Social Work
Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur

India is the land of multi-colors, there is a long history of civilization of human society over more than 7000 years jurney. Indian society is one of the oldest races through the world. With the origin of the species, there is a division or hierarchy on the basis of different parameters and it creates a group. Similarly in human society on being based on different attributes (colors, sex, region, etc), there is a division among people, two types of division is found in the society, one is based on qualities gifted by Nature and other one is achieved by individuals. But, in modern society of India, it is very alarming and disgusting because this division has been turned into social discrimination and resulting into other form as Mob Lynching.Social discrimination in India must be understood in the context of Tibetan Refugees because they are also contributing in the development of India.
This paper aims to identify the socio-economic status of Tibetan Refugees and it also presents the social discrimination as faced by them in present context in India.

Key Words: Tibetan- refugees, Civilization, Alarming , Disgusting.

भारतीय लोकतंत्र एवं सामाजिक भेदभाव

डॉ. रुचि त्रिपाठी
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विष्वविद्यालय छत्तीसगढ,बिलासपुर

भारत, भाषायी, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विभिन्नताओं से परिपूर्ण विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनसहभागिता सर्वोपरि होती है। यह एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था का द्योतक है जहाँ पर विभिन्न धर्मों, जातियों एवं सम्प्रदायों के लोग देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु अपना जन–प्रतिनिधि चुनते हैं। मानव जीवन हेतु अपरिहार्य मूलभूत अधिकार जैसे समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रतायें, प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता आदि संविधान द्वारा संरक्षित की जाती हैं। परन्तु जब हम लोकतंत्र के संचालन में आने वाली बाधाओं अर्थात चुनौतियों की बात करते है तो स्पश्ट होता है कि जाति, सम्प्रदाय, धर्म एवं लिंग पर आधारित भेदभाव ने भारतीय लोकतंत्र के समक्ष व्यापक चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। भारत में जाति व्यवस्था की संकल्पना अत्यंत प्राचीन है। प्रारम्भ में जाति विभाजन कार्य पर आधारित था परन्तु धीरे–धीरे इस व्यवस्था में विकशति आने लगी तथा यह विभाजन जन्म आधारित हो गया। जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला। जैसा कि हम सब जानते है कि लैगिंक समानता लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धान्त है। भारतीय संविधान के द्वारा भी पुरूषों एवं महिलाओं को समान स्वीकार करने का निर्देश दिया गया है। इस संदर्भ को भारतीय संविधान में प्रदत मूल अधिकार, मूल कर्तव्य एवं राज्य के निति–निदेशक तत्वों संबंधी प्रावधानों से अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। परन्तु जाति, सम्प्रदाय, धर्म एवं लिंग पर आधारित भेदभाव ने भारतीय समाज में व्यापक असमानता की स्थिति को जन्म दिया है जिसके कारण समाज में सभी के लिये समान सामाजिक–आर्थिक सुविधाओं की व्यवस्था असम्भव हो जाती है और यह असमानता भारतीय लोकतंत्र की सफलता पर प्रश्नचिन्ह है।

Social Discrimination in India

Dr. Preeti Rani Mishra
Assistant Professor
Pt. Sundarlal Sharma (Open) University

Abstract:
Social Discrimination is the actual behavior of those who treat others differently depending on their social situation, to pigeon-hole someone socially, such that some benefits and resources do not reach to particular group or section of people thus another particular group benefits more and can have larger share of benefits. India has several discrimination problem as casteism, racism, gender discrimination, religious discrimination etc.

The main cause of these social problems is because of the mindset, as social discrimination is the product of mind. Social discrimination based on cast has become a major cause of concern for the country as several natures of the problems have arisen out of it such as – firstly it has caused dominance

of only higher class/ caste people in prestigious jobs or any kind of well paid jobs. Secondly serious nature of social discomfort as several sections of people has used reservations in jobs and education as an agenda for disturbing the peace and harmony of the country. Thirdly most of the opportunities are taken only by higher class. Fourthly low respect in the mind of people of higher class for lower class. Fifth, Inter-Caste marriage has become a hard choice. These social discriminations have also introduced several serious natures of national development, lower class people unable to take advantage of the government policies etc. India has so many deep rooted social issues which really needs to be tackled otherwise this type of behavior and discrimination with each other on the basis of religion, caste, region, etc. will destroy India as a Nation and we would end up in deep shame in front of world.

'अतीत के ज्ञान के बिना सामाजिक असमानता का समाधान संभव नहीं'

डॉ. एल.एस. गजपाल
एसोसिएट प्राध्यापक
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनषाला
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

जब कभी भी हम भारत के सांस्कृतिक विरासत की चर्चा करते हैं तो हम यह मानते है कि भारत का सांस्कृतिक विरासत गौरवशाली रही है, लेकिन उसी विरासत का एक पहलू ऐसी सामाजिक पक्ष से जुड़े है जिसमें भेदभाव और असमानता विद्यमान है। किसी भी समाज की पहचान उसकी संस्कशति से हाती है और संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है जिसे हम सामाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा आत्मसात करते हैं। एसे में अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब इतिहास गौरवशाली है तो वर्तमान में इतना सामाजिक भेदभाव क्या है? भारत में समाजशास्त्र को स्थापित करने वाले जी.एस. घुरिये का यह मानन था कि अतीत वर्तमान का आईना है और अतीत के अध्ययन से ही हम वर्तमान समाज की बेहतर व्याख्या कर सकते हैं। भारत के लगभग सभी प्रारंभिक दौर के समाजशास्त्रियों ने अतीत के अध्ययन के महत्व को स्वीकारा है। फ्रांसीसी समाजशास्त्रीय लुई ड्यूमा ने भारत में जाति व्यवस्था संबंधी अपने अध्ययन में जाति की परंपरागत मान्यताओं पर आधारित असमानता की जड़ें गहरी है जिसे समाप्त कर पना बेहद कठिन कार्य है। एम.एन. श्रीनिवास तथा एन.के. बोस ने भी भारतीय संस्कशति के विविध पक्षों की व्याख्या ऐतिहासिक संदर्भों में की है। भारतीय हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में जाति पर आधारित भेदभाव के विशय में भीमराव अंबेडकर ने भी यह लिखा है कि जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई पीढ़ियों से चली आ रही उन मान्यताओं पर कुढाराघात करना होगा जे कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की दूरी को बढ़ाता है। इसके लिए उन्होने दलितों को भी आहवान किया है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, मैला ढोने की प्रथा बंद करें और दैनिक जीवन में उन व्यवहारों को आत्मसात करें जो आपको समाज की मख्यधारा से जोड़ने में सहायक है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में व्याप्त सामाजिक भेदभाव के आधार अतीत में छिपे हैं जिसके व्यवस्थित ज्ञान के बिना उसका समाधान संभव नहीं है।

भारतीय समाज मे भेदभाव एवं विज्ञान

प्रो.इंद्र भानु सिंह
विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र
शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा (छ.ग.)

श्रीमति अनुराधा साहू
सहा.प्रा. प्राणीशास्त्र
शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा (छ.ग.)

मानव जाति का इतिहास बताता है कि मानव स्वयं एक जाति है। मानवीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पूरी दुनिया मे अनेकानेक जातियाँ मनुष्य के व्यवहार और मनोभाव के कारण उत्पन्न हुई है। मनुष्य जैसे– जैसे विकास की राह नापता गया वैसे–वैसे ही समाजिक व्यवस्था के भीतर जाति प्रगाढ़ बनती गई यद्यपि दुनिया मे सामाजिक तौर पर विभेद और असमानता पाई जाती है, चूंकि विज्ञान अधिक वास्तविक एवं सच्चाई के करीब होता है, इसलिए तार्किक आधार पर देखा जाए तो विज्ञान समाज मे विकास की लक्ष्य को प्राप्त करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय समाज मे जांति –पांति का जो दलदल तैयार हो गया था, उसे नष्ट कर ठोस व्यवस्थारूपी भूमि तैयार करने मे विज्ञान ने अग्रणी भूमिका निभाया है। जैसे–जैसे वैज्ञानिक उन्नयन होता है वैसे–वैसे समाज की मानसिकता मे भी वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और वह मानव समूह सच्चाई पर आधारित व्यवस्था को स्वीकार करता है जबकि आस्था और अंधविश्वास से ग्रसित व्यवस्था को नकारता है।

आज भारत मे शिक्षा का लोकव्यापीकरण ने वैज्ञानिक आविष्कार एवं चिंतन को भी विस्तारित किया है फलतः समाज के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा हुआ है, निष्कर्षतः हम कह सकते है विज्ञान मे भारतीय समाज की पुरातन प्रणाली मे आमूलचूल परिवर्तन करने का महती कार्य किया है, जिससे मुख्यतः जाति – पाति और भेदभाव की व्यवस्था को क्षीण किया है।

SOCIAL SYSTEM CAUSES SOCIAL DISCRIMINATION

Dr. D. P KUITY
UGC Visiting Professor

Dr. D. K. Maity
Pingla Thana College, W.B.

It is manifest that every child is born pure. We all have 206 bones with same blood composition. The various aspects of religion and culture are imposed on us after the birth. It is a male dominated society so the father's caste is imposed on the child. Although we speak out mother tongue but all depends on the understanding of the couple. With the increase in age we start feeling the difference of own culture with other's culture. A different view of sight is developed and that is stored in the mind which guides many a times. Various systems of faith exists and they are Hinduism, Islam, Buddhism, Jainism, Christianity. No conscience gives us the message to quarrel with the people. Even in this electronic age especially the people who are of old generation commonly do not accept the mixing of religion & caste. Although 2 to 3 decades back the inter-caste marriage was rare but now this can be

noticed in almost in all families. There is a problem with the caste but mixing of religions is more smoothly going on. In many cases it is recorded that the parents gladly accept the relation chosen by their boys/girls. Even two decades back people were feeling uncomfortable to disclose the matter related in making relation by marriage with people of other religion or caste but now it is not the case. People also do not ask about the caste or religion. Every religion has got it's own festival. In recent days it is observed that people celebrate the festival like Dussehara, Dipawali, Holi, Pongal, Onam, etc. together. Many cases we have seen that they (inter-caste couple) are living peacefully and leading their married life smoothly. Now in the marriage advertisement also it is mentioned "no caste bar". Inter-caste or inter-relation marriage is not centralized in certain levels. In higher income group discrimination is obscured due to not being highlighted.

जातिवाद और सामाजिक भेदभाव को दूर करने में सोशल मीडिया की भूमिका

डॉ. अनुपमा कुमारी
सहायक प्राध्यापक पत्रकारिता विभाग,
पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

भारत में सोशल मीडिया के प्रति लोगों का जबरदस्त रुझान है। सामाजिक मीडिया का बढ़ता क्रेज अब पारंपरिक सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को बदल रहा है. फेसबुक, व्हाट्स ऐप, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत ऐसी साइटों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू पर गौर करना होगा। यदि इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो यह सामाजिक समरसता को लाने, जातिगत और धार्मिक भेदभाव को दूर करने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में बेहद कारगर साबित हो सकता है। स्वतंत्र संग्राम की लड़ाई से लेकर अब तक पत्रकारिता मार्गदर्शक व समाज को एक दिशा देने का काम करती आई है। भारत में फेसबुक का इस्तेमाल करने वालों की तादाद के मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में यदि कोई सन्देश समाज को जोड़ने में किया जाये तो यह पहल निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होगा. वर्ष २०१४ का लोकसभा चुनाव हो, अन्ना हजारे का जनआन्दोलन या फिर निर्भया काण्ड के बाद लोगों का न्याय मांगना, यह सब सोशल मीडिया के कारण ही सफल हो पाया। आज सोशल मीडिया जब आधुनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया है, ऐसे में शिक्षण संस्थान, गैर शैक्षणिक संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी) तथा निजी तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करनेवाले, नागरिक पत्रकार समरस, जातिविहीन व धर्मनिरपेक्ष समाज बना सकते हैं. प्रस्तुत शोध पत्र में उपरोक्त तथ्यों की गवेषणा की गयी है। जिसका यह निष्कर्ष है कि सामाजिक भेदभाव को दूर करने में पत्रकारिता और सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य शब्दः सोशल मीडिया, जनांदोलन, नागरिक पत्रकारिता, सामाजिक भेदभाव, समरसता।

Social Discrimination In India:Nature,Causes and Prevention (The role of journalists and social media in eradicating social discrimination)

Dr. Anupa Thomas
Programme Coordinator (English)
Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur

The role of journalists and social media in eradicating social discrimination is significant. The various human causes like age old traditions of centuries,changing Circumstances,present day governmental setup,the public tastes,social status, Income gradation,residential locality set up at rural or urban areas,family background of people lend colours to the media.Beliefs in existence and cultural Interests also play a great role.Adding salt to pepper journalists boom everytime. Provided a sense of social responsibility is instilled in them through an oath Service ,they could change the world.,provided they are trusted,respected And followed. The negativities highlighted by the media setup are to be ejected out and not absorbed into the society's social nerves if, then sure to have a transformation.Moreover social media, the so called nerves of the nation could Not only be narrating, relating, entertaining, educating, emphasizing, it could Rather be interrelating, befriending, communicating with understanding even.Care to be taken to avoid all the hazardous states and situations,to maintain The unity and integrity of the country with no social discrimination as such.

सामाजिक भेदभाव पर संवैधानिक हस्तक्षेप एवं विधिक उपचार

डॉ (श्रीमती) तनुजा बिरथरे
सहा.प्राध्यापक (विधि)
पं. सुन्दरलाल शर्मा(मुक्त) वि.वि. छत्तीसगढ़
बिलासपुर

डॉ बालकराम चौकसे
सहा.प्राध्यापक (संस्कृत)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. छत्तीसगढ़
बिलासपुर

प्राचीन समय मे सामजिक भेदभाव वर्ण के आधार पर देखा जाता था, किंतु वर्तमान में सामाजिक रूप से देखा जाए तो जाति के आधारों पर भेदभाव की बात आती है। जाती एवं वर्ण दोनों भिन्न धारणाएं है। सेनार्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होने जाति एवं वर्ण को भिन्न बताया। वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद मे 400 बी.सी. मे हुआ था। समाज मे भेदभाव के कई आधार है– जैसे जाति, वर्ण, मूलवंश, लिग जन्म स्थान, शिक्षा, धर्म, कार्य के आधार पर होने वाले भेदभाव।

भारतीय संविधान उपरोक्त सभी आधारों पर भेदभाव करने का प्रतिरोध करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15,16,21,38 एवं भारतीय संविधान के अनु.14 (क) विधि के समक्ष समता अथवा विधि का समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान मे सामाजिक रूप से पिछड़ें व्यक्तियों के सामाजिक स्तर को सुधारने हेतु तीन स्तरीय नीति का निर्धारण किया गया।

1. सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर। 2. आपसी भेदभाव को समाप्त कर। 3. उनका विकास कर।

सामाजिक सुरक्षा हेतु विभिन्न विधायन बनाये गये जैसे– SC & ST (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT 1989, लाया गया।

इसी प्रकार से अगस्त 2018 मे अन्य पिछडा वर्गो के सामाजिक सुरक्षा हेतु बिल पास किया गया। जिसके द्वारा पिछड़ा वर्ग कमीशन स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया ।

इस प्रकार से भारतीय संविधान एवं विभिन्न विधायनों मे सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर सभी को एक स्तर पर लाने का प्रयास किया गया।

भारत में सामाजिक भेदभाव का कारण और उसका निदान : एक समाज शास्त्रीय अध्ययन

डॉ. रवीन्द्रनाथ शर्मा
विभागाध्यक्ष,
समाजकार्य एवं समाजशास्त्र विभाग
श्री साई बाबा आदर्श महाविद्यालय अम्बिकापुर, जिला–सूरजपुर छत्तीसगढ़

किसी भी समाज में मानव के किसी भी तरह का अवैज्ञानिक वर्गीकरण भेदभाव कहलाता है। आदिकाल से ही व्यक्ति अपनी पहचान और अस्मिता बनाने के लिये तरह–तरह के सामाजिक उपादानों का सहारा लेता रहा है। भारत में सामाजिक भेदभाव के अनेक कारण यथा जातिप्रथा, वर्णव्यवस्था, धार्मिक भेदभाव, कथित रूपेण दलित की भावना आर्थिक उच–नीच सामन्त इत्यादि विकार रहे है। इनमें यदि किसी ने सामाजिक भेदभाव को यदि सबसे ज्यादा विकृत स्वरूप प्रदान किया है तो वो जाति प्रथा रही है। कुछ कथित उच्चवर्ण के द्वारा इसे धार्मिक जान–पहचान कर हजारों वर्षो तक शोषण किया गया है।.जाति–प्रथा को वर्ण व्यवस्था का एक स्वरूप माना जाता हैं, जिसमें व्यक्ति की योग्यता व कर्म उसके जन्म से निर्धारित होते है हालांकि वर्तमान में इसका अस्तित्व कम हो चुका है किन्तु कुछ राजनैतिक दलों एवं संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसे अभी भी अस्तित्व में बनाया गया है। यह माना जा रहा था कि जैसे–जैसे विज्ञान में नवीन खोज एवं अविष्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित होगी जातिप्रथा जैसे सामाजिक भेदभाव का अस्तित्व समाप्त होता जायेगा। इसके विपरीत यह देखा जा रहा है कि यह सामाजिक भेदभाव नपे–तुले स्वरूपों में विकसित होता जा रहा है। यदि हम इस का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण करे तो यह पाते है, कि जब तक हम अपने संस्कारों पूर्व भेदभाव रहित परम्पराओं में सुधार नही लाते है तब तक सामाजिक भेदभावरहित समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। विकास के सारे भौतिक उपादान गगनचुंबी इमारते, मेट्रोट्रेन, सड़कें, गाडी–वाहन, सोशल मीडिया तब तक निरर्थक है जब तक कि हम समतामूलक, भेदभावरहित सामाजिक–सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण न कर सकें। सामाजिक गतिशीलता यदि पूर्व निर्मित भेदभावरहित परम्पराओं, रीतियों, प्रथाओं को नही छोडती है तो उसका प्रयास निरर्थक है।

भारत में सामाजिक भेदभाव के निराकरण में सूचना एवं संचार तकनीकी की भूमिका

डॉ. जया शर्मा
विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एवं आई.टी. विभाग
कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़

सामाजिक विभाजन हमारे देश में मुख्य रूप से जन्म पर ही आधारित है। हम अपना जाति वर्ण चुनने के लिये स्वतंत्र नहीं होते है। विशेष जाति धर्म में जन्म से ही हमें उसका सदस्य माना जाता है भले ही हमारे व्यक्तिगत योग्यता या क्षमता उससे मेल खाती हो या नहीं हो इसी जन्म पर आधारित व्यवस्था ने अनेक सामाजिक बुराइयों और विकृति को जन्म दिया है। जिसका परिणाम व्यक्तिगत विघटन, सामाजिक विघटन से लेकर राष्ट्रीय पतन, हजारों वर्षो की क्षमता रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विज्ञान की आविष्कारों एवं प्रचार प्रसार के बाद यह प्रत्याशा थी कि समाज में लोगों की सोच और समझ बढ़ेगी और नयी वैज्ञानिक सूचना और दूर संचार प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया नित्य नये आविष्कार के कारण काफी हदतक इस भेदभाव को दूर करने में मदद तो मिली है। दूसरी ओर यह भी देखने को मिल रहा है कि इन तकनीक का दूरूपयोग करके इस भेदभावको बढ़ाया भी जा रहा है। वैज्ञानिक आविष्कार नैतिकता से परे होता है क्यों कि यह इसके उपयोगकर्ता के अनुसार फलित होता है। सूचना और संचार तकनीक ने आज सारे विश्व को एक गाँव में परिवर्तित कर दिया है। इसमे कोई मतभेद नही है कि सांस्कृतिक आत्मसातीकरण करने लोगों के विचारों सोंच–समझ को बदलने में ICT इसकी बडी भूमिका है। समाज वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक आविष्कार का प्रतिफल हम अपने सांस्कृतिक परिवेश में दिखता है। विगत कई वर्षों में यह देखा गया है कि अपने जडता और भेदभावरहित अपमूल्यों का बढाने में हमने ICT का दुरूपयोग ही किया है। जबकि एक समतामूलक समाज के निर्माण में ICT हमारे लिये वरदान साबित हो सकता है। वैज्ञानिक क्रान्ति के फलस्वरूप इस आविष्कार ने हमारे समक्ष अनेक सुअवसर भी प्रस्तुत किये हैं, किन्तु हम इसका सकारात्मक सदूपयोग नही कर पा रहे हैं।

''भारतीय समाज में भेदभाव की वास्तविकता''

प्रो. प्यारेलाल आदिले
प्राचार्य एवं प्रमुख (राजनीति विज्ञान)
जे.बी.डी. ,कला एवं विज्ञान महाविद्यालय कटघोरा, छत्तीसगढ़ (भारत)

"सावधान रहना उनसे, जो ठगते धोखा देकर।
समता की राह चलना साथियों, शिक्षा का दीप लेकर।"

भारतीय समाज की ऐतिहासक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि यह समाज दुनियाँ के सर्वश्रेष्ठ समाजों में गणना का योग्यता लिए हुए था। यहाँ का जनसामान्य धन–धान्य से सम्पन्न और सुखी था। किंतु धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ हिन्दूओं में जाति आज भी कुरीतियों का घर बना हुआ है। समय के साथ देश की स्थिति में बदलाव आया, आज देश स्वतंत्र है किन्तु भारतीय सामाजिक व्यवस्था आज से लगभग 250 वर्ष पहले की तरह विषमता की जाल में अब भी फंसा हुआ है, यह जाल पूर्णतः हमारे ही समाज के स्वार्थी एवं धर्म के ठेकेदारों ने बुन रखा है।

ज्ञान एवं विज्ञान की नजर से देखें तो भारतीय समाज में प्रमुख तौर पर दो वर्गों के साथ सामाजिक भेदभाव किया गया एक तो स्त्री जाति और दूसरा शूद्रवर्ण की जातियों पर। स्वतंत्रता के पूर्व तक स्त्रियों पर सामाजिक भेदभाव की पराकाष्ठा दिखाई देती है। इन्हें घर की दासी समझा जाता रहा है। बाल विवाह, वृद्ध विवाह, विवाह विच्छेद, विवाह निषेध, सतीप्रथा, दहेजप्रथा व महिला मर्दन आदि ने इनकी और भी दुर्दशा कर दी थी। यहाँ तक कहा जा सकता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की आजीवन कैद किस विधाता ने इनके भाग्य में लिख दी थी–" पिता रक्षित कौमारे, भर्ताःरक्षित यौवने। पुत्रश्च स्वविरे भावे न स्त्री स्वतन्त्र्य मर्हति।" अर्थात बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र इसकी रक्षा करता है इस प्रकार स्त्री कभी स्वतन्त्र नहीं रह पाई।

चतुर्थवर्ण शुद्रों के बीच जाति–पांति का भेदभाव भारतीय समाज में एक कलंकित करने वाली व्यवस्था है। तब की व्यवस्था में शुद्रवर्ण के जातियों को न तो पढ़ने का अधिकार था, न ज्ञान सुनने का, न राह चलने का। अब की व्यवस्था में भी इन्हें कोई ठोस समतामूलक स्थिति प्रदान नहीं किया जा रहा है। स्त्रियों और शुद्रवर्ण की जातियों पर ढाही गयी आक्रामक सितम को दूर करने हेतु अनेक महापुरूषों और विचारकों ने काम किया। तुलसी, कबीर, रवि, सूर, गुरू घासीदास, दयानन्द सरस्वती, राजारममोहन राय, महात्मागांधी, सुभाषचन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, स्वामीविवेकानन्द, इंदिरा एवं राजीव गांधी ने, शिक्षागुरू ज्योतिबाफूले, सावित्रीफूले, साहूजीमहाराज, पेरियार, विश्वज्ञान के प्रतीक विश्वरत्न डा. अम्बेडकर ने एवं मान्यवर कांशीराम तथा अन्य अनेक महापुरूषों ने अपना अमूल्य योगदान दिया।

वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था

डा. राजीव शर्मा
सहायक प्राध्यापक(इतिहास)
शासकीय जे.एम.पी.महाविद्यालय
तखतपुर जिला–बिलासपुर

डा. श्रीमती मीना शर्मा
सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र)
शासकीय जे.एम.पी.महाविद्यालय
तखतपुर जिला–बिलासपुर

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति का मूल स्त्रोत वेद है । वेदों की संख्या चार है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद वेद इतने प्राचीन हैं कि इनमे रचना किस काल में हुई यह एक विवादास्पद प्रश्न है। हिन्दु वेदों को अपौरूषेय या ईश्वर द्वारा रचित मानते है । इनमें ऋग्वेद प्राचीनतम है और अन्य वेदों की रचना बाद में की गई। वैदिक युग को दो भागों में विभाजित किया गया है जिस युग में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है तथा शेष तीनों वेदों की रचना का काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है ।

'वेद' शब्द संस्कृत भाषा की 'विद' धातु से संबंधित है जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान होना। अतः वेद ज्ञान एवं जानकारी के भण्डार है।

वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध मे ऋग्वेद के पुरूषसूक्त के अनुसार परमपुरूष अर्थात ईश्वर ने ही समाज को चार वर्णों में विभाजित किया है तथा विभिन्न वर्णों का जन्म उसी परम पुरूष के शरीर के विभिन्न अंगो से हुआ है। पुरूषसूक्त में कहा गया है कि ईश्वर ने अपने मुख से ब्राम्हण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र को उत्पन्न किया है।

भारत में सामाजिक भेदभावः स्वरूप, कारण एवं निवारण

डॉ. सुनीता राठौर
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर
महाविद्यालय चाम्पा (छ.ग.)

भारत में सामाजिक भेदभाव बहुत दिनो से चला आ रहा है। यह हमारे लिए अत्यंत दुखदायी है। सामाजिक भेदभाव विभिन्न रूपों में समाज में उपस्थित है जैसे – जातिगत भेदभाव, लैंगिक (महिला और पुरूष) वर्ण आधारित (काले–गोरे, अमेरिका और यूरोप में) लम्बे छोटे इत्यादि। कल यह दूसरे रूप में था आज अलग रूप में हैं नए वाले कल में दूसरे में होगा। जितने भी भेदभाव है, उसमें सभी एक दूसरे को नीचा दिखने का प्रयास करते है यदि ऐसा नही कर पाते है तो उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है जहां तक जाति और वर्ण का सवाल है तो वर्ण व्यवस्था भारत में वैदिक काल से है। उत्पन्न जिसमें ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र के रूप में वर्णित है। परन्तु अछुत जाति या अछुत वर्ण का वर्णन कही नहीं मिलता। चारो वर्णो के बारे में लगभग सभी लोग जानते है। परन्तु जो शुद्र वर्ण है उसका मतलब था (सेवा देने वाले) जाति व्यवस्था बहुत ही निंदनीय व्यवस्था थी परन्तु आज नहीं पायी जाती। आज सभी वर्ण या जाति के लोग हर तरह का कार्य करते है, सभी जाति के लोग व्यापार, सेवा में, नौकरियों में, सेना में राजनीति इत्यादि। हर जगह हर जाति के लोग है।

भारत में सामाजिक भेदभाव का स्वरूप

डॉ. एल. एन. दुबे
विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
शास. माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महावि. बिलासपुर

भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितश सत्तात्मक व्यवस्था में निहित हैं। प्रसिद्ध समाज शास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसार ''पितश सत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवसाय है, जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता हैं, उसका दमन करता हैं और उसका शोषण करता हैं।'' महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कशतिक घटना हैं। पितश सत्तात्मकता व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकशति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दु, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हों से प्राप्त की हैं। उदाहरण लिये, प्राचीन हिन्दू कानून के

निर्माता मनु के अनुसार ''ऐसा माना जाता है कि औरत को बाल्य काल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वद्धशवस्था या विधवा के बाद अपने पुत्र के अधीन रही है।
मनु द्वारा महिलाओं के लिये ऊपर वर्णित स्थिति आज के आधुनिक समाज की संरचना में भी मान्य है। यदि यहॉ–वहॉ के कुछ अपवादों को छोड़ दे तो महिलाओं को घर में या घर के बाहर समाज या दुनिया में स्नतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने की कोई शक्ति नही मिली है। किन्तु मेरा यह मानना है कि वर्तमान में महिला एवं पुरूष दोनों को बराबर निर्णय लेने का अधिकार है।

मुस्लिमों में भी समान स्थिति है और वहॉ भी भेदभाव या परतंत्रता के लिये मंजूरी धार्मिक ग्रंथो और इस्लामी परम्पपराओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसी तरह अन्य धार्मिक मान्यताओं में भी महिलाओं के साथ एक ही प्रकार से या अलग तरिके से भेदभाव हो रहा है।

समाज में परम्परागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति वर्ग के रूप में माना जाता हैं। वह पुरूषों की एक अधीनस्थ स्थिति में होती है। वो घर और समाज दोनों में शोषित अपमानित और भेदभाव से पीड़ित होती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का ये अजीब प्रकार दुनिया में हर जगह प्रचलित है और भारतीय समाज में तो बहुत अधिक है। जबकि कानून में पुरूष और महिला दोंनो को समान अधिकार प्राप्त है।

समाजिक असमानता तब होती है जब किसी दिये गये समाज के संसाधनों के असमान रूप से वितरित किया जाता है आम तौर पर आवंटन के मानदंडों के माध्यम से, जो कि समाजिक रूप से परिभाषित श्रेणियों के व्यक्तियों कि तर्ज पर विशिष्ट पैटर्न पैदा करता है। यह शक्ति धर्म, रिश्तेदारी, प्रतिष्ठा, जाति, जातीयता, लिंग, आयु, यौन, अभिविन्यास और कक्षा के बारे में लाये गयें समाज में समाजिक वस्तुओं की पहुॅच का भेदभाव प्राथमिकता है। समाजिक अधिकारों में श्रम बाजार, आन का स्त्रोत, स्वास्थ्य, देखभाल, भाषण, शिक्षा, राजनितिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी की स्वतंत्रा शामिल है। दुनिया भर में कई समाज गुणों का दावा करते हैं अर्थात् समाज विशेष रूप से योग्यता के आधार पर संसाधनो को वितरित करते है। माइकल यंग ने 1958 में डाइस्टोपियान निबंध ''द रियज ऑफ द मेरिटोकसी'' में मेरिड्रॉसी शब्द को सोशल डिशफेक्शन का प्रदर्शन करनने के लिये प्रख्यापित किया, जिसने उन समाजों में उत्पन्न होने की आषा की थी, जहॉ एलिट्स का मानना है कि वे पूरी तरह से योग्यता के आधार पर सफल है, इसलिये अंग्रेजी में इस षब्द को अपनाने के बिना नकारात्मक अर्थो को विडंवना है।

प्रत्येक साल 10वीं और 12वीं में लड़कियों का परिणाम लड़को से अच्छा होता है। ये प्रदर्शित करता है कि 12वी कक्षा के बाद माता–पिता लड़कियो की शिक्षा पर ज्यादा खर्च नही करते जिससे कि वो नौकरी प्राप्त करने के क्षेत्र में पिछड़ रही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता हैं कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में, और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता हैं। जबकि कानून की दशश्टि में लड़का और लड़की दोंनो कों समान अधिकार प्राप्त है।

दिव्यांगजनों के पहचान का संकट

Smt. Needhi Singh
Assistant Professor (Sociology)
Rajiv Gandhi Govt. Arts & Commerce College Lormi, Mungeli, (CG)

"ईश्वर ने एक ऐसा संसार बनाया, जहॉ सभी के लिए धरती व आसमान बनाया,
पर मानव ने स्वयं एक ऐसा समाज बसाया, जहॉ दिव्यांगों के पहचान का संकट है छाया"

ईश्वर ने इस सशष्टि का निर्माण किया और मानव जीवन का आरम्भ हुआ। आज मानव 21वीं शताब्दी में कदम रख चुका है और पश्थ्वी से बाहर निकलकर चॉद तक अपना आशियाना बनाने को तैयार हो रहा है। इतनी ऊँची उड़ान भरने के बावजूद समाज में आज भी कुछ वर्ग अपनी पहचान स्थापित करने के लिए संघर्षरत् है। समाज का एक ऐसा ही वर्ग है दिव्यांगजनों का वर्ग। दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग और भारत सरकार की अनेक योजनाऍ संचालित है जैसे – दिव्यांग पेंशन, छात्रवशत्ति, विवाह प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास एवं दिव्यांगजन स्वरोजगार ऋण योजनाएं आदि। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 23, 39 और अन्य कई अनुच्छेदों में समानता के अधिकार सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने हेतु प्रदान किए गए है, दिव्यांगों को आरक्षण भी दिये गये है। पर प्रश्न यह उठता है कि इस प्रावधानों और योजनाओं के बावजूद दिव्यांगों को समाज में अपने पहचान के संकट से जूझना पड़ रहा है जबकि दिव्यांगजन पैरा ओलम्पिक, व्हीलचेयर क्रिकेट, व्हीलचेयर तलवारबाजी आदि खेलों के अलावा स्वरोजगार व रोजगार के उच्च पदों पर आसीन हो रहे है और कामयाबी के शिखर पर आसीन होने हेतु प्रयासरत् है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा, ताकि समाज में भेदभाव समाप्त हो सके।

संत कबीर का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार में योगदान

प्रो. (श्रीमती) मीना श्रीवास्तव
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष –इतिहास
षास. कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर, स्वषासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

भारतीय इतिहास में 1206 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली साम्राज्य पर 'सल्तनत' की स्थापना से लेकर मुगल वंश के सम्राट बहादुरशाह द्वितीय (1837–1857 ई.)' के 1858 ई. में अंग्रेजी राज्य के विरूद्ध हुये 'प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। सल्तनत एवं मुगल काल में भारत में बड़ी तीव्रता से 'इस्लाम धर्म' का प्रचार–प्रसार हुआ था, जिसने मध्यकालीन भारत की प्राचीन कालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों पर अपना अत्यधिक प्रभाव डाला। संपूर्ण सल्तनत एवं मुगल काल भारतीय मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल में भारत में अनेक ऐसे

संत हुये हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक कुप्रथाओं के विरूद्ध अपने काव्यात्मकता के माध्यम से जनजागरण की दिषा में अथक प्रयास किये।

पन्द्रहवीं शताब्दी में संत कबीर ने समाज में व्याप्त अनेक धार्मिक एवं सामाजिक बुराइयों जैसे कि जाति प्रथा, धार्मिक अंधविश्वास, मूर्तिपूजा, अस्पृष्यता, आदि कुरीतियों की समाप्ति हेतु अपने पद एवं दोहों के द्वारा जनमानस में जनजागरण फैलाने का प्रयास किया। आज वर्तमान में भी भारतीय समाज धर्म एवं जाति की संक्रमणता से प्रभावित हैं जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्थान में निश्चित ही बाधा पहुंच रही है।

भारत में समाजिक भेद-भाव का स्वरूप

सुनील विश्वकर्मा

हमारा भारत राज्यों का एक संघ है। जिसमें 29 राज्य और 7 केन्द्र शासीत प्रदेष शामिल है। जिसमें लगभग 135 करोड़ की आबादी निवास करती है। भारत विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इस हिसाब से देखा जाये तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोक तांत्रिक देश है जिसमे अनेक धर्म, को मानने वाले, अनेक भाषाओ को बोलने वाले तथा अनेक संस्कृति को मानने वाले व रहन सहन में व्यवहार करने वाले लोग रहते है दुनिया के लगभग सभी धर्म सम्प्रदाय भारत में पाये जाते है। इस तरह से भारतीय समाज एक बहुआयामी तथा जटिलताओं वाला समाज हैं। जिसमें समाजिक भेद–भाव के बहुआयामी तथा बहुस्तरीय स्वरुप पाये जाते है।

समाजिक भेद–भाव से तात्पर्य ऐसी परिस्थियों या दशाओं के अस्तित्व से है जिसके कारण कोई व्यक्ति विशेष, समुदाय या समाज के कोई एक भाग को या पुरे भाग को उसकी जन्म, जाति, लिंग, वर्ग, धर्म प्रजाति, भाषा, क्षेत्रीयता अथवा अन्य शारीरिक या मानसिक स्थिती के आधार पर व्यक्तित्व विकास के समान अवसरों, अधिकारों तथा कर्तव्यों से वंचित कर दिया जाता है।

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि राजनैतिक स्वतंत्रता के प्राप्ति के 75 वर्ष पश्चात भी जातिगत भेद–भाव और इससे जुड़े उत्पीड़न की घटनाएँ न चाहते हुए भी आज भी अपनी जड़े मजबुती से जमायें हुए है। आजादी के 75 वर्षो में भारत ने कई स्तरो पर विकास किया है तथा आर्थिक स्तर पर विकास का लोहा पुरे विश्व ने माना है। आजादी से लेकर अब तक के समय में राज्य, समाज, और अर्थव्यस्था का पुरा नक्शा ही बदल गया है। परंतु जातिगत व्यवस्था से उत्पन्न सामाजिक भेद–भाव एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इन तमाम प्रयासो एवं परिवर्तनो के बावजूद भी इस पर कोई विशेष परिवर्तन देखने को नही मिलता है।

EMPOWERING WOMEN:SELECTED CASE STUDIES FROM DELHI SLUMS

Prof. Pratibha J Mishra
Professor & Department of Social Work
Guru Ghasidas University, Bilaspur (C.G)

The position of women has varied in time and place. The Rigvedic period was a period of glory and dignity of women. The Indian Women during that period participated in all walks of life with men: religion, ceremonies, ritual performance and recitation of Vedic mantras. The period of Ramayana and Mahabharata also maintained the respect and glory of Indian womanhood. However, the period of

Manusmritis was one of counter balance. During the Mughal rule all retchedness came to Indian womanhood with atrocities, exploitation, and fusion of blood and practice of polygamy. This led to the increase of ban on the freedom and equality of women, deprivation from education and all outwardly interactions. Child marriage, ban on widow marriage, sati, cheating, devdasi, rape, prostitution and abuse of all sorts prevailed.

During the British rule the same practices followed with little improvement. However, certain legal reforms did take place. Some Acts and Ordinances were passed against the practice of sati. Social reformers like DayanandSaraswati, IshwarchandVidyaSagar, Raja Ram Mohan Rai, M.G. Ranade, G.K. Gokhale, etc. became the pioneers to root out the social evils concerning society and the women. The latter were encouraged to get education. Sayaji Rao Gaekwad, Rabindranath Tagore, Madan Mohan Malaviya, and Mahatma Gandhi started their experiments of reform in India in general, and in rural settings in particular.

Since independence, a number of programmes, policies, projects and planned approaches under Five Year Plans have been implemented by the Central and State governments. These relate to poverty alleviation, increasing employment opportunities in rural areas, improvement of social, economic and cultural status of women particularly those belonging to the weaker sections of society.
Mahatma Gandhi (1929) declared, "In my opinion when the history of the last decade comes to be written the palm will be given to the women of India. They have brought Swaraj nearer. They have added several inches to their own height and to that of the nation."

The author will discuss the selected case studies of Delhi slums in relation to empowering women.

जेण्डर समानता और महिला आधिकार

श्रीमती रेणु वडेरा
शोधार्थी
डॉ.सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

मनुष्य का जन्म एक सामान्य प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसे हम लडका या लड़की के रूप में पहचानते हैं परन्तु शारीरिक बनावट व क्षमता के अनुरूप समाज द्वारा पुरूष एवं महिला के लिये विभिन्न भूमिकाएँ एवं पहनावा मान्य किये गये जो धीरे–धीरे स्थिर होते गये। समाज द्वारा पुरूष एवं महिला के लिये निर्धारित इसी दृष्टिकोण को ही सामाजिक लिंगभेद कहा जाता है। बच्चे के जन्म के साथ ही लड़के और लड़कियों को उनके अलग–अलग रूप में ढालने की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ होती है। समाज के द्वारा लिंगभेद के आधार पर भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है। समाज द्वारा लिंग के आधार पर श्रम विभाजन को प्राकृतिक तौर पर देखा जाता है, जबकि केवल महिला का गर्भधारण करना ही प्राकृतिक है। शेष जिम्मेदारियों का महिला व पुरूष के बीच बंटवारा समाज के द्वारा किया गया है। यह बंटवारा समाज में पुरूषों के अधिक प्रभाव के आधार पर हुआ है। इसमें महिलाओं को ऐसी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं जो नीरस, उबाऊ तथा अधिक परिश्रम की माँग करती है।

पुरूष घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि पुरूष घर के सारे काम नहीं कर सकते परंतु वे सोचते हैं कि ये सभी काम करना महिलाओं की जिम्मेदारी है। इस पारंपरिक सोच को बदलने की आवश्यकता है। वहीं, इन सारे कार्यों के लिये अगर पैसे मिलते हैं तो पुरूष बाहर ऐसे काम करते

हैं जैसे– होटल में खाना बनाना और दुकानों में सिलाई आदि का काम करना। श्रम रोजगार एवं पारिश्रमिक के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति काफी भेदभाव और असमानता है। शासन स्तर पर समान वेतन संबंधी कानून बनाए गये है, फिर भी यह अधिकार महिलाओं को अशासकीय क्षेत्र में नहीं मिलता। असंगठित क्षेत्र में महिला को पुरूष की तुलना में लगभग 60% पारिश्रमिक ही दिया जाता है। पुरूषों और महिलाओं के श्रम का मूल्यांकन सही न करते हुये कम मजदूरी देना कहाँ तक उचित है?

SOCIAL DISCRIMINATION IN INDIA : NATURE CAUSES AND PREVENTION ELEMENTS CAUSING SOCIAL DISCRIMINATION : FINANCIAL , POLITICAL , SOCIAL SYSTEM

DR. MANORAMA PANDEY
ASST. PROFESSOR
K.G ARTS AND SCIENCE COLLEGE, RAIGARH C.G)

Social discrimination is a social situation where the individuals with the same endowments (assets, entitlements, rights, skills, education, experience) but differing in social group (caste, religion, gender, ethnicity etc) command different tangible returns (income, development benefi ts, realised entitlements) and less tangible ones . It is the experience of comparable endowments and widely differing treatments and outcomes that we understand as social discrimination. Through the Constitution the Indian state promises equality to all its citizens. The various provisions of the Constitution elucidated in the chapters on Fundamental Rights (justiciable) and on the Directive Principles of State Policies (non-justiciable) delineate the state's obligation to provide equal opportunities to all its citizens in social, political and economic spheres. Yet the ubiquitous presence of stark inequalities continues to do offence to the idea of India visualized by the framers of the constitution. Furthermore, persistent poverty and deprivation overlap with various castes, communities and differ between genders. Poverty and deprivations are also without shadow- of-doubt the result of deep-rooted class structure formed over centuries highlight the financial causes of the social discrimination . They may take to alcohol or drugs, or may form their own opinions on others, develop a hatred for others, or withdraw from people. It can affect them financially, may lose their job, quit school or do poorly at school. People who face racial discrimination may regroup with some vengeance in mind against other groups. This can fuel conflicts and social discords. In fact, many conflicts and wars have been started in this way. Thus this financial ,political , social system leads to discrimination in india leading the system of india to a major downfall.

भारत मे सामाजिक भेदभाव

बिरीज खाण्डे
सहायक समन्वयक

सामाजिक भेदभाव समाज के रहन सहन और रिति रिवाज पर आधारित एक तौर तरीका है जो समाज या व्यक्ति को उस पारिवारिक वातावरण मे जीवन जीने की स्वतंत्रता का कमी होना व उस वर्ग को दूर रखना या रहने बाधित करना माना जा सकता है। जैसे – जीवन जीने के लिए व्यक्ति या परिवार को मूलभूत चीजों की आवश्यकता पड़ती है रोटी, कपड़ा और मकान इसके अलावा अन्य जो जीवन जिने के लिये इनका महत्वपूर्ण अंग माना जा सकता है वह है शिक्षा, स्वास्थ्य, आने जाने के साधन, सामाजिक सुरक्षा, बैंक और न्यायपालिका जो जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

सामाजिक भेदभाव आकस्मिक या अन्य रूप मे व्यवस्थित तरीके से माना जा सकता है। व्यक्ति के सोच से समाज का जो संगठन बनता है उसमें परिवार को दुःख और सुख का मार्ग प्रसस्त करने मे आसानी होती है इसलिये परिवार का बड़ा रूप संगठित समाज के साथ मिलकर आसानी से इस कमी को दूर कर सकता है। इसलिये ध्यान देने योग्य बात है कि सामाजिक बहिष्कार समाज के अंग को विभक्त करना होता है। अर्थात बहिष्कार की इच्छाओं के विरूध कार्य करना माना जाता है।

Market and Corporate Law: Regulating Social responsibility of Corporate Governance in expiration of Social Inequality

Manshu MSW Scholar | Harshita MSW Scholar | Sunil MSW Scholar | Supriya MSW Scholar | Salman MSW Scholar

Department of Social Work

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Koni Bilaspur: Chhattisgarh (India)-495009

This article tries to look the role of corporate law and markets as a regulatory mechanism for corporate governance to involve social responsibility under framework of SEBI. It also attempt to distinguish the constraints, demands, and pressures facing corporate managers to put profits at the top of the list of priorities while also recognizing the potential that corporations have to contribute to society's welfare within the rules and freedoms that society imposes and gives to corporations. The position taken in this article is neither the radical view that the corporation is free to pursue profit maximization, regardless of its impact on society, nor is it the equally radical view that the corporation must resolve society's problems and assume responsibility for government failures. The analysis herein is based on the advantages and limitations of the law and the markets in fostering corporate responsibility. The article does not intend to present an apology for corporate responsibility. Finally it tries to look into the role of corporate governance in reducing social inequality.

Keywords: Market, Corporate Law, Social responsibility, Corporate Governance.

बुजुर्गो के प्रति सामाजिक भेदभाव : समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. अनिता पाण्डेय

क्रार्यक्रम समन्वयक

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

वर्तमान भारत में बुजुर्गो के प्रति सामाजिक भेदभाव भी एक प्रमुख समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में वृद्धावस्था की स्थिति को प्राप्त करता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था का आना निश्चित होता है। इस अवस्था मे मनुष्य शारीरिक मानसिक व आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है तथा परिवार के सदस्यों पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। वर्तमान में भौतिकता एवं व्यक्तिवादिता के प्रभाव बढ़ने के कारण बुजुर्गो की समस्या बढ़ती जा रही है। आज का युवा बुजुर्गो को एक बोझ के रूप में समझता है। बुजुर्गो की समस्याएँ कई कारणों का परिणाम है मनुष्य इतना सुखवादी, भोगवादी एवं व्यक्तिवादी हो गया है कि वह सही गलत, नैतिक व अनैतिक शिष्टाचार,

संस्कार का पालन किये बिना ही जीवन जी रहा है। परिणाम स्वरूप परिवार के लोग उन बुजुर्गों के प्रति भी लापरवाह है, जिन्होंने उन्हें संसार में लाया तथा पालन पोषण कर जीवन जीना सिखाया। बुजुर्गों के प्रति सामाजिक भेदभाव भारत की एक प्रमुख समस्या है। संस्कार इतने हल्के हो गये है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का ध्यान नही है। अपने बुजुर्गो के प्रति कम होता पारिवारिक स्नेह बड़ी विकराल समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक वर्ग को खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम कुछ उपाय अपना ले तो बुजुर्गो की समस्याएं काफी हद तक दूर की जा सकती है। देश की एक विकराल समस्या का निवारण किया जा सकता है। वृद्धावस्था को सम्मान पूर्वक देखकर हम अपने पारिवारिक जीवन को सुखद बना सकते है।

संदर्भः— 1. डॉ. सैनी अभिलाशा : भारतीय समाज संस्करण 2018 पृश्ठ क्र. 323

2. क्रॉनिकल अक्टूबर 2006

सामाजिक भेदभाव के प्रति पत्रकारिता एवं सोशल मीडिया की भूमिका

शशांक शुक्ला

मास कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट

कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

परिचय

पारंपरिक पत्रकारिता ने जनमानस को जागरूक करने का कार्य हमेशा से किया है उन्हें हमेशा इस बात से अवगत कराया है कि हम सब इस संसार में एक जैसे है और किसी व्यक्ति विशेष को धर्म,जाति,क्षेत्र और भाषा को लेकर भेद नही किया जाए जहाँ एक तरफ पत्रकारिता ने जागरूकता फैलाई वही दूसरी ओर पीड़ितों की कहानियों को सामने रखा। आज का युग संचार क्रांति का युग है और सोशल मीडिया हमारे रोज़ मर्रा के ज़िन्दगी का हिस्सा आज सोच बदल रही है समाज के देखने का नज़रिया बदल रहा है और इसे बदलने में एक छोटी सी भूमिका सोशल मीडिया की भी है आप एक जगह हज़ारो लोगो से जुड़े है जहाँ आपको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। जनमानस तक ये बात पहुंचा सकते है कि किस तरह ये भेदभाव की भावनाएं हमें आगे बढ़ने से रोक रही है ।

लोगो तक सच पहुंचना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ना कि साम्प्रदायिकता फैलाना परन्तु इसकी ताकत को लोगो ने पहचान लिया है और अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा छोटी–छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है केवल अपने स्वार्थ के लिए जो पत्रकारिता के नियमो के बिल्कुल विरुद्ध है हमारा कर्तव्य सच को सामने लाना है ना कि आक्रोश पैदा करना। अगर पत्रकार अपना कार्य सही तरह से करे तो इस भेदभाव की भावना को आसानी से जड़ से उखाड़ कर फेकने में कामयाब होगी जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा आज़ाद देश है उस वक्त भी पत्रकारिता ने जनमानस में आज़ाद होने की भावना को जागरूक किया था आज भी हम इतने सामर्थ है कि इस सामाजिक भेदभाव जैसी भावना से लड़ कर आगे बढ़ सकते है।

सामाजिक भेदभाव को दूर करने में विभिन्न विचारकों एवं समाज सुधारकों का योगदान

जूलियट मोटवानी
मास कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट
कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सामाजिक भेदभाव को दूर करने में विभिन्न विचारकों एवं समाज सुधारकों का योगदान

परिचय

समाज का मूल्य आधार हम, हमने ही इस संसार में जात–पात,लिंग,धर्म,संस्कृति आदि का निर्माण किया। ईश्वर,अल्लाह ने हमें कभी नही बांटा ये रीतियां,कुरीतियां हमने ही बनाई और आज हम खुद इस समस्या से जूझ रहे है। इस परिस्थिति से लड़ने में बहुत से विचारकों एवं समाज सुधारकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है उनकी सोच ने ही आज हमें इस बात के लिए प्रेरित किया कि हमें सभी को एक नज़र से देखना चाहिए राजनेतिक,धार्मिक,सांस्कृतिक ये सारे तत्व केवल हमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए बनाए गए थे परन्तु रीतियां कुरीतियों में बदलती गयी और साम्प्रदायिकता फैल गयी।

युग कितने बदले और बदले कितने शासन जो ना बदला वो है समाज उसमे बसी कुरीतियां,संकीर्णता और भेदभाव के भाव। आज नही सामाजिक भेदभाव की भावना आदिकाल से चली आ रही है जब अंग्रेजों का शासन था तब आर्थिक रूप से सम्पन व्यक्ति भी उनके समक्ष तुच्छ ही कहलाता था उस वक्त भेद नस्ल का था आज उसके बहुत से स्वरूप देखने को मिलते है जैसे आर्थिक,जाति,लिंग,वर्ग,धर्म। हर युग में आगे बढ़ने की चाह और पहचान बनाने की सोच के साथ बहुत संघर्ष किया गया और उस धारा को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया पत्रकारिता ने। पहले अपनी बात रखने का एक मात्र जरिया हुआ करता था। आजादी के वक्त जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र संदेश पहुंचना होता था तो पत्रो का उपयोग किया जाता था उस वक़्त ये लड़ाई अंग्रेजो के खिलाफ थी परन्तु आज भी हम ये लड़ाई लड़ रहे है वो भी उन्नत युग में जहाँ आज भी सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियां पैर पसारे बैठी है जो हमें हमारे समाज को देश को आगे बढ़ने से रोकती है क्योंकि जब तक हम अंदरूनी लड़ाईयों में व्यस्त रहेंगे आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नही सकेंगे।

ROLE OF SULABH SANITATION MOVEMENT REDUCING SOCIAL DISCRIMINATION AMONG SCAVENGERS IN INDIA

Shubham	Deepak	Ankita	Aman	Jay
MSW Scholar	MSW Scholar	BSW Scholar	BSW Scholar	BSW Scholar

Department of Social Work
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Koni Bilaspur, Chhattisgarh (India)

"Shulabh" has more than six thousand public toilets in 25 states and 3 Union Territories of India. "Shulabh" public toilets are used by 15 Million user's every day at a nominal payment of INR 1/- to 2/- for single use which roughly translates into revenue of INR 550 Million per annum. "Shulabh" has built more than 1.2 Million toilets for Households at a nominal payment. "Shulabh" also provide mobile Toilet Van facility at a nominal payment which is sought by great fares and at occasions of public gatherings. This number of service users is matched only by the Indian railway in the entire world. "Shulabh" has expanded its network internationally. It has branches opening in Bhutan and Afghanistan. In Kabul, the construction of five public toilet complexes is nearly complete. Besides many countries have little guidance, consultancies and services from "Shulabh". Some of these countries are Nepal, Indonesia, Kenya, South Africa, Ethiopia, and Burkina Faso. "Shulabh" however is no longer about public toilets only. It has adopted a Holistic development approach for the underprivileged. Other "Shulabh" initiatives include public schools and vocational training for Scavengers, slum welfare programs, empowerment of woman through education and employment, Toilet Museum, Research and Development in Sanitation, training for NGOs, and International consultancy for sanitation.

सामाजिक भेदभाव, कारण व इसके निराकरण में जातिगत आरक्षण की भूमिका

रविकान्त जायसवाल
(सहायक प्राध्यापक रसायन)
षास. राजमहंत नयनदास महिलांग महा.वि.
भटगॉव, बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)

डॉ. गिरीष वैश्णव
(लाइब्रेरियन)
षास. राजमहंत नयनदास महिलांग महा.वि.
भटगॉव, बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)

जातिगत आरक्षण पर बात करते हुए हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि समाज का पिछड़ा हिस्सा भी इसी देश का भाग है और एक देश के रूप में तरक्की करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश मे रहने वाले सभी लोग तरक्की करें चाहे वे किसी भी जाति या धर्म या सामाजिक परिस्थिति के क्यों न हों।

अपने आस–पास के अनेक उदाहरणों से यह देखा जा सकता है कि आज भी हम छुआछूत और जातिगत भेदभाव की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं हमारा पिछड़ी जातियों के प्रति व्यवहार कई बार सामान्य और सम्मानजनक नहीं होता उनसे सामाजिक सम्बन्ध बनाने में हमें हिचक होती है। सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित जातियों का यह दोयम व्यवहार उन्हें समाज में स्वीकार्यता देने में बाधक बना हुआ है वहीं राजनीतिक उदासीनता भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है राजनीति ने जातियों को बांट कर रखा हुआ है। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी ने इन्हे मूल धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक कानून बनाना जरूरी नहीं समझा वरन आरक्षण का लालच देकर अन्य कई जातियों को इसमें खींच लिया ।

यह आवश्यक है कि इन जातियों को सामाजिक स्वीकार्यता मिले साथ ही साथ साधनों की कमी इनके आगे बढ़ने में बाधक न बने उच्च शिक्षा, तथा व्यवसाय के लिए बाजार की उपलब्धता इनकी आर्थिक कमजोरी को दूर करने में सहायक होगी। जातिगत आरक्षण किसी भी समाज के लिए एक बीमारी की तरह है जो यह दर्शाता है कि हमारा समाज बीमार है हमने हमारे ही एक हिस्से को मूल

धारा में आने नहीं दिया है। जरूरी हैं कि हम जल्दी से जल्दी इन जातियों को समाज की मूल धारा मे शामिल करें उनसे होने वाले जातिगत भेदभाव को समाप्त करें ताकि जातिगत आरक्षण की आवश्यकता स्वतः ही समाप्त हो जाए। लेकिन तब तक इन जातियों को आगे बढ़ने के लिए जातिगत आरक्षण का जो संबल संविधान द्वारा प्रदत्त है उसे बना रहने दें।

समाज में भेदभाव का आधार ब्राम्हणवादी व्यवस्था

डॉ0एस0एल0 सोनवाने
(सहायक प्राध्यापक– समाजशास्त्र)
शासकीय महाविद्यालय बरमकेला,
जिला– रायगढ़ (छ.ग.)

मानव समाज को विकास के इतिहास को तीन स्तरों में विभाजित करके समझा जा सकता है– (1)प्रागैतिहासिक काल अर्थात सिंधुघाटी के पूर्व का काल–उस समय कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

(2) आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया गया है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, परन्तु पढ़ा व समझा नहीं जा सकता।

(3) ऐतिहासिक काल– ऋग्वेद काल से वर्तमान तक जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं।

विदेशी आर्यों का आगमन सिंधुघाटी के शहरों को नष्ट हो जाने के बाद हुआ, ये लोग सिंधु, सतलज, झेलम, व्यास और सरस्वती आदि नदियों के किनारे आकर बस गये थे, संस्कृत भाषा बोलते थे, यहां के मूल निवासियों अर्थात अनार्यों, द्रविड़ों से श्रेष्ठ मानते थे, इन्होने ही सर्वप्रथम ऋग्वेद नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस देश में जितने भी धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध हैं, वे सभी इनकी ही रचना है– भारत की एकता एवं अखण्डता पर सबसे पहले प्रहार हुआ, भिन्न–भिन्न ग्रंथों के माध्यम से समाज में सामाजिक एवं धार्मिक असमानता का जहर घोला गया ,चतुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था जिसमें ब्राम्हण, क्षत्रीय, वैश्य और शुद्र जैसे भागों में विभाजित किया गया, जिसकी उत्पत्ति ब्राम्हण के मुख, भुजा, पेट तथा पैर से हुआ है ऐसा बताया गया। इनके कार्यों का बंटवारा भी अलग–अलग किया गया, ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र का कार्य क्रमशः पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, पूजा–पाठ आदि देश की रक्षा सैन्य कार्य, व्यापार का कार्य तथा ऊपर के तीनों की सेवा निःस्वार्थ मान से करना। अधिकारों के संदर्भ में सम्पूर्ण अधिकारी ब्राम्हण को, क्षत्रिय को केवल सैन्य कार्य, रक्षा का अधिकार, वैश्यों को व्यापार, भरण–पोषण का अधिकार, शुद्रों को केवल सेवा का अधिकार तक ही सीमित किया गया। इस व्यवस्था में ईश्वरीय भय, डर, स्वर्ग–नर्क, पाप–पूण्य जैसे बातें कही गई, इसे ही ईश्वरीय वाणी, ईश्वरीय वचन कहा गया, जो तर्क से परे अकाट्य है। यहां के जनमानस के मस्तिष्क में कूट–कूट कर ये बातें भरी गई, जिसके कारण आज भी मानसिक गुलामी का जीवन जी रहें हैं।

मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं तर्कशक्ति का दफन कर दिया गया। इन धार्मिक ग्रंथों में शुद्रों, जो कि इस देश के बहुसंख्यक लोग हैं, कहीं भी इन्हें सम्मानित पद, प्रतिष्ठा नहीं दिया गया है, प्रत्येक क्षेत्र में इनके लिये प्रतिबंध है।

समाज को विखंडित करने, आपस में मतभेद, वैमनस्य फैलाके, घृणा का वातावरण तैयार करने में धर्म–शास्त्रों, प्राचीन मान्यताओं, सामाजिक मूल्यों, प्रचलित प्रथा एवं परम्पराओं का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने, प्राचीन मान्यताओं का विरोध करने की क्षमता विकसित करने, जाति भेद को समाप्त करने, समाज में जागरूकता लाने, व्याप्त अंधविश्वासों, धर्म के नाम पर शोषण को बंद करने पर ही व्यवस्था से मुक्ति संभव है।

समाज में सामाजिक भेदभाव का स्वरूप

सुनील कुमार
शोधार्थी
डॉ. सी.व्ही.रामन विश्वविद्यालय, कोटा

समाजिक भेद–भाव से तात्पर्य ऐसी परिस्थियों या दशाओं के अस्तित्व से है जिसके कारण कोई व्यक्ति विशेष, समुदाय या समाज के कोई एक भाग को या पुरे भाग को उसकी जन्म, जाति, लिंग, वर्ग, धर्म प्रजाति, भाषा, क्षेत्रीयता अथवा अन्य शारीरीक या मानसिक स्थिती के आधार पर व्यक्तित्व विकास के समान अवसरो, अधिकारो तथा कर्तव्यो से वचिंत कर दिया जाता है।

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि राजनैतिक स्वतंत्रता के प्राप्ती के 75 वर्ष पश्चात भी जातीगत भेद–भाव और इससे जुड़े उत्पीड़न की घटनाएं न चाहते हुए भी आज भी अपनी जड़े मजबुती से जमायें हुए है। आजादी के 75 वर्षो के में भारत ने कई स्तरो पर विकास किया है तथा आर्थिक स्तर पर विकास का लोहा पुरे विश्व ने माना है। आजादी से लेकर अब तक के समय में राज्य, समाज, और अर्थव्यस्था का पुरा नक्शा ही बदल गया है।

लैंगिक भेद–भाव के कारण सम्पुर्ण भारतीय समाज दो भागो में विभाजित हो गया है। एक तरफ पितृसत्तात्मक पुरूष प्रधान समाज है तो दुसरी तरफ नारीवादी महिला वर्ग जो अब समाज द्वारा बनाए केवल परंम्परा के नाम पर बधंनो से बधंना नही चाहती है। भारतीय समाज प्रारंभ से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है परंतु आधुनिक भारतीय समाज में वैश्वीकरण तथा औद्यौगीकीकरण की प्रकीया व परिणाम स्वरुप तथा आजादी प्राप्ति के बाद सरकारो द्वारा महिलाओं के दशा में सुधार लाने के प्रयास हेतु सशक्तिकरण एवं उत्थान हेतु विशेष प्रयास करने के कारण महिलाओं की स्थिती में कॉफी सुधार आया है।

वर्तमान समय में समाजिक भेद–भाव कई और स्तरो और स्वरुपो में उभरा है। जैसे वृद्धो के प्रति समाजिक भेद–भाव तथा मॉब लीचिंग की घटनाएं। पहले वृद्धो की सेवा करना भारतीय समाज में धार्मिक तथा परिवारिक कर्तव्य समझा जाता था परंतु भौतिकवादि दृष्टिकोण तथा पुंजीवादी अर्थव्यवस्था समाज में अब वृद्धो कि सेवा कोई सेवा करना नहीं चाहता है। वृद्ध आज वृद्धाश्रम आदि जगहो पर शरण लेने को मजबुर है। भारत में बढ़ती वृद्धाश्रम की संख्या इसका प्रमाण है।

MOB LYNCHING – CONCEPT, CAUSES AND SOLUTIONS

A.V.D. Lalita
M.A.M.C. III Semester
Department of Mass Communication
KushabhauThakre University of Journalism And
Mass Communication, Raipur (C.G.)

For the past few years, India has been witnessing an unusual increase in crime related to mob violence, in the name of religion, kidnapping etc. The epidemic spread in the form of vigilancy against cow slaughter, later it spread to kidnapping and other sorts of crimes. And now mob lynching or mob violence has become a topic of concern on which a serious discussion and strict punishable law is necessary. Mob lynching is attacking someone, physically assaulting a person leading to death, usually by a group of people (mob). It is a kind of social discrimination motivated partly or who lely bybias, prejudice or hatred towards the minorities and weaker sections of society. This mostly occurs on the basis of false information, mostly unconfirmed rumors like cow slaughter, child lifting, theft,*love jihad*, enticing women etc. This is normally done on false beliefs which lead to lawlessness harm done to innocence and goes unsuspecting. Hence it is to be considered an act of terrorism and punishable by law. Instance of lynching can be found in every society. This paper focuses on to understand the concept of mob lynching or mob violence, its possible causes (i.e. cow slaughter, child lifting, theft, *love jihad*, enticing women etc.) ,its ultimate impacts and solutions to stop vulnerable prejudice of mob violence and 'hate crimes'.

KEY WORDDS: Lynching, Mob violence, Social prejudice, Social discrimination, Hate crime, Hate violence.

मानसिक अयोग्यता से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सामाजिक भेदभाव

डॉ. दीप्ति धुरंधर
सायकेट्रीक सामाजिक कार्यकर्ता
राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी, बिलासपुर (छ.ग.)

मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति से आशय उस व्यक्ति से है जिसे मानसिक रूप से अस्वस्थता के कारण चिकित्सा की आवश्यकता है। मानसिक अस्वस्थ या रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 उपयोगी अधिनियम है। इस अधिनियम में, मानसिक अस्वस्थ व्यक्तियों के लिये मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख और सेवाएँ प्रदान करने और मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख के परिदान के दौरान ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन और उनको पूरा करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने से संबंधित बाते, कहीं गयी है।

वर्तमान समय में जब सामाजिक भेदभाव की बात की जाती है। तो कई मुद्दो पर बहस की जाती है, जिनमें धर्म, सम्प्रदाय, जाति, लैंगिक, राजनीतिक, नारीवाद, गरीबी, भ्रष्टाचार आदि प्रमुख है। परंतु देखा जाये तो धीरे–धीरे मानसिक अस्वस्थ पीड़ितों से संबंधित भेदभाव भी समाज में अपनी जगह बना रहे है। मानसिक अस्वस्थ को सामाजिक सहायता की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। सामाजिक सहयोग में सबसे पहले परिवार की भूमिका होती है साथ ही साथ समाज की, आसपास के माहौल की, संगे संबंधियों, की दोस्तों की।

समाज में वर्तमान परिपेक्ष्य में मानसिक अस्वस्थ व्यक्तियों के ठीक होने के बाद उचित स्थान और सम्मान देने की आवश्यकता है। मानसिक अयोग्यता से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिये सामाजिक जागरूकता एवं सामाजिक सहयोग करने की आवश्यकता है। जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी की जा सके।

भारत में सामाजिक भेदभाव

(लैंगिक भेदभाव के विशेष संदर्भ में)

डॉ0 भावना कमाने
सहा.प्राध्यापक
शास. महामाया महावि. रतनपुर

डॉ0 शशिकला सिन्हा
सहा. प्राध्यापक
माता शबरी नवीन कन्या महावि. बिलासपुर

सामाजिक भेदभाव विभिन्न स्वरुपों में समाज में उपस्थित है। जैसे जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, वर्ष आधारित भेद भाव आदि वर्तमान में यह देखा जा रहा है यह भेदभाव एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता रहा है। जाति एवं वर्ण का भेद भाव समाज में वैदिक काल से चला आ रहा है। सामाजिक भेदभाव किसी व्यक्ति या अन्य चीज के पक्ष में या उसके विरुद्ध व्यक्तिगत गुणों – अवगुणों को न देखते हुए उसे किसी वर्ग श्रेणी या समूह का सदस्य होने के आधार पर भेद भाव करने की प्रक्रिया को कहते है।

हमारे समाज में लिंग भेद यह एक ऐसा विषय है जिसमें हमारा देश प्रभावित हो रहा है। इसे खत्म करना बेहद जरुरी है आज के इस आधुनिक युग में बहुत सारे बदलाव आ रहे है। आज के युवाओं की सोच लगातार प्रगति की ओर बढ़ रही है महिलाएँ भी इसमें पीछे नहीं है लेकिन फिर भी महिला और पुरूषों में भेद देखा जाता रहा है। आज भी लड़के के जन्म पर खुशियाँ मनाते है और लड़की के जन्म पर माता पिता चुपचाप रहते है और सोचने लगते है कि जिम्मेदारी कैसे निभेगी । हमारे समाज में लैंगिक मित्रता की वजह से बहुत से कुकर्म किये जाते है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या, हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करने के काफी प्रयास किये जाते रहे है, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर कानून भी बनाये गये है। लेकिन फिर भी इस तरह के कर्म रूकते नहीं है क्योंकि समाज के लोगो को लड़के एवं लड़की में बहुत फर्क नजर आता है लोगों कि यह मानसिकता है कि लड़का जन्मता है तो वह बड़ा होकर कमा कर देगा लेकिन लड़की सिर्फ हमारे घर से विदा होकर जायेगी और दहेज के रूप में कुछ लेकर ही जायेगी, इसी मानसिकता की वजह से हमारा समाज अंधकार में समाता हुआ नजर आता है। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या कि वजह से बालिकाओं की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है वर्ष 2000 के आकड़े हमे यह बताते है कि लडकियों की संख्या कम थी तथा 2011 में लड़कियों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है किन्तु यह वृद्धि लड़को की तुलना में काफी कम है। यह असमानता की स्थिति बनी रहेगी तो हमारा समाज दिन प्रतिदिन नई समस्याओं से जुझता रहेगा अतः हम सब मिलकर इस सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने का बीड़ा उठाये।

WITCHHUNTING:A METHODOFSOCIALDISCRIMINATIONOFTRIBAL WOMEN IN INDIA

SANDEEPYADAV
STUDENT, M.Sc. III SEMESTER,
DEPARTMENT OF RURAL TECHNOLOGY
AND SOCIAL DEVELOPMENT

JAYSHAH
STUDENT, BSW III SEMESTER,
DEPARTMENT OF
SOCIAL WORK

SNEHARAI
STUDENT,
DEPARTMENT OF
POLITICALSCIENCE,

GURU GASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G)

Witch hunting as a social phenomenon is also connected and concerned with the issue of social exclusion and social discrimination of the women accused as witches adding to increase the victimization and sufferings as a part of community. 'Tonahi' or 'Dayan' is the induced identification of tribal women in several states of India. Abstention in society accompanied by non materialaspects stigma,stagnation,and denialofrights are indispensable feature of social exclusion. The women accused of Dayanor Tonahiis subjected to Jharphook, Totka, and Tantra-Mantrabyo jha. Physical Mental and Economic harassment of women impedes Gender Justice and raisesquestion upon the gender equality and socio cultural development. GOVERNMENTOFINDIAPROVIDETHESEWOMEN PROTECTION AND PROHIBITION AGAINST WITCH HUNTING AS A SAFEGUARDING LEGISLATIVE FRAMEWORK. The objective of paper is torecognise social discrimination against these identified women braded as witches.The paper also attempts to understand identifiers psycho-social behaviour for classification of women as Tonahior Dayan. Additionally, the paper attempts to demonstrate the type and effect of harassment on tribal women accused of Tonahi or Dayan. Lastly it also examines the attempt of judiciary and government to protect these women.

Keywords :- Social Phenomenon, Social Discrimination, Gender Equality, Socio Cultural Development

---

Idea of Social Justice: Sociological Perspective on Judicial Activism in preventing Social Discrimination in India.

Vikram Singh
Assistant Professor
Department of Social Work
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya,
Koni Bilaspur: Chhattisgarh (India)

Sangeeta Yadav
MSW Scholar
Department of Social Work
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
Koni Bilaspur: Chhattisgarh (India)

Parveen Bano
MSW Scholar
Department of Social Work
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
Koni Bilaspur: Chhattisgarh (India)

Abstract:

The judicial activism is exercise of judicial supremacy to lucid and enforces what is favorable for the society in common and mass at large. The role of judiciary is to attain the vision of social Justice which is there in preamble of the constitution of India. Because apex court has elucidated the Idea of Social Justice have diverse principles important for the systematic expansion and advancement in personality of every citizen. Hence 'Judicial Activism is that way of exercising judicial power which seeks fundamental re-codification of power relations among the dominant institutions of State, manned by members of the ruling classes' (Baxi, 1985). In case of oppressed class viz. Dalits, tribal, women and deprived

sections of the society; 'Social Justice is a dynamic device to mitigate the sufferings of these sections to elevate them to the level of equality to live a life with dignity of person' (Air India Statuary Corporation v. United Labour Union A.I.R , 1997). Therefore the apex court has explained the concept of equality envisaged by art 38 as equality before the Law which has contributed a lot to achieve the goal of Social Justice. Thus this paper tries to highlight the issues or idea of Social Justice and its virtual connection with judicial activism as a dynamic instrument of Interpretative power. It also aspires to analyse the sociological perspective of Judicial Activism in lens of hermeneutics.
Keywords: Sociological Perspective, Judicial Activism, Hermeneutics, Social Discrimination.

"Social Discrimination: A Black Spot in India's Integrity"

Babita Pandey
Author

Vikash Singh
Co-author

India is a country known all over the world for its reach culture and tradition more than a billion people living in our country follows different religion, speak different languages and have a culture of their own. Irrespective of all of these our nation is a nation of "unity in diversity".

The concept of social discrimination can be said to having its roots in the varna theory, where the term varna refers to the social classes in the brahminical books like manusmriti and rigveda. They classified the society in four classes: Brahmin, khastriya, vaishyas&sudras. In the present context we see that all the forward castes are termed as savarnas and the dalits and scheduled tribes are termed as avarnas. The savaernas are said to be enjoying all the amenities of life and termed themselves as pure souls. The avarnascontradictly were considered inferior and were suppressed constantly and were engaged in menial activities, but talking of the present context the authors of this paper have a strong opinion that time have changed dramatically and so called "Avarnas" are also cementing their spot in the maintenance of the society. It is in the real that dogmaticism of some people belonging to whatever the religion is the main reason for the social discrimination and they are the one responsible for communal riots and imbalance in the society. in the end we would conclude by adding up a quotation to this paper:

"Mazhabnahisikhataaapas me bairrakhna,
Hindi hai humwatanhai, Hindustan Hamara"

According to which, no religion teaches to spread hatred or to hate others. Even the god does not discriminate while forming this world and the human beings. Social discrimination is nothing but just the evil creation of evil human minds which is needed to be treated to save the eternal culture of India from getting degraded.

भारत में लोकतन्त्र की समीक्षा और सामाजिक भेद-भाव

किरण
एम.एड. विद्यार्थी, शिक्षा विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

भारत एक ऐसा देश हैं जहाँ विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग आपस में मिल–जुल कर रहते हैं। भारत के लोग एक–दुसरे के संस्कार, रीति–रिवाज, त्योहार आदि को खुले दिल से अपनाते हैं। इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रुप में देखा जाता हैं। भारत विभिन्नताओं से भरा राष्ट्र हैं भारत में इन्हीं विभिन्न लोगों का शासन चलता हैं। इस प्रकार भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। परंतु भारत सदैव से लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं था। भारतीय इतिहास के अनुसार भारत मे राजाओं, मौर्य, मुगल सम्राटों, एवं अंग्रजो का शासन था। सन् 1947 में भारत अंग्रजो से आजाद होकर लोकतांत्रिक राष्ट्र के रुप में स्थापित होकर भारत पुरे संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र बनकर उभरा। चूँकि भारत में अनेक विभिन्नताएँ हैं जिसके कारण भारत में सामाजिक भेदभाव की सम्स्या भी हैं। भारत में सामाजिक भेदभाव के अनेक स्वरुप जैसे जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, वर्गीय भेदभाव, सांप्रदायिक भेदभाव, क्षेत्रीय भेदभाव, भाषायी भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, वर्ण आधारित भेदभाव आदि हैं। ये सामाजिक भेदभाव आज के उत्पन्न नहीं हुये वरन ये भेदभाव प्राचीन समय से चले आ रहें हैं। प्राचीन समय में वैदिक काल से लेकर वर्तमान युग तक यह सामाजिक भेदभाव व्याप्त है।

GENDER DISCRIMINATION IN MEDIA AND ADVERTISING

Dr. Shahid Ali
HoD & Associate Professor
Dept of Mass communication and
Dept. of Social work
Kushabhau Thakre university of Journalism
and Mass communication, Raipur (C.G)

We are living in a time of advertising and Advertising industry has become the most powerful industry not only selling products but also for making ideas, value, status and the ideals too. Advertisement exists in a huge quantity everywhere but many of us do not notice them. But it is very important to research them because they have an influence on the construction of our identities, notion of social roles on difference between women and men. In this context, it is interesting to watch advertisements in terms of gender discrimination in the advertising industry. Many of the Advertisements shown in media are discriminating women and violating the law of gender equality in advertising content. Gender discrimination mean how people are treated differently because of their sex. Discrimination or abusive behavior towards members of the opposite sex –unfair treatment of a person or a group on the basis of prejudice, male chauvinism, activity indicative of belief in the superiority of men over women. Indian constitution provides prohibition of Discrimination on the ground of Religion, Race, Caste, Sex or Place of birth through the Article 15, thus it confers the right against being subjected to discrimination in matter of rights, privileges and immunities pertaining to him/her as a citizen. Therefore,

it can be said that Article 15 forbids discrimination in certain respects and matters. From last decade, there has been enormous legislative, judicial and administrative activity at National as well as International levels are towards elimination of gender discrimination but in reality Indian society is not free from gender bias. In recent time media has potential to prohibit gender discrimination and this research paper will discuss the not only the differences between sex and gender but also the Constitutional provisions towards the prohibition of gender discrimination and role of media in it.

Key words: Gender Discrimination, Advertisement, elimination etc.

जाति उन्मूलन के उपाय

प्रो. स्नेहा थवाईत
सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र
शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागढ़
जिला : जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में वैदिक युग से संचालित रही है। समान्यतः यह लोगों का ऐसा समूह है जो अंर्तविवाही, अनुवांशिक सदस्यता पर आधारित होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है। जाति ने हिन्दू समाज को सुव्यवस्थित व संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परन्तु जब व्यक्ति अपनी जाति को स्वार्थ के आगे अन्य जातियों की अवहेलना करने लगता है। तो यह भाव जातिवाद का रूप धारण कर लेता है, जिसे उन्मूलित करना आवश्यक है। चूंकि यह संकीर्ण अवधारणा राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है।

समाज में जाति के उन्मूलन हेतु विविध उपाय अपेक्षित है, इसके लिए समाज में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से संकीर्ण मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना आवश्यक है। बच्चो में जाति भेदभाव उत्पन्न न हो इसलिए धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जाति की संकुचित मनोवृत्ति के विरूद्ध स्वस्थ जनमत तैयार किया जाना चाहिए। विभिन्न जातियों द्वारा सामुहिक भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जाति संबंधी कानूनो का कठोरता से पालन होना चाहिए।

भारत में सामाजिक भेदभाव:-परंपरागत एवं वर्तमान समस्याएँ

उग्रेन कुमार साहू
सा.प्रध्यापक (हिन्दी)
शा.महाविद्यालय, भैरमगढ़, जिला–बीजापुर (छ0ग0)

भारत के स्वतंत्र होने के लगभग 50 वर्ष बाद दलितों की स्थिति में काफी हद तक सुधार लाया गया, परन्तु आज भी कानून के द्वारा ही अस्पृश्यता का अन्त नहीं हो पाया है, बल्कि अधिकांश भाग अनुसूचित जातियाँ की निर्योग्यताओं को अपने समाज के लिए एक कलंक के रूप में देखता है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दलित अनुसूचित जातियों की समस्याएँ आज भी काफी गंभीर

बनी हुई है। इन समस्याओं को दो भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है–परम्परागत समस्याएँ तथा वर्तमान समस्याएँ। परम्परागत समस्याओं को इस कारण समझना आवश्यक है, जिससे उन्हीं के सन्दर्भ में वर्तमान समस्याओं का समुचित मूल्यांकन किया जा सके।

दलितों की परम्परागत एवं वर्तमान समस्याएँ

दलित जातियों की समस्याओं का तात्पर्य उन समस्याओं से है, जो स्मृतियों के समय से लेकर किसी न किसी रूप में बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक बनी रहीं। इनका उल्लेख करते हुए पणिकर ने लिखा है, "जाति प्रथा जब अपनी यौवनावस्था में थी, तब इस पाँचवें वर्ण की दशा कई प्रकार से दासता से भी बुरी थी दास केवल एक व्यक्ति के ही अधीन होता था लेकिन अछुतों के परिवारो पर तो गाँव भर की दास्ता का भार होता था। जाति व्यवस्था के नियमों से से उत्तपन्न अनुसिचत जातियों की इन परंपरागत निर्योग्याताओं को समाज धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जैसे चार मुख्य भागों में विभाजित करके समझा जा सकता हैं।

2. धार्मिक समस्याएँ– अनुसूचित जातियों को अपवित्र मानकर धार्मिक आचरण व अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं दी गई। मंदिरों में प्रवेश करने पर ही कठीन प्रतिबंध नहीं लगाए गए बल्कि उनके लिए धर्मग्रंथों को पाठ सुनना भी वर्जित कर दिया गया।

MOB LYNCHING – CONCEPT,CAUSES AND SOLUTIONS

A.V.D. Lalita
Department of mass communication
KushabhauThakre University Of Journalism
and Mass Communication,Raipur (C.G.)

For the past few years, India has been witnessing an unusual increase in crime related to mob violence, in the name of religion, kidnapping etc. Though, the epidemic spread in the form of vigilant against cow slaughter, later it spread to kidnapping and other sorts of crimes. And now mob lynching or mob violence has become a topic of concern on which a serious discussion and strict punishable law is necessary.

Mob-lynching and mob violence have become a new normal in India especially in the wake of a silent political class who has chosen to either turn a blind-eye and render mere lip-service condemning such attacks. This has hollowed the primary role of the government gradually. The number of incidents has shown a marked rise since last year.

This paper focuses on to understand the concept of mob lynching or mob violence, its possible causes (i.e. cow slaughter, child lifting, theft, *love jihad*, enticing women etc.) ,its ultimate impacts and solutions to stop vulnerable prejudice of mob violence and 'hate crimes'.

KEY WORDDS: Lynching, Mob violence, Social prejudice, Social discrimination, Hate crime, Hate violence.

जाति उन्मूलन के उपाय

संदीप सिंह
पीएच.डी (हिन्दी)
मेट्स वि.वि.रायपुर

जाति भेदभाव हमारे हिन्दू समाज के लिए अभिशाप है यह हमारे विकास के मार्ग में सबसे बडीं बाधा है। अतः इसे समाप्त करने के लिए सभी को मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलना होगा प्राचीन काल से ही हमारे समाज में जाति प्रथा का प्रचलन है जो मानव जाति के विकास मे बाधक है। इसके साथ ही प्राचीन समय से ही इसको समाप्त करने के लिए कई समाज सुधारको एवं समाजिक संस्थाओं द्वारा प्रयास किया हैं फिर भी इन बुराइयो को पूरी तरह से समाप्त नही किया जा सका हैं जाति उन्मूलन के लिए निम्न प्रयास किया जा सकता हैं।

1. अंर्तजातीय विवाह–जाति उन्मूलन को समाप्त करने के क्षेत्र में यह व्यवस्था कारगर साबित हो सकती है अतः हम सब लोगो को अंतर्जातीय विवाह कों प्रोत्साहन देना चाहिए, शादी विवाह मे किसी भी प्रकार से धर्म एवं जाति बंधन ना हो विभिन्न राष्ट्रीय एवं समाज सेवी संस्थाओ द्वारा अंर्तजातीय विवाह कराये जाते है जो जाति उन्मूलन के क्षेत्र मे अच्छा प्रयास माना जा सकता है।

2. सामूहिक भोज – समाज मे व्याप्त जाति प्रथा कि समस्या को समाप्त करने के लिए राश्ट्रीय एवं स्वय सेवा संगठन द्वारा सामूहिक भोज का आयोजन कराया जाता है, इन सब प्रयासो के बाद भी लोगो के मन में जातिवाद की समस्या ज्यो का त्यों बनी हुई हैं। जातिवाद को नष्ट करने का अर्थ भौतिक रूकावटों को दूर करना नही है। इसका अर्थ विचारात्मक परिवर्तन से है मनुष्य जात–पांत इस लिए मानता है क्योकि वह अधिक धार्मिक होते है।

नारी और सामाजिक असमानता

डॉ. उदय शंकर श्रीवास्तव
सहा.प्रा. समाजशास्त्र
शा.वी.अ.बा.लो. महाविद्यालय
पथरिया, मुंगेली (छ.ग.)

डॉ.(श्रीमती) कमलजीत श्रीवास्तव
सहा.प्रा. हिन्दी
शा.वी.अ.बा.लो. महाविद्यालय
पथरिया, मुंगेली (छ.ग.)

सदियों से समय की धार से चलती हुई स्त्री अनेक विडम्बनाओं के बीच जीती रही है। आज दुनिया की पचास फीसदी आबादी महिलाओं की है तथापि व लगभग दो–तिहाई कार्य घंटों का निष्पादन करती है। परन्तु आय का दसवां हिस्सा ही उन्हें प्राप्त होता है। वे सम्पत्ति के मात्र एक प्रतिशत की स्वामिनी है। इस प्रकार की लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए, नारी विकास की विशिष्ट योजनाएं प्रारम्भ की गई, लेकिन पुरूषों का स्त्रियों के प्रति एक पक्षीय दृश्टिकोण, समाज की मूल्य व्यवस्था, स्त्रियों के प्रति व्यक्तिगत सम्पत्ति व उपभोग की वस्तु जैसी चेतना एवं स्त्री की पुरूषों पर निर्भरता जैसी सामाजिक–आर्थिक–सांस्कशतिक कारणों की वजह से ये योजनाएं महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं दिला पा रही है बल्कि पहले से विद्यमान सामाजिक असमानताएँ और मजबूत हुई है।

समाज में महिलाओं का शोषण, असमानता, उत्पीड़न एवं गैर –बराबरी से मुक्ति दिलवाने के प्रभावी यन्त्र के रूप में वैश्वीकरण की पुरजोर वकालत की गई। काफी हद तक वैश्वीकरण का इस सन्दर्भ में प्रयास सराहनीय भी रहा, आज महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर घर व बाहर दोनों दायित्वों का निर्वहन कर रही है। आज वह आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित एवं आत्मविश्वासी दिखाई दे रहीं है, पुरूषों के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपनी योग्यता उसकी भागीदारी ने उसे अबला से सबला, कमजोर से समर्थ सिद्ध कर दिया है।

सामाजिक भेदभाव दूर करने में समाज सुधारकों का योगदान

डॉ. प्रदीप कुमार निर्णेजक
व्याख्याता
शा. उ. मा. वि. लिमतरी, बिल्हा, बिलासपुर छ0ग0

भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर अनेक धर्म, जाति व सम्प्रदाय को मानने वाले लोग निवास करते हैं। भारत के रहवासी भिन्न–भिन्न जगह व क्षेत्र में निवास करते हैं जिसके कारण उनकी बोली व भाषाएँ भिन्न–भिन्न है। इन लोगों का रहन–सहन, खान–पान व संस्कृति भी भिन्न है। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत अखंड है और यहीं भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी विशेषता के कारण आज विश्व भारत को जानता है।

भारतीय समाज वर्णों में विभाजित है। प्रारंभिक काल से समाज चार वर्ण– ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में विभाजित है। वर्णों में विभाजित होने पर भी भारतीय समाज में एकता व समरसता व्याप्त है। वे सभी अपने कार्यों को सम्पादित करते हुए सद्भाव बांट रहे हैं। मगर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय समाज की एकता व अखंडता को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति शोषणकारी कृत्य करते हैं। उनके इस शोषणकारी कृत्य के कारण समाज में सर्वोच्चता, सत्ता, शक्ति और लालच जन्म लेती है। फलस्वरूप समाज में दो वर्गों का उदय होता है उच्च वर्ग व निम्न वर्ग। जिसमें कथाकथित उच्च वर्ग निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। पुरूष महिलाओं का शोषण करते हैं। श्वेत अश्वेतों का शोषण करते हैं। एक धर्म को मानने वाले दूसरे धर्म को कमजोर या गलत बताता है और अपने धर्म को श्रेष्ठ कहता है। ये भेदभाव व शोषणकारी कृत्य समय के साथ सामाजिक बुराई और कुरीति का रूप ले लेता है। इन बुराईयों व कुरीतियों को मिटाने के लिए समाज से ही कुछ ऐसे व्यक्ति सामने आते है जो समाज को नई दिशा देते है। समाज के दबे–कुचले लोगों की प्रगति, उन्नति व उत्थान के लिए कार्य करते हैं। उनके इन कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित कर देते है।

समाज सुधारक वे होते हैं जो मानवता व इंसानियत की चिंता करते हैं। जो समाज की अच्छाई व विकास के कार्य करते हैं। समाज सुधारक वहीं व्यक्ति बनता है जिनमें उच्च वैचारिक संभावनाएं हो तथा नेतृत्व करने की क्षमता हो। जो निम्न वर्ग के लोगों की पीड़ा सहन नहीं कर सकता। उनके लिए हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहते हो। लोगों की सेवा को ही परम् धर्म मानते हो। लोगों की सेवा करते करते वे साधारण से असाधारण हो जाते हैं। ऐसे असाधारण समाज सुधारक आपके सामने प्रस्तुत है – जिनमें कबीरदास, तुलसीदास, राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉ. भीम राव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, एनी बेसेन्ट, मदर टेरेसा, विनोबा भावे इत्यादि।

लिंग भेद की सिनेमाई पूर्वाग्रही दृष्टि
('स्त्री' फिल्म के बहाने विमर्श)

Dr. Shama A. Baig,
Asst. Prof. Microbiology
Swami Shri Swaroopanand Sarswati Mahavidyalaya,
Hudco, Bhilai (C.G.)

आज से 60 वर्ष पूर्व स्त्रीवादी फिल्म विचारक "लारा मुल्वे", जो युनिवर्सिटी ऑफ लंदन में फिल्म स्टडीज और मीडिया स्टडीज़ की प्रोफेसर है, ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उनके अनुसार– "दरअसल कैमरा की आँख पुरूष की आँख है।" अर्थात् सिनेमा में नारी छवि को हमेशा पुरूष दृष्टि से फिल्माया जाता है। उनके इस कथन को ध्यान में रखकर, आज के भारतीय सिनेमाओ में औरतों की सामाजिक अवस्था का अवलोकन किया जाए तो आश्चर्य प्रतीत होता है कि आज भी यह विचार कटु सत्य है इसका प्रमाण वर्तमान की सफलतम फिल्म "स्त्री" है। इस फिल्म में स्त्री के सम्मान और प्रेम की इच्छा का छदम आदर्श है पर यथार्थ में नायिका अतश्प्त चुड़ैल है। नारी के प्रति लिंग भेद की यह दृष्टि पूर्वाग्रही, दुराग्रही है और सच तो यह है कि, न ही फिल्मकार और न ही पुरूष की दृष्टि में, आज भी औरतों के प्रति कुछ बदलाव आया है।

कहा जा सकता है कि पूर्व नायिकाओं की तुलना में आज के सिनेमा की नायिकायी छवि आत्मनिर्भर है, वह अपने फैसले स्वयं लेती है और अपने जीवन में, अपनी इच्छाओं को बेझिझक प्रकट करती है। किन्तु ध्यानपूर्वक देखा जाये तो यह केवल काल्पनिक सिनेमायी शिगुफा है जो इसलिए प्रचलित हो रहा है क्योंकि आज ये विचार रजत पट पर धन बरसाने का माध्यम है और इसका प्रचार वे दर्शक करते हैं जो मल्टीप्लैक्स में जाकर महंगे पॉपकार्न और पेप्सी खरीद सकते है तथा जनसंख्या का छोटा हिस्सा है हकीकत में देखा जाए तो यह औरत के हाथ में झुनझुना पकड़ाकर शोषण का नवीन रूप है। यह सिनेमायी आदर्शवादी स्वतंत्रतावादी छवि केवल औरत का अपमान और असम्मान है। "स्त्री"

फल्म के बहाने नारी विमर्श करता हुआ, यही शोध पत्र का प्रतिपाद्य विषय है।

आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति

इन्दु
एम.एड.तृतीय सेमेस्टर
(शिक्षा विभाग गुरुघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

सार–संग्रह रू– प्रस्तुत शोध पत्र आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तनशीलता,स्त्रियों की समस्या तथा उसके समाधान के विवेचन पर केन्द्रित है। स्त्रीयों की स्थिति में जितना उतार चढाव भारत में देखने को मिलता है उतना अन्यत्र किसी देश में नहीं। सैध्दांतिक दृष्टि से स्त्री को सुख व समृध्दी का प्रतीक माना जाता है। उसे अर्धांगिनी माना जाता है,जिसके बिना अधिकांश धार्मिक संस्कार सम्पन्न नही होते , किन्तु उत्तर वैदिक काल के बाद हमारी रुढियों और प्रचलन में इतना अधिक

परिवर्तन हुआ है की स्त्री को लज्जा व दुर्बलता का प्रतीक माना जाने लगा परन्तु आधुनिक काल में स्त्रियों की प्रस्थिति में काफी बदलाव आया है। इन परिवर्तन के साथ–साथ विभिन्न प्रकार की समस्यायें भी उत्पन्न हुई है,समाज में फैली स्त्रियों के प्रति भ्रांति ही सबसे बड़ी वर्जना है जो स्त्रीयों के विकास में बाधक तत्व के रूप में कार्य करता है। स्त्रीयों के जीवन में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की समस्या तथा उसके उत्पन्न होने का कारण हमारे समाज में व्याप्त सामाजिक भेदभाव व भ्रान्तियाँ है जो समाज को भ्रमित करता है, अतः उपयुक्त शोध पत्र में इसी विषय पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया जायेगा। मुख्य बिन्दु –स्त्रियों की वर्तमान स्थिति, परिवर्तनशीलता,समस्या,कारण भ्रांतिया,सामाजिक भेदभाव।

भारत में सामाजिक भेदभाव का स्वरूप कारण एवं निवारण के उपाय

मुकेश कुमार कामले
(सहा. प्राध्यापक) समाजशास्त्र
आचार्य पंथ श्री गृधमूनि नाम साहेब
शास. महाविद्यालय कवर्धा(छ.ग.)

चंदन गोस्वामी
(सहा. प्राध्यापक) अर्थशास्त्र
आचार्य पंथ श्री गृधमूनि नाम साहेब
शास. महाविद्यालय कवर्धा(छ.ग.)

समाजशास्त्री पणिक्कर का कथन है–यह मान लेना सर्वथा गलत होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यो की सामाजिक निर्योग्यताऐं भी दूर हो गयी है।

सामाजिक दृष्टिकोण से भारत विभिन्नताओं से भरा देश है, उत्तर भारत के निवासी आर्यो के वंशज माने जाते है एवं दक्षिण भारत के निवासी द्रविण समूह के वंशज माने जाते है। भाषायी दृष्टिकोण से यहां के 78.05 प्रतिशत निवासी इन्डो आर्यन भाषा का प्रयोग करते है एवं 19.64 प्रतिशत लोग द्रविणीयन भाषा का प्रयोग करते है। भाषायी विविधता की दृष्टिकोण से भारत विश्व में द्वितीय बड़ा देश है। जहां कुल 780 भाषा बोलियों का व्यवहार प्रचलन में है। धार्मिक दृष्टिकोण से बहुसंख्यक हिन्दू धर्म के मानने वाले 79.8 प्रतिशत लोग है। वहीं मुस्लिम सम्प्रदाय के 14.2 प्रतिशत, ईसाई धर्म के 2.3 प्रतिशत, सिक्ख धर्म के 1.7 प्रतिशत, बौद्ध धर्म 0.7 प्रतिशत एवं जैन धर्म 0.4 प्रतिशत को मानने वाले कुल 0.4 प्रतिशत लोग निवासरत है। इन विभिन्न धर्म के मानने वाले लोगों में भी आपस अनेक जातियों एवं उपजातियों में बंटे हुए है। जिनकी संख्या लगभग 2500 से लेकर 3000 तक है। भारतीय समाज परम्परागत् एवं रूढ़ीवादी होने के कारण यहां के अधिकांश धर्मावलंबियां जातियां एथनोसेन्ट्रिक्य (स्वजाति केन्द्रितावाद) जैसे रोगो से ग्रसित है।

हमारे देश की उन्नति एवं प्रगति के लिए सामाजिक भेदभाव वर्तमान समय की गंभीर सामाजिक समस्या है। जिसका निराकरण किये बिना हम अपने विश्व गुरू बनने की आकांक्षा को सार्थक नहीं कर पायेंगें। इसलिए इस समस्या के निराकरण हेतु शिक्षा में समाज से संबंधित गुणात्मक सुधार धार्मिक एवं जातिगत कट्टरता के विरूद्ध कठोर एवं दमनात्मक कानून बनाकर एवं उसका क्रियान्वयन कर इसके अतिरिक्त धार्मिक संगठन जातिगत संगठन को समाप्त कर मानव जाति संगठन बनाए जाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए। इस प्रयास में न केवल सरकार अपितु प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य के रूप में अंगीकार करने की जरूरत है, तभी इस देश की इस गंभीर सामाजिक समस्या का निराकरण संभव है।

मोब लीचिंग: स्वरूप, कारण एवं निवारण

डॉ. तूलिका शर्मा
सामाजिक कार्यकर्ता, जगदलपुर

मोब लीचिंग शब्द का प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है जहॉ पर भीड़ या समूह नियंत्रण से बाहर जाकर अनौपचारिक, अव्यवहारिक रूप से किसी वारदात या घटना को अंजाम देते है। सोशल मीडिया, व्हाट्स एप या किसी अन्य माध्यम से फैली झूठी और भ्रामक खबरो के कारण लोग किसी को भी अपराधी समझ लेते है और फिर इतना पीटा जाता है कि उनकी मृत्यु तक हो जाती है। अनेक ऐसे उदाहरण है जिससे यह कहा जा सकता है कि भीड़ खुद ही न्याय करना और नैतिकता के दायरे तय करना चाहती है, जैसे– कठुआ व उन्नाव का मामला, कश्मीर में पत्थरबाजी, अफराजुल व अखलाक के मामले में प्रतिकिया आदि अनेक ऐसे उदाहरण है जिससे यह कहा जा सकता है कि भीड़ खुद ही कानून का काम करती है एवं उसके द्वारा की गई हिंसा को व्यवहारिक और सही मानती है। हिंसा का यह तरीका एक महामारी की तरह पूरे देश में फैलता जा रहा है। कानूनी रूप से तो यह गलत है ही नौतिक रूप से भी गलत है। मोब लीचिंग का कारण सामाजिक भेदभाव, सोशल मीडिया के माध्यम से फैली झूठी और भ्रामक खबरें एवं कानून के प्रति जागरूकता की कमी है। मोब लीचिंक के निवारण हेतु सख्त कानून बनाने एवं भारतीय दंड संहिता में संबोधन कर मोब लीचिंग को दंडनीय अपराध घोषित करने की जरूरत है। मोब लीचिंग अमानवीय व्यवहार के रूप में समाज में उभर कर सामने आया है एवं समय के साथ ये घटनायें बढ़ती जा रही है। यह कानून का, अनुच्छेद 21, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

सामाजिक भेदभाव की संकल्पना

सत्य प्रकाश यादव
शोधार्थी
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,बिलासपुर

सामाजिक भेदभाव से तात्पर्य समाज मे व्याप्त सुविधाएँ, संसाधन विभिन्न परिस्थितियों का असमान रूप से वितरण है। हम जानते है कि हमारे आसपास प्रत्येक वस्तु, प्राणी सभी मे भेदभाव जैसी भावनाएं रहती है, क्योंकि यह हमारे व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है ,कि हम आपस मे व्यक्तियों के बीच सामाजिक सद्भाव रखे या भेदभाव कर अपने रिश्तों मे तनाव रखे। सामाजिक भेदभाव का कारण व्यक्ति का अपनी वर्तमान स्थिति मे असंतुष्ट होना है, जब भी कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से असंतोष रखता है वह न आगे बढ पाता है न दूसरो के बढने से खुश रह पाता है। इसलिए सामाजिक भेदभाव जैसी परिस्थितियां निर्मित हो रही है और हम समाज परिवार से अलग सामाजिक भेदभाव की भावना को आपसी रिश्तों में हावी होने दे रहे है। हमें मिलकर सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु दृढ़ संकल्पित होना होगा और यह हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी स्वयं के आत्मविश्वास से सम्भव हैं।

लिंग भेद

डॉ. सूचि चौधरी
सहा. प्रध्यापिका मनोविज्ञान
डी.पी. विप्र कॉलेज बिलासपुर (छ.ग.)

गायत्री वर्मा
सहा. प्रध्यापिका मनोविज्ञान
डी.पी. विप्र कॉलेज बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश

"विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता" भारत विभिन्नताओं से भरा एक देश है। कालान्तर में इन विभिन्नताओं ने जहाँ एक ओर सुदृढ़ समाज की नीव डाली है वहीं दूसरी तरफ इन विभिन्नताओं के कारण उभरी विकृतियों ने समाजिक एकता को छिन्न–भिन्न कर दिया है और इन्हीं विकृतियों में से एक विकृति है लिंग भेद।

लैंगिक भेदभाव के कारण आज पूरा समाज दो भागों में विभाजित हो गया है। पुरूष प्रधान समाज में नारी अपनी आवश्यकताओं व अधिकारों के लिए संघर्ष करती चली आ रही है। आज भी इस विकसित समाज में नारी की संघर्ष यात्रा जारी है आज नारी अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक धरातल पर संघर्षरत है।

प्रस्तुत अध्ययन में मैंने नारी को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन धरातलों पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

सामाजिक भेदभाव के प्रति पत्रकारिता एवं सोशल मीडिया की भूमिका

मंजू कुजूर
गुरूघासीदास विश्वविद्यालय कोनी बिलासपुर (छ.ग.)

सामाजिक भेदभाव विभिन्न रूपों में समाज में उपस्थित है। जैसेः– जातिगत भेदभाव, लैंगिक वर्ण आधारित इत्यादि। आज समाज में जितने भी भेदभाव हैं, वह एक–दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास है।

सामाजिक वर्गीकरण से मानव सभ्यता का विकास हुआ और मनुष्य बस्तियों में रहने लगा तब से समाज स्थापित हुआ, इसका मुख्य कारण यह था कि शुरू में मनुष्य का ज्ञान ज्यादा विकसित नहीं था, संचार के साधन सुलभ नहीं थे, जिससे विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं से लोग सम्पर्क में नहीं थे। जहाँ गरीबी, अशिक्षा ज्यादा थी, वहाँ इसका प्रतिकूल प्रभाव अधिक था परन्तु जैसे–जैसे देश में लोकतंत्र स्थापित होने लगा और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, औद्योगिकीकरण बढ़ने लगा वैसे–वैस समाज से कुप्रथाएँ कम होने लगी। किन्तु समाज में लोग अपनी पुरानी सोच में बदलाव नहीं करना चाहते। अतः आज भी समाज में भेदभाव है, और जब तक मानव सभ्यता है, यह भेदभाव आगे भी जारी रहेगा, बस उसका स्वरूप बदलेगा, क्योंकि यह स्वतः उत्पन्न संरचना है, जो कि केवल मनुष्य के स्वभाव से निर्धारित होती है।

आज मीडिया हमारे चारों तरफ मौजूद है, तो निश्चित ही मीडिया का प्रभाव हमारे ऊपर तथा हमारे समाज पर पड़ेगा, इसी तरह से शुरूआत के दिनों में पत्रकारिता हमारे देश में एक मिशन के रूप में जन्मा, जिसका उद्देश्य सामाजिक चेतना को और अधिक जागरूक करना था, तब देश में

युवाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आजादी के लिए संघर्षमयी पत्रकारिता को देखा गया। जब भी मीडिया और समाज की बात की जाती है तो मीडिया को समाज में जागरूकता उत्पन्न करने वाले साधन के रूप से देखा जाता है, जो कि लोगों की सही व गलत करने की दिशा में प्रेरक का कार्य करता नजर आता है और एक सफल लोकतंत्र वही है जहाँ जनता जागरूक होती है।

'' भारत में सामाजिक भेदभाव एवं ट्रांसजेण्डर ''

रितु चंद्राकर
शोधार्थी
टिंकु प्रसाद शर्मा
शोधार्थी

विभिन्नता में एकता की संकल्पना भारतीय समाज की मूलभूत विशिष्टता हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में विभिन्न वर्णो, जातियों, एवं सम्प्रदायों की उपस्थिति भिन्न–भिन्न रुपों में विद्यमान रही है। इन विभिन्नताओं ने एक समरस भारतीय समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है तथा यह विश्व में भारत की पहचान का महत्वपूर्ण स्तम्भ रही है। कालान्तर में इन विभिन्नताओं ने जहाँ एक तरफ संगठित एवं सुदृढ़ समाज की नींव डाली वहीं दूसरी ओर इनमें उभरी विकृतियों ने सामाजिक एकता को छिन्न–भिन्न कर दिया।

वर्तमान भारत में सामाजिक भेदभाव कई स्तरों पर उभरा है , जिनमें लैंगिक भेदभाव भी है। लैंगिक भेदभाव के कारण सम्पूर्ण समाज दो भागो में विभाजित हो गया है तथा एक तीसरा लिंग भी समाज में विद्यमान है। जिसे हम ''ट्रांसजेण्डर '' कहते हैं। हिन्दी में आज इन्हे किन्नर कहा जाता है। किन्नरों को ''यूनक'' कहा जाता था। यूनक का अर्थ लिंग परिवर्तन के बाद पुरुष से स्त्री हुई किन्नर के संदर्भ में लिया जाता था। यानि एक ऐसा पुरुष जिनका लिंग भेद हुआ हो।

15 अप्रेल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरो को तीसरे लिंग के रुप में कानूनी पहचान दी। न्यायलय ने उन्हे सम्मान से जीने के लिए ये अधिकार दिये है साथ ही अपने जीवन जीने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी दिया है। संविधान के '' अनुच्छेद 14 '' में कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है। '' अनुच्छेद 15 '' में किसी लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है। एवं संविधान के '' अनुच्छेद 17 '' में छुआछूत का निषेध किया गया है।

प्रत्येक मनुष्य की तरह ही किन्नर समुदाय की भी आंकाक्षाएँ होती है। इनका भी अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। इनके अंदर भी विवाह करने की चाह होती है। किसी के साथ सुचारु रुप से जीवन–यापन करने की इच्छा होती है लेकिन इनकी लैंगिक विकलांगता एवं परपंरागत कार्य के कारण इन्हे हेय समझा जाता रहा है जिसके कारण ये अकेले ही अपना जीवन–यापन करते है।

सामाजिक भेदभाव की समस्या केवल भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में पायी जाती है। सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए भारत में समय–समय पर विभिन्न विचारको, समाज सुधारको का योगदान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् समाज में शैक्षणिक , सामाजिक , आर्थिक स्तर में एक बड़ा परिवर्तन हो चुका है। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों–स्तरों पर सामाजिक भेदभाव की खाई और गहरी होते हुए '' मॉब लिंचिग '' के रुप में परिवर्तित हो रही है जो देश की एकता एवं अखण्डता के लिए गंभीर खतरा है। यह चिन्तनीय एवं विचारणीय है।

मॉब लिंचिंग

सुचि चौधरी
शोधार्थी
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

"भीड़ हत्या" ये शब्द सुनने में जितना भयावह है उससे ज्यादा भयावह इसके परिणाम है। घर वापसी, बच्चा चोरी, गौ रक्षा, आत्मरक्षा के नाम पर समुदाय विशेष के खिलाफ लंबे अरसे से बहुसंख्यकों के मन में बैठाई जा रही बातें अब हिंसा का रूप ले रही है। हमारे बड़े–बुजुर्ग कहते थे कि समूह में रहेंगे तो सुरक्षित रहोगे पर अब यही समूह भीड़ में बदल गया है और भीड़ को उग्र रूप लेने में समय नहीं लगता। भीड़ का हिस्सा होने में डर लगने लगा है, अब हर व्यक्ति खुद को भीड़ में असुरक्षित समझता है।

भीड़ के उग्र होने के कई कारण है, ऐसी कई वजह है जिससे भीड़ उन्नमादी भीड़ में बदल जाती है और यह उन्नमादी भीड़ एक भीड़ तन्त्र में बदल जाती है और यह तंत्र अफवाह के चलते झटपट न्याय करना अपना अधिकार समझता है। मैंने अपने पेपर में कुछ मनोवैज्ञानिक, समाजिक, राजनीतिक कारणों को स्पष्ट करने की कोशिश की है।मॉब लिचिंग की पहली घटना 4 मार्च 1891 में अमेरिका के लुसियाना राज्य में लोकल जेल में हुई थी। भारत में पहली मॉब लिचिंग की घटना 5 मार्च 2015 में नागालैण्ड के दीमापुर राज्य में हुई थी जहाँ एक इंजीनियर को बलात्कार के शक में 7000 से 8000 लोगों की भीड़ ने जेल से बाहर खींचकर उसके कपड़े उतरवाकर परेड कराई फिर उसे मार डाला, पुलिस भी भीड़ के आगे मजबूर हो गई थी। मॉब लिचिंग में भीड में इतने ज्यादा लोग होते हैं कि यह पता नहीं लगता कि किसे मार रहे हैं? कौन–कौन मार रहा है? किसने लात मारी, किसने मुक्का मारा यानी असली अपराधी तक पहुँच पाना मुश्किल है। कुछ ना कुछ मारते रहते हैं जिससे हममें संवेदना की कमी होती जा रही है और हम रोबोट या अमानवीय होते जा रहे हैं इसी वजह से हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है और फिर उन्नमादी भीड़ में हौसला बढ़ जाता है और घटनाएँ घट जाती है।

SOCIAL DISCRIMINATION :- NATURE, CAUSE, AND PREVENTION

Dolly Wallace

Dept. of Education Dept.

GGV Bilaspur

Discrimination is when some one is treated unfairly or differently because the person is one of a particular group. Today we still are facing lots of problem with discrimination. Our anciestor politican tried to make a constitution to make this all problem solution but at present still we see this problems in our surrounding and environment. Most of the causes of that discrimination and racism is given by fear of difference, through ignorance or because people want to be cruel and show that they are stronger. Consequences and effects that appear due to racism and discrimination in some cases from depression, exclusion will even suicide in extreme cases. A person might be discriminated against

because of their race, age ,sex, politics, sexual orientation, gender identity religion look, criminal record, life style clothing disabilities and many other reasons. It can be direct discrimination, indirect discrimination, harrasement , boycott, segregation, discriminatory violence. As a county we are secular, diverse and multi-lingual. India is long for discrimination with lower castes since long. Social interaction have been restricted among people of different castes. Causes of social discrimination is due to poverty, illiteracy, lack of employment facilities, social customs beliefs and practices, social attitude, lack of awareness of women. Prevention of social discrimination only possible by spreading knowledge, education, advertisement and not but least motivating people to love every other people and treat them like there own family.

''भारत में सामाजिक भेदभाव''

शोध निर्देशिका
डॉ. बीना सिंह
(विभागाध्यक्ष) शिक्षा संकाय
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. छत्तीसगढ़
बिलासपुर छ.ग.

शोधार्थी
अमित चन्द्रा
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. छत्तीसगढ़
बिलासपुर छ.ग.

भारत विविधताओं का देश हैं, यहाँ अनादीकाल से ही अनेक जाति, धर्म एवं समुदाय के लोग निवास करते रहे है। प्राचीन काल में इन्हें चार वर्णो क्रमशः ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बांटा गया था, तथा इसी वर्णो के अनुरूप ही उनके कार्यो को बांटा गया था। समय के साथ–साथ विकास के दौर में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार लगातार होते रहें किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आजादी के लगभग सात दशक से भी ज्यादा वितने के पश्चात भी जातीगत भेद भाव और उत्पीड़न की जड़े अभी भी जमी हुई हैं इस दौरान भारत देश में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलें है, राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था का पूरा नक्शा ही बदल चुका है, लेकिन जाति व्यवस्था एक ऐसी बला है जिस पर तमाम परिवर्तनों का कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है। जाति संरचना में इन तमाम बदलाओं के साथ सामंजस्य बनाते हुए अपने मूल प्रकृति को अभी भी कायम रखा हैं और आज भी पूरे भारतीय समाज पर हावी है।

बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुत ही पहले कहा था कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेमानी है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे समाज में वर्तमान में कोई भी इस व्यवस्था को सुधारने के लिए तत्पर नही है। जो जाति विनाश और सामाजिक भेदभाव को दूर करने की बात करता हो। सामाजिक मुक्ति की सारी लड़ाई 'पहचान' 'चुनावी गणित' और आरक्षण जैसे मुद्दो तक सिमट गई है। नतीजे के तौर पर हम देखते है कि 21वीं सदी में आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा भारत सामाजिक रूप से अभी भी सदियों पीछे है।

सामाजिक न्याय के लिए समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया की भूमिका का अध्ययन

सुधीर कुमार उपाध्याय
शोध छात्र, जनसंचार विभाग कुशाभाऊ ठाकरे
पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर

डॉ. प्रमोद कुमार शुक्ल
व्याख्याता एकलव्य आवासीय
विद्यालय, जगदलपुर

संविधान के माध्यम से भारत देश अपने सभी नागरिकों को समानता का वादा करता है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपने सभी नागरिकों को समानता के अधिकार की बात संविधान ने किया है। यह अवश्य झुठलाया नहीं जा सकता है कि अभी भी कई मामलो में असमानता देखी जाती है.। जाति, धर्म, लिंग, जातीयता इत्यादि आधार पर सामाजिक व्यवस्था में असमानता है। सूचना कांति के विस्फोट के बाद सामाजिक बदलावों में मीडिया की भूमिका लगातार बदली है। हाल के बरसों में बदलाव के इन औजारों में सोशल मीडिया भी शामिल हो गया है। छुआछुत, सामाजिक बहिष्कार, ऑनर किलिंग, टोनही प्रताड़ना जैसे मुददों पर चलाए गए मीडिया के अभियानों के चलते अब लोग इन्हें अपराध मानने लगे हैं और सरकारों को कानून बनाकर इस संबंध में अपना रूख स्पष्ट करना पडा है। सामाजिक असमानता के खिलाफ लडाई में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है और सूचना का अधिकार इस लडाई में भी मीडिया का महत्वपूर्ण हथियार है।

भरत में वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था और समाजिक भेदभाव

डॉ. सरिता पाण्डेय
सहा. प्राध्यापक (हिन्दी)
शा. नवीन महाविद्यालय हसौद
जिला – जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

डॉ. माया यादव
सहा. प्राध्यापक (राजनीति)
शा. नवीन महाविद्यालय हसौद
जिला – जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्ण का सामान्य अर्थ है वरण करना रंग एवं वृत्ति के अनुरूप वरण का अर्थ है चुनाव करना अथवा व्यवसाय का निर्धारण करना इस अर्थ के अनुसार विद्वान वर्ण को व्यक्तियों का समूह मानते है ऋगवेद में आर्य तथा दश्यु में अंतर स्पष्ट करने के लिये वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है जिन व्यक्तियों का स्वभाव समान होता है उनसे ही वर्ण का निर्माण हुआ है किन्तु इन सब धारणाओं में वर्ण का अर्थ स्पष्ट नही होता, गीता में श्री कृष्ण जी ने एक स्थल पर कहा है मैने गुण और कर्म के आधार पर चार वर्णो का निर्माण किया है पुराणों में भी अनेक स्थानो पर ब्राम्हण, क्षत्रीय, वैश्य, क्षुद्र को क्रमषः शुक्ल, रक्त, पित्त और कृष्ण कहा है। प्राचीन समाजिक विभाजन ब्राम्हण क्षत्रीयों वैश्यों और क्षुद्रो में था जिसका अंतर निहित उद्देश्य समाजिक संगउन संवृध्दि सुव्यवस्था को बनाये रखना था। प्राचीन आदर्श वर्ण व्यवस्था यद्यपि आज पुर्णतया विक्रित हो चुकी है और आज इसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। चारो वर्णो में ब्राम्हण और क्षत्रीय को लगभग समान्य महत्व दिया जाता है।

वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म अथवा कर्म यह एक बड़ा ही विवादास्पद विषय है। यदि हम वर्ण व्यवस्था का विश्लेषण करते है तो पता चलता है कि वे तो राष्ट्रोथान, समाजोथान एवं आत्मनोथान की बहुत सुन्दर व्यवस्था है क्यो कि वर्तमान में हम देखते है कि जो व्यक्ति जिस कुल में पैदा हो जाता

है वह सदा उसी कुल का माना जाता है जबकी वर्ण व्यवस्था में इसकी विपरीत व्यवस्था है यहा जन्म से वर्ण प्राप्त नही होता अपितु कर्म से प्राप्त होता है। क्षुद्र भी यदि प्रयत्न करके अध्ययन अध्यापन करता है तो सामाज में उच्च वर्ण प्राप्त कर सकता है, इसके विपरीत यदि ब्राम्हण भी शुद्र का कार्य करता है तो वह क्षुद्र वर्ण प्राप्त हो जाता है। यहा वर्ण इसके कर्म व प्रयत्न से प्राप्त होता है। जिसके कारण परस्पर निरंतर प्रतिस्पर्धा होती थी और समाज का सर्वांगिण विकास होता था इस प्रकार गुण कर्म के अनुसार हमारे यहा वर्णो का विधान है, गुण कर्म ही आदर तथा उच्चता के माप दंड है गुण ही व्यक्ति को सामाजिक सम्मान दिलाता है जो व्यक्ति वेदो का अध्ययन करें, सुचिता का पालन करे, मानव कल्याण में रत हो, व जिसकी वृत्ति सात्विक हो वह ब्राम्हण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक स्वस्थ समाज में गुण का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें व्यक्ति अपने प्रतिभा के बल पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समाज में व्याप्त भेद भाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

सामाजिक न्याय और गांधी की पत्रकारिता

डॉ. अख्तर आलम
सहायक प्राध्यापक, जनसंचार विभाग,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी वि.वि., वर्धा

गांधी और गांधी का दर्शन दोनों ही अन्याय और शोषण की समाप्ति शांतिपूर्ण व अंहिसात्मक उपाय द्वारा करने को प्रतिबद्ध हैं, और गांधी ने यही किया भी। पीड़ित और पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए गांधी ने हरिजन नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था. सामाजिक न्याय के लिया आज भी आन्दोलन जारी है. दरअसल औद्योगिक क्रांति के समय से श्रमिकों के प्रति पूंजीपतियों के शोषण के विरोधस्वरूप इस अवधारणा का विकास हुआ था। सामाजिक न्याय की अवधारणा उसी पर आधारित है। उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में उपनिवेशी शासन के खिलाफ़ विश्व के विभिन्न प्रांतों में आवाजें उठीं और नए–नए स्वाधीन राष्ट्रों की स्थापना हुई। लेकिन गांधी इसका उपाय चरखा, खादी, गांधी टोपी तथा संचार के माध्यम के रूप में देखते थे और यह प्रतीक आज भी समाज को एक जुट करने एवं सबको समान अधिकार का सन्देश देता है।

समाज का हर तबका चरखा चलता था, खादी के कपडे पहनता था, गांधी टोपी लगता था तथा जो कुछ भी गांधी जी से संचारित होता था उसे मानता था. हालाँकि गंदी का संचार द्वि–चरणीय नहीं था फिर भी समानता, समरसता और सामाजिक न्याय करता था. चार्निया नही था, गांधी कहते थे और जनसमूह उसे मान लेता था तथा अमल करता था. गांधी जी ने 'इंडियन ओपिनियन' का संपादन भी भारतीय मूल के लोगों को स्वतंत्र जीवन का महत्व समझाने के उद्देश्य से किया था।

भारत में लोकतंत्र एवं जातिवाद

डॉ. श्रीमती रीना तिवारी
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,
डॉ. सी.वी. रामन विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

श्रीमती श्वेता चतुर्वेदी
शोध छात्रा (शोध छात्रा)
डॉ. सी.वी. रामन विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

भारतीय लोकतन्त्र में सबसे ज्यादा विघटनकारी तत्वों में जातिवाद का प्रमुख स्थान है। प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक सरंचना तथा सामाजिक व्यवस्था वर्ण, कर्म, धर्म के सिद्धान्त पर आधारित थी। इन सभी सिद्धान्तों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। अपितु ईश्वरीय मान्यताओं पर आधारित थी यही वर्ण व्यवस्था आगे चलकर परिवर्तित होते गई तथा धीरे–धीरे जाति व्यवस्था के रूप में आ गई। जिसने सम्पूर्ण भारतीय समाज को अंगणित छोटे–छोटे आत्म केन्द्रित टुकड़ों में विभाजित कर दिया फलस्वरूप राष्ट्रीयता के मार्ग में अनेक बाधायें उत्पन्न हो गई। किसी भी राष्ट्र के विकास में एकता, भाईचारा, राष्ट्रीयता की भावना, स्वतन्त्रता, समानता का होना आवश्यक है। वहीं पर जातिवाद के अन्तर्गत व्यक्ति अपनी जाति तथा धर्म तक ही केन्द्रीत हो जाता है जिसका परिणाम निरन्तर सामाजिक संघर्ष तथा सामाजिक विघटन के रूप में सामने आता है। यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा, कि जाति व्यवस्था तथा जातिवाद दोनों भिन्न अवधारणायें हैं।

"भारत में जाति व्यवस्था एक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था के रूप में मान्यता रही है। जिसके द्वारा समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यवसाय, तथा पारस्परिक संबंधों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था "।

भारत में वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव

दीपक कुमार कश्यप, छात्र
कांशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

भारत के सामाजिक इतिहास में वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है ,जो सामाजिक विभाजन के रूप में वैदिक काल से आज तक निरंतर प्रवाहमान है । वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज व्यवस्था का मुख्य अंग है रामराज्य जिसकी कल्पना आज भी की जाती है, उसके मूल में वर्ण व्यवस्था ही थी। भारत में परंपरागत वर्ण व्यवस्था के मुख्य दो आधार है। प्रथम किसी वर्ण विशेष में मनुष्य का जन्म उसके गुण और कर्म का सम्मिलित फल हैं और दूसरी और उनका धर्म इस प्रकार निर्धारित है कि अपनी सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए भी व्यक्ति सकर्मों के द्वारा अपने भविष्य तथा गुण को बदल सकता है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जातिगत वर्ग तथा सामाजिक संरचना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के अनुरूप स्थान मिलता है। श्री कृष्ण ओझा के अनुसारः– "इस व्यवस्था के अंतर्गत कर्म का प्रधान स्थान है तथा प्रत्येक वर्ण का अपना विशिष्ट कर्तव्य है यह नियम और कर्तव्य वर्णों के नैतिक कर्तव्य या वर्ण धर्म के नाम से विख्यात है।" सामान्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्ण का अपन–अपना काम निर्धारित था।

प्रारंभ में शुद्र वर्ण के अंतर्गत विजित अनार्य रखे गए थे, इन्हें निम्नतम समझते हुए भी आर्यों ने अपने सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें स्थान दिया था । और इस प्रकार समाज के शारीरिक सममूल्य आवश्यकताओं की पूर्ति की टीस शूद्रों पर सवर्ण जातियों के सेवा कार्यों का भार डाल कर व्यवस्थाकारों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण को अपेक्षाकृत निश्चिन्त बना दिया था । जिससे भी समाज की अन्य उच्चतर आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके । शुद्र वर्ण व्यवस्था अंतर थी अपनी जीविका हेतु उसे दो जातियों पर निर्भर रहना पड़ता था ।

वर्ण विभाजन से समाज में जाति व्यवस्था का अस्तित्व है । आज हमारे समाज में कई जातियों का अस्तित्व है, जाति व्यवस्था के कारण ही जातिवाद की गंभीर समस्या ने अपना रूप धारण कर लिया है। जातिवाद के कारण उच्च वर्ग के लोग दलित वर्ग छुआछूत का भेदभाव करते हैं। आज के परिवर्तित समय में व्यक्ति की सोच में भी निरंतर बदलाव आ रहा है। शहरीकरण, व्यक्तिवाद, आर्थिक समस्या तथा व्यक्तिगत स्वार्थ जैसे कई कारणों से परिवारिक समस्या बढ़ने लगी है। आज के समय में जाति व्यवस्था का स्वरूप निश्चित रूप से बदला हैं, लेकिन आज के ग्रामीण समाज में आज भी यह व्यवस्था व्याप्त है, जो कि निश्चित ही सामाजिक विकास में बाधक सिद्ध होगा।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अँचल में सामाजिक भेदभाव के प्रति सोशल मीडिया की भूमिका पर अध्ययन (वाट्स एप के विशेष संदर्भ में)

डॉ.आनंद पहारिया (सह--प्राध्यापक)
खूबचंद साहू (तकनीकी सहायक)
एमिटी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर

शोध सार

मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। संचार करना मनुष्य का स्वभाव है, जिसके कारण वह अपने आप को समाज के साथ जोड़ कर रख पाता है। सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति के सोच और संचार का प्रभाव पुरे समाज को प्रभावित करता है। भिन्न धर्म,जाति, सम्प्रदाय,वर्ण विविधता के साथ भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बाद मीडिया को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। भारत में पत्रकारिता का उद्देश्य समय के साथ बदल गया है। आधुनिक बदलाव ने पत्रकारिता के माध्यम को भी बदल दिया। 90 के दशक के बाद मोजो (मोबाइल जर्नलिज्म) ने हर व्यक्ति को पत्रकार बना दिया। मोजो व सोशल मीडिया के द्वारा प्रदत्त मंच ने हर उपयोग कर्ता को अपने स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ति को प्रेषित करने लिए सहजता व स्वतंत्रता दी है। आधुनिक होने और सहजता से उपलब्ध होने के कारण सोशल मीडिया वर्तमान में सशक्त माध्यम है । सोशल मीडिया का उपयोग एक तरफ जहाँ समाज के विकास में सहायक है, वही इसका दुरुपयोग समाज को गर्त में भी ले जा सकता है। प्रस्तुत शोध पत्र में सामाजिक भेदभाव के प्रति सोशल मीडिया की भूमिका का अध्ययन किया जा रहा है।

संकेत शब्द : सामाजिक भेदभाव, संचार, पत्रकारिता, मीडिया, सोशल मीडिया, मोजो।

MOB LYNCHING IN INDIA - PROBLEMS AND ISSUES

VIDHI SHAMBHARKAR
Assistant Professor, (Law)
Guru Ghasidas Central University, Bilaspur(CG)

Lynching is a premeditated extrajudicial killing by a group. It is most often used to characterize informal public executions by a mob. In india nowadays it become a trend and a very serious problem. So many cases about that we are hearing today. The rule of Law is the soul of India's constitution and laws. But for such reasons those native Indians who have not had their self esteem crushed from them by the Indian Republic, take the Law into their own hands. Now it has taken a political thought and people are using it for their own advantages. You can refer to a group of people as lynch mob if they are very angry with someone because they believe that person has done something bad or wrong. Now mob lynching is became a big danger for our Law an Order and our society. The theme of our preamble(Indian Constitution) says the term "we the people of India" and with this kind of activities our nation's strength and brotherhood is highly affected. Mob lynching in India is apparently having started to threaten the social and economic fabric of the country. In this paper we'll discuss about this problem and analyiz the harmful effects.

KEYWORDS- Mob Lynching, Extrajudicial, Indian Republic, Law and Order, Indian Constitution

---

आरक्षण से जन्मा वैचारिक मतभेद एवं सामाजिक अस्पश्यता

किरण पाटले
एम.एड. तृतीय सेमेस्टर
गुरू. घासीदास. वि. वि. बिलासपुर (छ.ग.)

भारतीय संस्कृति विश्व के सबसे समृद्ध संस्कृति में से एक मानी जाती है। क्योकि भारत अनेकता में एकता के गुणो को सामाहित की हुई है। भारत में विभिन्न जाति धर्म सम्प्रदाय भाषा के लोग निवासरत है, जिनके अपने अलग–अलग जीवन शैली, मूल्य, आस्था व विश्वास है ज्ञात हो कि वर्तमान में यदि कोई समुदाय की स्थिति उन्नत है। वह उनके पूर्वजों को प्राप्त अवसर, स्वतंत्रता, संयोग का परिणाम होती है, यदि इतिहास पर जाये तो ज्ञात होगा स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्त्री व पुरूष के कार्य का विभाजन (अध्यात्म, शिक्षा, युद्ध, व्यवसाय, कृषि, सेवा कार्य, विवाह) वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। इस वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को कई हजार सालों तक शिक्षा व स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। एक ओर शिक्षित वर्ण तेजी से प्रगति की वही दूसरी ओर अशिक्षित वर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में पिछड़ते गये। स्वतंत्रता पश्चात् भी शूद्रों के साथ सामाजिक भेदभाव व अपमान जारी रहा तब भारतीय संविधान में असमानता को दूर करने व जीवन स्तर को ऊँचा उठाने हेतू विशेष वर्ग (अनु. जाति व अनु. जनजाति) को दस वर्ष की आरक्षण व्यवस्था को लागू किया। आज के वर्तमान परिपेक्ष्य में आरक्षण राजनैतिक दलो को वोट बैंक का मूद्दा बन गया है, जिससे आरक्षण के मूल भावना की

उपेक्षा हुई, इसके अलावा आनारक्षित वर्ग व आरक्षित वर्ग के मध्य आरक्षण मुद्दे पर वैचारिक मतभेद ने जन्म लिया। जिसका प्रभाव पूनः अस्पृश्यता पूर्ण व्यवहार, जीवन शैली में परिलक्षित होने लगा। आरक्षण एक सकारात्मक पहल है परन्तु इसके दुरूपयोग भी हुये। तद्नुसार आरक्षण से सामाजिक अस्पृश्यता बढ़ी या कम हुई लेखिका इन बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहती है।

मुख्यबिंदु– आरक्षण, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सामाजिक भेदभाव, भारतीय संविधान, मनोविज्ञान।

भारत में जाति, वर्ग विभेद एवम् समाजिक सद्भाव के प्रयास

अभिषेक अग्रवाल
शोध छात्र इतिहास विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ. श्रद्धा गर्ग
सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र विभाग)
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

भारत में वर्ण, वर्ग तथा जाति व्यवस्था ऐतिहासिक काल से विद्यमान हैं। वर्ग विभेद के दो पुराने छोर आज भी समाज में नए रूप में सक्रिय हैं। हमारे समाज में दलितों की सांस्कृतिक भागीदारी पहले तो निषिद्ध थी ही, वह आज भी निषिद्ध है। यह जरूर है कि इस निषेध ने दूसरा रूप ले लिया है।

ऋग्वैदिक काल से ही समाज में वर्ण व्यवस्था तथा वर्ग विभेद विद्यमान था, किन्तु यह अपने जटिल रूप में उत्तर वैदिक काल तथा उसके बाद के काल में आया। यद्यपि गुप्त काल के पश्चात् उसमें कुछ हद तक शिथिलता आयी। प्राचीन समय से लेकर अब तक विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा परम्परागत वर्ण–व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था को दूर करने का सार्थक प्रयास किया। इनमें सर्वप्रथम नाम गौतम बुद्ध का आता है, इन्होंने मानव मात्र की समानता तथा सामाजिक सद्भाव का सन्देश जनता तक पहुंचाया। इसी क्रम में मध्यकाल में भी विभिन्न सूफी सन्तों तथा भक्ति आन्दोलन के दूत रामानन्द, कबीर, नानक आदि सन्तों ने जाति प्रथा का विरोध किया तथा निम्न जाति के उत्थान के लिए कार्य किया। इसी प्रकार आधुनिक काल में भी राजा राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक समानता के लिए प्रयास किया तथा उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप ही संविधान में समाज के शोषित वर्गों के लिए उपबन्ध किये गए हैं।

यद्यपि समय–समय पर विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा मानव मात्र की समानता तथा सामाजिक सद्भाव का सन्देश दिया किन्तु फिर भी वे पूरी तरह इस विभेदकारी समाज को बदलने में नाकाम रहे। भारत में शताब्दियों से अस्पृश्य जातियाँ रहीं हैं। विभिन्न धार्मिक सुधार आन्दोलनों द्वारा इस घृणित सामाजिक कुरीति के समाधान हेतु प्रयास किए गये, किन्तु उनका प्रभाव अपूर्ण, अस्थायी सिद्ध हुआ और जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान है।

वर्तमान समय की यह आवश्यकता है कि समाज से इस वर्ग–विभेद, जाति–व्यवस्था तथा अस्पृश्यता को दूर करने का कार्य किया जाए तथा सामाजिक समानता के प्रयास किए जाएँ।

सामाजिक न्याय का महत्व

डॉ. श्रीमती सुनीला एक्का
सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र)
शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

वैदिक कालीन समाज में व्यक्तियों की प्रस्थिति उसके गुण एवं कर्म पर आधारित थी, किन्तु उत्तर वैदिक काल में इसमें गिरावट आई और गुण कर्म नहीं, बल्कि जन्म के आधार पर लोगों की प्रस्थिति तय की जाने लगी। इसके पश्चात् मुगलकाल तथा ब्रिटिश काल में कुछ सामाजिक विधान बनाए गए, जिससे सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सकें। स्वतंत्रता के पश्चात् भी ऐसे ही विधान लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बनाए गए।

सामाजिक न्याय से तात्पर्य समानता के आधार पर पुरस्कार तथा ट्रेंड की व्यवस्था से है। समाज बिना किसी जाति–पांत, वर्ग–भेद और लिंग भेद के व्यक्तियों के गुणों के आधार पर यदि प्रस्थितियों का वितरण करता है, तो उसे हम सामाजिक न्याय कह सकते हैं। सामाजिक न्याय की भावना के कारण ही समाज में निर्बल और सशक्त व्यक्ति एक साथ रहकर अपना–अपना जीवन यापन कर पाते हैं।

सामाजिक न्याय का महत्व

सामाजिक न्याय भारतीय संविधान की नींव का पत्थर है। स्वतंत्रता के पश्चात् एक ऐसी विधान की जरूरत समझी गई, जिससे लोगों को सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। इस कार्य के लिए दलित एवं उपेक्षित वर्ग से संबंधित डॉ. बी.आर. अंबेडकर को चुना गया, जिन्हें भारतीय संविधान में प्रारूप समति के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। डॉ. अंबेडकर ने प्रमुख शिल्पी के रूप ऐसे संविधान का निर्माण में विशेष योगदान दिया, जिससे उपेक्षित वर्ग को भी समानता का अवसर मिल सकें।

सामाजिक समानता के अग्रणी दूत - स्वामी विवेकानन्द

अंजली
एम.ए. (इतिहास)
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

स्वामी विवेकानन्द (1863–1902) भारत की एक महान आत्मा थे, जिनके प्रति वर्तमान पीढ़ी ऋणी है और भावी पीढ़ी सदैव ऋणी रहेगी। स्वामी विवेकानन्द ने अपने कर्मठ और तेजोमय जीवन तथा गहन आध्यात्मिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक विचारों की छाप विदेशों तक छोड़ दी। वह संसार के लिए एक ऐसी संस्कृति की परिकल्पना करने थे जिसमें पश्चिम का भौतिकवाद तथा पूर्व का आध्यात्मवाद का ऐसा सामंजस्यपूर्ण सम्मिश्रण हो जाएगा, जो समस्त संसार को प्रसन्नता देगा।

स्वामी विवेकानन्द जी का आध्यात्मिक चिंतन वैचारिकी और मानववादी दर्शन अन्य विचारकों से बहुत भिन्न है। उनका मत है कि व्यक्ति समाज की इकाई है, उसे मानव प्रेमी होना चाहिए फिर व्यक्ति–व्यक्ति में दूरी, अलगाव, भेद, द्वेष और घृणा कैसी। उनका कहना था कि "मनुष्य–मनुष्य में कोई भेद नहीं, इस षिक्षा को समझाने का उनका ढंग यह था कि मनुष्य मानो, केवल तकिए का गिलाफ हैं। गिलाफ जैसे भिन्न–भिन्न रंग और आकार के होते हैं, वैसे ही मनुष्य भी कोई सुरूप, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई दुष्ट होता है, बस इतना ही अन्तर होता है। पर जैसे गिलाफ में एक ही पदार्थ कपास भरा होता है, उसी के अनुसार, सभी मनुष्यों में वही एक सच्चिदानन्द भरा हुआ है।" वे मानते थे कि सभी जाति और वर्ग के व्यक्ति समान हैं तो सभी धर्म भी समान हैं।

स्वामी जी समाज को एक सावयव मानते थे। उनका विचार था कि "अनेक व्यक्तियों का समूह समष्टि (सम्पूर्ण) कहलाता है और अकेला व्यक्ति उसका एक भाग है। आप और हम अकेले व्यष्टि हैं समाज एक समष्टि है। "स्वामी जी का कर्मानुसार फल में गहन विश्वास था और इसलिए उन्होनें माना कि किसी विशेष समाज के व्यक्ति का जन्म उसके पिछले कर्मों के आधार पर होता है। स्वामी जी सामाजिक संगठन और सामाजिक मामलों में धर्म की उपस्थिति पसन्द नहीं करते थे और इसी कारण वे जात–पाँत, सम्प्रदायवाद और छुआछूत तथा सब तरह की विषमताओं के विरूद्ध थे। स्वामी जी ने अस्पृश्यता तथा रूढ़िवादिता की भर्त्सना की। स्वामी जी ने बाल–विवाह का विरोध, स्त्री शिक्षा का समर्थन, जाति प्रथा तथा पुराहितों के पुरातन अधिकारवाद का खण्डन कर सामाजिक समानता में विशेष योगदान दिया।

Sociological Aspects of Physical Activity

Bhoj Ram Rawte Shalini Menon Ajay Kumar Pandey

Assistant Professor, Dept. of physical education, GGV, Bilaspur (C.G)

We are living in an era where society, culture and science have become increasingly aware of the importance of physical activity and sport as a part of mass culture, individual health & social well - being. Physical activity level of people play a significant role much more in scientific interest regarding the way of life of contemporary society, process of managing healthy and active life style, quality of life and health in general. The indispensable role of physical activity in prevention of obesity in life of human mankind is scientifically confirmed and is established in numerous studies. Major population of youth & adulthood have entered the physical inactive lifestyle, which is due to lack of social behaviour & socialization process and this has lead to sedentary lifestyle. At present people face various habits in today's cultural settings. People tend to be more individualized, lack of interest in community activities, physically inactive lifestyle, and lack of active sport participation. The country Czech Republic is on the top level of massive sport participation, strongly influenced with the existence of new development of the structure of city, including fitness centres, roller skates stadiums, beach volleyball playing fields, golf courses. The support of sport over all nationwide is divided into different categories such as support of top sports, performance oriented sports and new waves in the field of sports (e.g. sports for all), sports for school, which are also conducted on the regional level (and by the various sport organizations) subsidized from other sources and, moreover, not co-ordinately.

Key Words: Physical activity, sport, obesity, society, socialization and built environment

LEGAL RECOGNITION OF TRANSGENDER PEOPLE IN INDIA – STRIVING FOR EQUAL RIGHTS

Disha Atri*

Transgender people are individuals of any age whose physical appearance, personal characteristics, or behavioural patterns deviate from the established norms which the society uses to determine one's gender. Transgender people have existed in every culture, race, and class since the story of human life has been recorded. Currently the term 'transgender' is used as a common term for various other kinds of identities, such as transsexuals, cross-dressers, inter-sexed individuals, etc. In India there are a number of socio – cultural groups of transgender people like hijras, kinnars, and other transgender identities like shiv-shaktis, jogtas, jogappas, Aradhis, Sakhi, etc. In a highly gender-biased society like ours, where the female – recognised and identified as a gender – are struggling to have equal rights, the possibility of having equal rights for the transgender people seems like a far fetched dream.

Apart from social stigma, they also come face to face with several ground realities, such as deprivation of social and economic rights, discrimination in education and employment, trafficking, etc. which is uncalled for any human. India has been struggling with creating a gender neutral environment for the population facing discrimination. Laws in India do not provide room for them to reaffirm their rights, howsoever significant they may be. The paper focuses on the present situation in the country regarding the recognition of rights of Transgender people and the legal status of the community, discussing the various legislations as well as certain decided cases.

समाज में प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियाँ एवं सामाजिक भेदभाव

अनामिका तिवारी

वैदिक युग के काल में महिलाओं का समाज में बहुत आदर सम्मान था। उन्हें सामाजिक रुप से बौद्धिक रुप से एवं नैतिक रुप से पुरुषों के समान माना जाता था। उन्हें विवाह, शिक्षा से संबंधित पहलुओं पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। पर समय बदलता गया और मध्यकालीन युग तक आते आते महिलाओं की दशा खराब होती गयी।

मानव जाति के सृजन से लेकर विकास क्रम को चरमोत्कर्ष अवस्था तक पहुंचाने में महिलाओं की भूमिका पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक है। परिवार, समाज, राजनीति, प्रशासन आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं के पूर्ण योगदान के बावजूद उनकी स्थिति द्वितीय श्रेणी की हो जाती है। हमारे देश में अभी भी जन्म से लेकर मृत्यु तक हर स्तर पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। यह हमारे समाज की दोहरी मानसिकता ही है कि एक पक्ष हमारे धर्म और संस्कृति में स्त्री को देवी स्वरुपा मानकर पूजता है लेकिन वहीं उनके व्यक्तिगत जीवन में एक इंसान के रुप में दर्जा देने के सवाल पर कतराते रहते हैं। इसका प्रमाण है कि सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक में एजेण्डा 2030 के अंतर्गत 17 सतत् विकास लक्ष्यों को रख गया जिसमें भारत सहित 193 देशों ने स्वीकारा, महिला और पुरुष समाज के मूलाधार हैं। सुंदर और सुरक्षित समाज की वो नींव हैं जिसपर विकास रुपी इमारत बनाई जा सकती है।

DISCRIMINATION

Mamta Sahu
Ph.D. Scholar (Microbiology)
Dr. C.V. Raman University Kota, Bilaspur (C.G.)

In human social affairs, discrimination is treatment or consideration of, or making a distinction towards, person based on the group, class, or category to which the person is perceived to belong. These include age, colour, convictions for which a pardon has been granted or a record suspended, disability, ethnicity, family status, gender identity, genetic characteristics, marital status, nationality, race, religion sex, and sexual orientation.

Discrimination consists of treatment of an individual or group, based on their actual or perceived membership in a certain group or social category, "in a way that is worse than the way people are usually treated".

भारत में सामाजिक भेदभाव पर संवैधानिक हस्तक्षेप एवं विधिक उपचार

मोहम्मद वसीम अकरम मोमिन
सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान
श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा (छ.ग.)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना उसका स्वभाव है। अपने इस स्वभाव के कारण ही मनुष्य अपने साथी अन्य मनुष्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है। यही सम्बन्ध मानव की क्रियाओं को नियन्त्रित एवं मर्यादित करते है। भारत में शताब्दियों से एक वर्ग विशेष को निचले पायदान पर रखा जाता रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व डॉ. भीमराव अम्बेड़कर के प्रयासों से उपेक्षित, पीड़ित, कमजोर एवं शोषित करोड़ो लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए। भारतीय संविधान ने इस वर्ग को न केवल बराबरी का दर्जा दिया, अपितु शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों तथा विधानमंड़ल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में आरक्षण देकर उन्हे समाज की सम्पन्न जातियों के समकक्ष लाने का प्रयास किया। भारतीय संविधान ने महिलाओं के प्रति लम्बे समय से चले आ रहे भेदभाव को समाप्त किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह व्यवस्था की गई कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक से भेदभाव न किया जाए। विधिक एवं संवैधानिक संरक्षण प्रदान कर उपेक्षित, पीड़ित, कमजोर एवं शोषित लोगों के भीतर राजनीतिक चेतना एवं अधिकारों के प्रति संघर्ष की क्षमता का विकास किया गया। साथ ही सदियों से पुरूषों के अन्याय, शोषण और उत्पीड़न का शिकार हो रही महिलाओं में चेतना जगाना एक बड़ी उपलब्धि है। मानवता के आधे हिस्से पर सदियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किए गए उत्पीड़न के विरूद्ध नारी प्रतिरोध के रूप में नारी जागरण होना एक सभ्य समाज का संकेतक है। इन दोनों वर्गों के भीतर जगी चेतना में ही नए समाज के पुनर्गठन की सम्भावना देखी जा सकती है। या फिर यों कहें कि नव भारत का सपना साकार हो सकता है। एक ऐसा भारत जिसमें सभी मिलजुल कर रहें। जिसमें कोई बड़ा या छोटा ना हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों एवं संविधान सभा के सदस्यों का स्वप्न था।

Marriage and Caste Killing In India

SangyaTripathi
Assistant Professor
Department of Social Work
Guru GhasidasVishwavidyalaya Koni, Bilaspur (C.G.).

Marriage is an institution where woman and man united with each other for mating and reproduction. Indian Society marriage is very complex issue. A person cannot marry of their choice due to the structural rules. Woman and Man must belong to endogamous group. The Indian Society follows Jati endogamy .In Indian Societyif Man or Woman married beyond the caste family members think that they brought Shame or dishonor upon the family and the couples or man from lower caste can be murdered for the sake of caste. People thinks that their honor can be restored by killing the Couple who has crossed the boundaries or responsible for shame.

If Woman belongs to upper caste and Man belongs to lower caste man can be murdered People of Indian society use the term honor killing but this not honor killing this is shame killing or caste based murder because in several cases lower caste person killed for marrying upper caste person. In India people think that caste killing is not crime. People of India need to realize that caste killing is very serious crime it is not part of our culture. Recently On 14 September, PranayPerumalla a Dalit was murdered in front of his wife, Amrutha, in an alleged honourkilling in MiryalagudaTelangana.A newly married couple was attacked by the woman's father with a sickle, injuring her and her husband seriously in Hyderabad's SR Nagar area on Wednesday evening. There were many couples murdered on the name of ugly caste system and honour.Caste/honor killingis cognizable crime so government should bring strict law to stop murder on the name of caste and honour.

Key Words:Dalits, Marriage,Endogamy,Jati,Honour Killing

लिंग आधारित भेदभाव का समाज पर प्रभाव

मंजरी ग्वाले
पी एच. डी. स्कालॅर (समाज कार्य) विभाग,
डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यायलयं, कोटा, बिलासपुर छ. ग.

महिलाएं साधारणतया प्रत्येक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जिनकी संख्या लगभग पुरूषों के समान ही है। जहां तक भारतीय समाज का प्रश्न है, स्त्रियों की स्थिति काफी उच्च रही है विशेषतया हिन्दू समाज में पुरूश के अभाव में स्त्री को, स्त्री के अभाव में पुरूश को अपूर्ण माना गया है। इसी कारण हिन्दू समाज में स्त्री को पुरूष की अर्धांगिनी कहा गया है। परन्तु स्मृतिकाल, धर्मशास्त्रकाल तथा मध्यकाल में इनके अधिकार छिनते गये और पुरूषों की तुलना में इनकी स्थिति में गिरावट आई। इन्हें परतन्त्र, निस्सहाय और निर्बल मान लिया गया। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक लिंग आधारित भेदभाव देखने को मिलता है। लड़की को शारीरिक एवं मानसिक रूप से लड़के की अपेक्षा कम शक्तिशाली एंव कमजोर समझा जाता है। भेदभाव की यह भावना बाल्यावस्था से उनके मन में घर कर जाती है कि वह कमजोर है। वह किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम नहीं है। कई संवैधानिक नियमों के निर्माण के बाद भी भेदभाव रहित समाज में महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है न घर पर और न घर के बहार। वे घर में घरेलू हिंसा, देहज प्रताड़ना, देहज हत्या, एंव लैगिंग शोषण

की शिकार है तो घर के बाहर कार्यस्थल पर यौन शोषण, सार्वजनिक स्थानों पर छेडछाड़, यौन हमले, अपहरण, व्यपहरण आदि अपराधों की शिकार है। उनके विरूद्ध कारित यह अपराध समाज में उनके लिये भय एंव असुरक्षा का वातावरण निर्मित करते है जो उनके स्वतंत्र बर्हिगमन को बाधित करता है।

Role of social media and journalism towards social discrimination

Rajshree Kumbhaj
(Research scholar)

Kusumkanti Kujur
(Research scholar)

Social media enable individuals to bring personal experience into the public domain with the potential to affect public attitudes and mainstream media. The rapid expansions of the use of social media has changed society in many ways and it also impacts the workplace. Media has a great responsibility in the realization of equality. Media and journalism of today is playing an outstanding role in creating and shaping of public opinion and strengthening of society.

आजाद भारत में सामाजिक भेद-भाव

प्रशांत उपाध्याय
शोधार्थी
डॉ. सी.व्ही रमन विश्वविद्यालय
करगी रोड़, कोटा, बिलासपुर

मानव अधिकार के लिए बनाया गया कानून भेद–भाव की दीवार को कुछ हद तक ढाने में कामयाब हुआ है। अमरीका में भेद–भाव के खिलाफ कानून पारित किए गए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को गैरकानूनी करार दिया गया। हालाँकि दुनिया के कुछ हिस्सों में अभी–भी लोगों को गुलाम बनाया जाता है, मगर ज़्यादातर जगहों पर इसे गैरकानूनी करार दिया गया है। अदालतों ने ऐसे फैसले सुनाए हैं जिनकी वजह से कुछ देशों में आदिवासियों को ज़मीन पर कानूनी हक दिया गया। भेद–भाव के विरोध में बनाए गए कई कानूनों की वजह से कुछ निम्न वर्ग के लोगों को पैसे की मदद मिली है या उनकी ज़रूरतें पूरी की गयी हैं। आजाद भारत में भी समाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए प्रभावषाली तौर तरीके अपनाये गये है। नये–नये कानून बनाये गये है। लेकिन आज भी वे कारगार साबित नजर नहीं आते।

सामाजिक भेद–भाव खत्म हो चुका है? सच पूछो तो ऐसा नहीं है। हालाँकि समाज के कुछ भेद–भाव धीरे–धीरे खत्म हो रहे हैं मगर इनकी जगह नए किस्म के भेद–भाव उभर रहे हैं। किताब क्लास वॉरफैर इन द इनफॉर्मेशन एज कहती हैः "आज लोगों को पूँजीपतियों और कर्मचारी वर्ग में बाँटा नहीं जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आज समाज में भेद–भाव नाम की चीज़ नहीं है बल्कि ये वर्ग अब और भी छोटे–छोटे समूहों में बँट गए हैं, जिनमें आपस में बहुत गुस्सा और अशांति है।"

मानव समानता के इस खयाल को हकीकत में बदलना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इंसानी स्वभाव। दूसरे शब्दों में कहें तो लोग उनके बराबर पहुँचना चाहते हैं जिनका समाज में ऊँचा रुतबा है; लेकिन अपनी सुख–सुविधाओं को त्यागकर नीचे दर्जे के लोगों को अपने बराबर पहुँचने का मौका नहीं देते।

भारतीय परम्परा के अनुसार पुराने ज़माने में लोग जिस घर में जन्म लेते थे, उसी के मुताबिक उन्हें आम वर्ग, ऊँचे खानदान या शाही घरानों में बाँट दिया जाता था। ऐसा भेद–भाव आज भी कुछ जगहों पर कायम है। लेकिन ज़्यादातर जगहों में पैसे से एक इंसान की हैसियत आँकी जाती है कि कौन निम्न वर्ग का है, कौन मध्य और कौन ऊँचे वर्ग का है। इसके अलावा, एक इंसान की जाति और कि वह कितना पढ़ा–लिखा है, इस आधार पर भी भेद–भाव किया जाता है। और कुछ जगहों पर तो खासकर लिंग के आधार पर भेद–भाव किया जाता है जिसमें औरतों को नीचा समझा जाता है और यह किसी आजाद और प्रजातांत्रिक राश्ट्र के लिए बड़ी शर्म की बात है। और इन समस्याओं से समाज को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रहितैशी विचारकों द्वारा राष्ट्रनीति बनाये जाने की आवश्यकता है।

Gender Based Discrimination in Higher Education

Dr. Shivani Diwan
Assistant Professor, Department of Education
Dr. C. V. Raman University, Kota, Bilaspur

Introduction

Today's situation in Higher Education is far away from an equal participation of women and men in the different stages of the higher education career. The distribution of power and financial means is not the same for women and men as well as the personal benefits that result out of the education. This is a direct result of the biased situation in society, which is has a lot of benefits reserved for men, but also due to the old structures and the atmosphere within the institutions of higher education. Gender inequalities, and their social causes, impact India's sex ratio, women's health over their lifetimes, their educational attainment, and economic conditions. Higher education plays a key role in shaping society and building active citizens. A lot of the people who will take powerful roles in a society have a background in higher education. This implies that a gender equal higher education has also a very huge long term impact on the gender equality within the society. Gender inequalities, and their social causes, impact India's sex ratio, women's health over their lifetimes, their educational attainment, and economic conditions. Gender inequality in India is a multifaceted issue that concerns men and women. Discrimination violates the fundamental human right to freedom from discrimination. Females of our country have faced the discrimination for ages now and still continue to exist in various forms. Any denial of equality, gender and opportunity on the basis of gender is gender discrimination.

तृतीय लिंग की समस्याएं

माधवीतला दुबे
प्राध्यापक समाजशास्त्र
भोपाल

समाज में कई तरह की असमानतायें विद्यमान होती हैं जैसे प्रजाति, स्त्री–पुरूष असमानता, आय की असमानता। इनके अलावा एक और असमानता है जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विद्यमान है वह समस्या है गरीबी, भेद–भाव, उपेक्षा से झूझती 'तृतीय लिंग समुदाय की समस्या'। एक ओर सामाजिक विकास और परिवर्तन के दौर में समाज में लोगों की तार्किक क्षमता का विकास हुआ है। समाज ने तरक्की की ऊँचाईयों को भी छुआ है वहीं दूसरी ओर लिंग, नस्ल, धर्म, जाति के कठघरे में समाज की विभाजित मानसिकता की जड़े अत्यंत गहरी हैं।

तृतीय लिंग के प्रति मानवीय दृष्टिकोण के अभाव में इस समुदाय के लोगों की समस्याऐं अधिक जटिल हैं। समाज में इन्हें कई नामों जैसे हिजड़ा, ख्वाजसारा, किन्नर, छक्का, नपुंसक आदि उपनामों से पुकारा जाता है। तृतीय लिंग के लिये अलग–अलग स्थानों पर यथा प्रचलन विविध संबोधनों का उपयोग किया जाता है। हिंदी और संस्कृत में किंपुरूष, किन्नर, तृतीय प्रकृति, जनका। उर्दू में नामर्द। तेलुगू में नपुंस्कुंडु, कोज्जा। कन्नड़ में जोगप्पा। मराठी में छक्का। अंग्रेजी में युनक, ट्रांसजेंडर, थर्डजेंडर आदि। किन्नर या हिजड़ा से अभिप्राय उन लोगों से है जिनके जननांग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। मुख्यधारा के समाज में बहिष्कृत, घृणा, तिरस्कार आदि सहने को अभिशप्त इस श्रेणी को समाज में वंचना का शिकार होना पड़ता है। 2011 की जनगणना में 'अन्य' की श्रेणी में रखकर इनकी गणना की गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 4.9 लाख हिजड़ा पूरे देश में हैं।

Political Democracy vs. Economic Inequality

Monika Kispotta — Asst. Prof. (Adhoc)
Anushka Dabli — B.A 3rd Sem.
Dr. Rajbhanu Patel — Asst. Prof
Guru Ghasidas Central University, Bilaspur

Studies of the relationship between political democracy and economic inequality have produced diverse findings. This study attempts to mitigate some conceptual and methodological problems inherent in such studies by using multi-indicator concepts of inclusive democracy and economic inequality. Data from the five major historically and culturally homogeneous South Asian countries covering 1980-2003 suggest some bidirectional, positive relationship between inclusive democracy and economic inequality indicating that democracy and equality may not be fully compatible in this region. The paper offers contextual explanations

and some mechanisms that may have led to these findings for the region, somewhat deviating from the conventional arguments.

Keywords: Inclusive Democracy, Political and civil liberties, Democratic institutions, Economic Inequality, Panel data, South Asia

---

TYPE OF FAMILIES IN INDIAN SOCIETY AND ITS SOCIAL IMPACT

Chandra Prabha Jaiswal
Assistant Professor, Department of Education,
Dr. C. V. Raman University, Kota, Bilaspur

Dr. Parvati Yadav,
Assistant Professor, Department of Education,
Dr. C. V. Raman University, Kota, Bilaspur

ABSTRACT

As per Indian system and tradition family is divided in to two types –join family and nuclear family. Indian joint family is basically patriarchic type. There are wide range of inequality of social system of both type of families like parenting style and financial condition. Nuclear family lacks the properties of cooperation and respect for elders. As contrast of this child of joint family have all these properties. They all learn these properties from their family members. It is the known fact that the parenting style directly affect the children's emotion, thinking and behavior and all this ether directly or indirectly affect the social system .For the formation of a healthy society it is necessary that we take away our child from the tendency of inequalities like cast, gender and creed etc. It is also essential for continuity of our Indian society and traditions. The formation of healthy society is linked with our parenting style and its social impact on social system.

वैश्वीकरण के दौर में भारतीय संस्कशति में परिवर्तन

(कोरबा जिले के बालको नगर के विषेश संदर्भ में)

डॉ. विमला सिंह
सहायक प्राध्यापक (समाजषास्त्र)
श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, कोरबा (छ.ग.)

आज समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक स्तर में परिवर्तन तथा एक ओर व्यक्तिवादी मूल्यों को बढ़ावा मिला वही दूसरी ओर समानता, लोकतंत्र व लौकिकवाद तथा वैज्ञानिकता से संबंधित मूल्यों को भी बढ़ावा मिला। कानून के समक्ष समानता का सामाजिक मूल्य वैश्वीकरण की ही देन है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है, धर्म के आधार पर या जाति के नाम पर छुआछूत अनूचित है, स्त्रियों को पुरूषों के बराबर हक प्राप्त है। भारतीय समाज अथवा सभ्यता का इतिहास काफी प्राचीन है। समय–समय पर भारतीय समाज में अनेक उतार–चढ़ाव आये, लेकिन फिर भी इसका मौलिक स्वरूप सदा जीवित रहा।

Use of Social Media by Government of India to control Social Discrimination: A Study of Ministry of Social Justice and Empowerment

Bichitrananda Panda
Assistant Professor
Amity School of Communication
Amity University Chhattisgarh (AUC), Raipur

India is country with unity in diversity, due to diversity many times religion, caste, class, language etc. creates discrimination within the Indian society. In the era of digitalization all form of media including the social media is playing a key role to control the social discrimination. The Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India is the key ministry to ensure right to equality & social justice to every citizen of the country. The ministry and its different units are functioning to control the discrimination within the Indian society by using different mainstream media and social media. The ministry has its own Facebook page and Twitter handle to disseminate information among the various class of the society. The Twitter handle of the ministry has 31,913 followers and Facebook page has 43,164 followers as on 30/09/2018. The objective of the study is to analyze the content posted in social media by the ministry and its relevance to control the social discrimination.
Key Words: Social Media, Face book, Twitter, Social Justice, Social Discrimination

---

साक्षरता नहीं शिक्षा मिटाए भेदभाव

भरत प्रसाद गुप्ता (शोधार्थी)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. छ0ग0, बिलासपुर

शिक्षा व्यक्ति को मनुष्यता सिखाती है। शिक्षित व्यक्ति को उसके व्यवहार को देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है। शिक्षित व्यक्ति कभी भी एवं कहीं भी किसी प्रक्रार के दुर्व्यवहार को न तो स्वयं बर्दाश्त करता है और ना ही किसी दूसरे के उपर हो रहे दुर्व्यवहार को देखकर चुप बैठता है। इन सब के बावजूद आज लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेकर अशिक्षितों जैसा व्यवहार करने से भी बाज नही आते हैं क्योंकि लोग आज शिक्षा नही लेकर सिर्फ उपाधियां ले रहे हैं। जहां एक अनपढ़ व्यक्ति में शालिनता एवं समझदारी देखने को मिल जाती है जबकि किसी बड़े साक्षर व्यक्ति में यह दृश्यमान नही होता है। एक पुरानी छत्तीसगढ़ी कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती नजर आ रही है–"पढ़े लेकिन गढ़े नही।" और आज कहीं न कहीं इन्ही लोगों के कारण सामाजिक भेदभाव को और बढ़ावा मिल रहा है। वहीं आज समाज मे एक और भेदभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता नजर आता है अंग्रेजी के नाम पर आधुनिक होना अर्थात् जिसे अंग्रेजी नहीं आती वह बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसी सोच लोगों की होती जा रही है। इसी कारण आज समाज में अंग्रेजी जानने वाले और नहीं जानने वाले यह दो वर्ग नजर आने लगा है। प्रस्तुत विषय समाज के इन्ही विसंगतियों के अध्ययन एवं विश्लेषण पर आधारित है।

सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन में षिक्षा की भूमिका : भारत के संदर्भ में

गीता होता,
चैतन्य महाविद्यालय, पामगढ़

सामाजिक भेदभाव का स्वरूप व्यापक है, समाज में ऐसे कई पहलू है, जो सामाजिक भेदभाव का मूल आधार है जैसे– जाति, लिंग, वर्ग, सम्प्रदाय, धर्म, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं अन्य भारत में जाति–भेद किस प्रकार विकसित हुआ, यह प्रष्न बहुत जटिल व विवादग्रस्त है प्रचीन समय में भारत में केवल दो वर्ग थे, आर्य और दास, आर्यो ने विजेता के रूप में भारत में प्रवेष किया था और यहां के पूर्ववर्ती निवासियों को जीतकर अपना दास बना लिया था। आर्यों के प्रवेश के पूर्व सिंधुघाटी की उन्नत सभ्यता विद्यमान थी। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक वर्ग भेद का आधार आर्थिक ही माना है उनके अनुसार प्रत्येक समाज में दो वर्ग होते हैं संपन्न वर्ग और किसान–मजदूर वर्ग पर इस मत पर मुख्य आक्षेप यह किया जाता है कि मध्य श्रेणी के रूप में एक अन्य वर्ग की भी सत्ता है, जिसकी संख्या और महत्व में निरन्तर वशद्धि हो रही है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का कारण जरूर होता है विभिन्न समूहों के लोग अपने समूहों के सीमाओं से परे भी सामानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं।

सामाजिक भेदभाव का मूल कारण शिक्षा है मानव जीवन के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की भूमिका अपरिहार्य है मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधायें, शिक्षा के अभाव के कारण है। शिक्षा के अभाव में मनुष्यों के गुणों, शक्तियों व क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता, इसलिये शिक्षा का प्रसार करना राज्य का एक आवष्यक कार्य है। सिनेमा एवं रेडियों आदि भी जनता में ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। समाज में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर में एक बड़ा परिवर्तन होने के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों व स्तरों पर सामाजिक भेदभाव में लगातार वृद्धि हो रही है, जो भारत देश की एकता व अखण्डता के लिए गंभीर समस्या है यह चिंतनीय एवं विचारणीय भी है, जिसका उन्मूलन शिक्षा रूपी हथियार से ही संभव है।

SOCIAL DISCRIMINATION AND POSSIBILITIES OF REDUCING DISCRIMINATION

MANJARY SHARMA
ASSISTANT PROFESSOR
PSYCHOLOGY DEPARTMENT
GOVT. BILASA GIRLS (AUTONOMOUS)
P.G. COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

In human societies discrimination is treatment of making a distinction towards, a man in light of the groups, class to which the individual belong. These involve age, color, disability, ethnicity, family status, race, sex etc.

We have seen that social categorization is an essential part of human nature and one that encourages us to Simplify our social universes, to draw fast (if conceivably incorrect) decisions about others, and to like ourselves. Much of the time, our inclinations for in groups might be moderately

innocuous – we may like to associate with individuals who share our race or ethnicity for instance, however without especially hating the others. Be that as is may, classifying others may likewise prompt prejudice and discrimination, and it might even do as such without our awareness. Since prejudice and discrimination are so hurtful to such a significant number of individuals, we should all work to get beyond them.

Education is one variable that makes us less prejudiced. Individuals who are more educated express fewer stereotypes and prejudice all in all. Impacts of education on decreasing prejudice are presumably due in extensive part to the new social norms that individuals are acquainted with in school and college. Social standards characterize what is suitable and unseemly, and we can adequately change stereotypes and prejudice by changing the significant standards about them.

Another reason that individuals may hold stereotypes and prejudice (Social discrimination) is that they see the individuals of out groups as different in relation to them.

As this study concluded, taking steps to reduce prejudice is everyone's duty-having a little courage can go a long way in this regard.

मूल्य शिक्षा में डॉ० राधाकृष्णन के चिंतन की उपादेयता

किशन कुमार रात्रे
सहा. प्राध्यापक
राधा कृष्ण शिक्षा समिति नवागढ़ जांजगीर

सत्य नारायण यादव
सहा. प्राध्यापक
राधा कृष्ण शिक्षा समिति नवागढ़ जांजगीर

आज भारतीय समाज शिक्षा के क्षेत्र में जिन समस्याओं से जूझ रहा है। डॉ0 राधाकृष्णन ने उसका अनुमान वर्षों पूर्व लगाया था और अपनी दार्शनिक विवेचनाओं द्वारा तात्कालिक शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त कमियों को उजागर करने के साथ–साथ भविष्य में हमें जिन कठिनाईयों से जूझना होगा। उसके समाधान के हेतु व्यवहारिक उपाय भी प्रस्तुत किये थे। समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया औद्योगिकीकरण के विस्तार तथा विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान का विश्लेषण के बीच मानव जीवन का अंतर्मन जिस नीरसता में डूब जाएगा,उसे वह भलीभाँति जानते थे। इसी कारण उन्होंने अपनी दार्शनिक विवेचनाओं में आदर्श चरित्र, नैतिकता, मानवीयता तथा आध्यात्मिकता को सर्वोपरि रखा। हमें अवश्य ही उनके शिक्षा चिंतन से दिशा–निर्देश प्राप्त कनने चाहिए। उनके विचार सर्वकालिक एवं व्यवहारिक है।

शिक्षा के महत्व से आज विश्व परिचित है। देश के जन–जन में शिक्षा का प्रचार प्रसार है। इसके लिए विश्व का प्रत्येक राष्ट्र ही नहीं भारत भी प्रयत्नशील हैं, उसने इस दिशा में बड़े व्यापक प्रयास कर सकारात्मक परिणाम हासिल किए है। शिक्षा की सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुँच सका है। लेकिन इस तेज गति से की गई भागम भाग में बहुत सी चीजें हमारे हाथ से फिसली भी गई है और हम लम्बी दूरी तय करके भी अपने को ठगा सा महसूस कर रहे है। यह हास है हमारे बालक–बालिकाओं व अध्यापक – अध्यापिकाओं के नैतिक मूल्यों का। शिक्षा के प्रचार–प्रसार के बीच हमारी व्यवस्थाओं ने तमाम ऐसे समझौते किए है, जिनके परिणाम सुखद नहीं है। आम समस्या मुख्यतः दो स्तरों पर है, प्रथम शिक्षक वर्ग तथा द्वितीय विद्यार्थी वर्ग के लिए।

सामाजिक भेदभाव को दूर करने में समाज सुधारक स्वामी विवेकानन्द जी का योगदान

सहनू राम महेन्द्र
शोधार्थी
डॉ. सी.व्ही. रामन विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. सुधीर सिंह
सहायक प्राध्यापक
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

किसी भी समाज में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। वे विभिन्न धर्म, जाति, रंग, लिंग और विभिन्न विश्वासों को मानने वाले हो सकते हैं और उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे समाज से सामंजस्य बिठाएँ और बिना किसी भेदभाव के साथ रहें। आदर्श स्थिति तो तब मानी जाएगी जब समाज के सभी वर्गों में बराबरी, आजादी और भाईचारा हो। हालाँकि, पूरी दुनिया का मानव समाज यह दिखाता है कि कई तरह के शोषणकारी कृत्य हर जगह व्याप्त है, यह शोषणकारी सोच समाज में मानव की सर्वोच्च सत्ता और शक्ति की लालच में जन्म लेती है। जैसे तथाकथित उच्च वर्ग के लोग तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करेंगे। श्वेत अश्वेतों का शोषण करेगें। पुरुष महिलाओं का शोषण करेगें। एक धर्म को मानने वाला दूसरे धर्म को कमजोर या गलत बताता है और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है आदि। स्वामी विवेकानन्द एक ऐसी शख्सीयत थे जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने में अपना सारा जीवन लगा दिया। वे एक समाज सुधारक ही नहीं बल्कि बड़े वक्ता भी थे। जिन्होंने सिर्फ भारत ही नही अमेरिका और अन्य देषों को भी प्रभावित किया। जब समाज और लोगों का अध्यात्म के साथ आपस में तालमेल कराया जाता है तो यह तथ्य हमेशा से सामने आता है कि जितने भी विद्वान चाहें वो अध्यात्म जगत के हों या सामाजिक जगत के, इसी आपसी सामंजस्य को वास्तविक धरा पर मिलाने वाले हुए वे हमेशा से असफल रहे हैं, क्योंकि दोनों की प्रकृति क्रमशः अलग–अलग है। इसी विचार क्रान्ति में जब हम स्वामी विवेकानन्द जी के विचारों से अवगत होते हैं तो पाते हैं कि स्वामी विवेकानन्द जी ने न केवल अध्यात्म व राजनीतिक तथ्यों को एक सुविस्तृत रूप में हम सभी के सामने मौलिक रूप से प्रस्तुत किया, अपितु उन्होंने अध्यात्म व राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक एवं आर्थिक विचारों का बड़ा ही सुन्दर तालमेल बिछाकर उसे एक नया कलेवर देने का सफल प्रयास किया।

भारत में सामाजिक भेदभाव दुर करने में पंचायती राज व्यवस्था का योगदान

राजकुमार जायसवाल
शोधार्थी, वाणिज्य विभाग
पं.सुदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. छत्तीसगढ़, बिलासपुर

"समानता इंसान का अधिकार हो सकता है,मगर इस धरती पर कोई भी सरकार सबकों यह अधिकार दिलाने में कामयाब नही हो सकती।"

समाजिक भेदभाव केवल भारत में ही नही अपितु सम्पुर्ण विश्व में विभिन्न रूपों में विद्यमान है।सामाजिक भेदभाव मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ समान रूप से विद्यमान है।

सभ्यता के प्रारंभ में मनुष्य का ज्ञान ज्यादा विकसीत नही था, संचार के साधन ज्यादा सुलभ नही थे जिसके कारण विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं के लोग आपस में सम्पर्क में नही थें। जहॉ गरीबी, अशिक्षा ज्यादा थी वहॉ इसका प्रतिकुल प्रभाव अधिक था किन्तु जैसे–जैसे सभ्यता का विकास हुआ, लोकतंत्र स्थापित होने लगा, विज्ञान संचार, टेक्नालॉजी, औद्यौगिकीकरण बढ़ने लगा वैसे–वैसे समाज में सामाजिक भेदभाव कम होने लगी।आज समाज में सामाजिक भेदभाव वही ज्यादा पाये जाते है, जो समाज आर्थिक,सामाजिक विकास में पिछड़े हुये है तथा आर्थिक रूप से कमजोर है क्योकि जहॉ पर लोगो के पास रोजगार कम है उनके पास समय ज्यादा है और वे ऐसे समय का दुरूपयोग करते है और इसके परिणामस्वरूप समाज में जातिवाद जैसी कुरीतियॉ और भी मजबुत होती है।

भारत मे लोकतन्त्र की समीक्षा एवं सामाजिक भेदभाव

अभिनंदन कर्माकर
कार्यक्रम समन्वयक
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

लोकतन्त्र से तात्पर्य लोगो के द्वारा लोगो कों और लोगो के लिये चुनी गयी सरकार से हैं। लोकतान्त्रिक राष्ट्र में नागरिको को वोट देने और उनकी सरकार का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त होता हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतन्त्र हैं। मुगलों, मौर्यो, ब्रिटिश और अन्य कई शासको द्वारा शताब्दियों तक शासित होने के बाद भारत आखिरकार 1947 में आजादी के बाद एक लोकतान्त्रिक देश बन गया। इसके बाद देश के लोगो कों, जो कई सालो तक विदेशी शक्तियों के हाथो शोषित हुए, अंत में वोटो के द्वारा अपने स्वयं के मंत्रियों को चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में लोकतन्त्र केवल अपने नागरिको को वोट देने को अधिकार प्रदान करने तक सीमित नहीं हैं बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक समानता के प्रति भी काम कर रहा हैं।

'मॉब लिचिंग'

पूजा शर्मा
सहा. प्राध्यापक (इतिहास)
शा. नि. के. महाविद्यालय कोटा, जिला बिलासपुर

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतने लंबे वर्षो में हमने इसके स्वरूप में कई परिवर्तन देखे हैं क्योंकि यह अपने आप में जीवंत है और निरंतर अच्छे बुरे तत्वों को अपनाकर इसने स्वयं को सदैव अद्यतन किया है। इसी कड़ी में एक तत्व भीड़ द्वारा किसी स्थापित कानून या विधान से असहमत होकर अथवा किसी के प्रति सामूहिक घृणा के फलस्वरूप न्याय अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति है।

मॉब लिचिंग वस्तुतः भीड़ द्वारा अपने असंतोष को व्यक्त करने का एक अनुचित मार्ग है। जब कोई वर्ग व्यवस्था, किसी विधान से असहमत होता है तथा उससे मुक्ति पाने में असमर्थ होता है तब वह स्वयं में दिन–प्रतिदिन घृणा को समाहित करता जाता है। अफवाहों, भड़काऊ भाषणों और सोशल

मीडिया ने इसे वर्तमान में और अधिक त्वरित कर दिया है। राजनीतिक स्वार्थ, स्ववर्ग गौरवशाली अतीत की स्मृति, असहिष्णुता, रूढ़िवाद, अंधानुकार आदि की प्रवृत्ति इसके लिए जिम्मेदार कारणों में मानी जा सकती है।

मॉब लिचिंग एक खतरनाक स्थिति है इसे अपनाने का सबसे मुख्य कारण यह है कि इस अपराध के बाद किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती। इसका समाधान अत्यंत आवश्यक है चाहे वह सामाजिक समाधान हो या विधिक। जागरूकता और स्वविवेक के प्रयोग से इसे रोका जा सकता है।

भारत में लोकतंत्र की समीक्षा और सामाजिक भेदभाव

कु. धुति श्रीवास्तव
भातखण्डे संगीत महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

लोकतंत्र एक विशेष प्रकार की शासन प्रणाली ही नहीं वरन् एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था तथा नैतिक एवं मानसिक भावना का नाम भी है। लोकतंत्र जीवन का समग्र दर्शन है जिसकी व्यापक परिधि में मानव के सभी पहलू आ जाते है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना एक महान् क्रांतिकारी परिवर्तन था और ऐसी न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता भी जिसमें न्याय प्राप्ति तो हो ही, इस महान् क्रांति की रक्षा भी हो सके। भारतीय संविधान अपनी संरचना, सुदृढ़ता और लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण निश्चित ही सर्वोत्कृष्ट है। सामाजिक एकता और न्याय से ओत–प्रोत संविधान के निर्माणकर्ताओं, ने "सोशल वेलफेयर स्टेट" (सामाजिक कल्याणकारी राज्य) की स्थापना को बल दिया जिसकी मूल धारणा आय, पद और प्रतिष्ठा में असमानता को समाप्त करना हो, गैर बराबरी का निषेध।

'समानता' शब्द से तात्पर्य समान भावना से ही है जिस में किसी खास वर्ग को उत्कृष्ट ठहराना गलत है तथा बिना किसी भेदभाव के समान अवसरों को प्रदान करना है। हमारा संविधान भी यह स्वीकार करता है कि औपचारिक समानता के सख्त अनुपालन से ही वास्तवविक सामाजिक समानता की स्थापना और सामाजिक भेदभाव का दमन हो सकता है। गुणवत्ता, आवश्यकता, समानता, स्वतंत्रता, समान रूचियों आदि में न्यायसंगता को प्रारूप देने के बाद भी न्यायालयों के सामने समानता असमानता के बीच विभेद और न्याय को पहचानना एक बड़ी चुनौती है।

सामाजिक भेदभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी भाग में थी। सामाजिक भिन्नता या सामाजिक वर्गीकरण जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ और मनुष्य जब से बस्तियों में रहने लगा तब से समाज में स्थापित हैं इसका मुख्य कारण यह था कि शुरू में मुनष्य का ज्ञान उतना अधिक विकसित नहीं था। संचार के साधन ज्यादा सुलभ नहीं थे, जिससे विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं से लोग संपर्क में नहीं थे। जैसे–जैसे लोकतंत्र स्थापित होने लगा और विज्ञान संचार, टेक्नोलॉजी, औद्योगीकरण बढ़ने लगा वैसे–वैसे थोड़े परिवर्तन आने लगे। भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में यदि देखे तो समाज में आज भी सामाजिक भेदभाव व्याप्त है और यह कहना कोई अतिश्योक्ति न होगा कि जब तक मानव है सभ्यता है, यह आगे भी जारी रहेगा, बस उसका स्वरूप बदलेगा।

समाज में प्रदत्त अर्जित प्रस्थितियां एवं या समाजिक भेदभाव

श्रीमती विनय प्रभा मिंज
सहायक प्रध्यापक समाज शास्त्र
शा.निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा

समाजिक व्यवस्था में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है। जिन्हें पाने के लिये व्यक्ति को किसी तरह के प्रयत्न नही करने पड़ते कुछ परंपरा सामाजिक मूल्य तथा प्रथाओं के अनुसार व्यक्ति को कुछ विशेष परिस्थियां अपने आप मिल जाती है। उसे प्रदत्त परिस्थितियां कहते है। कुछ विशेष परिस्थिति के कारण समाज में भेदभाव होता है। जैविकीय आधार पर समझा जाता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक कमजोर, भावुक एवं अंधविश्वासी होती है एवं बच्चो के पालन पोषण तथा घरेलु कार्यो के कारण स्त्रियों को वे कार्य नही दिये जाते हैं जिसका संबंध शक्ति एवं साहस से होता है। इसमें पुरुषो का स्थान ऊंचा हो जाता है।

इसी कारण अधिकांश समाज में स्त्री पुरुष में भेदभाव की स्थिति आती है। जाति व्यवस्था में ब्राहमणो को सर्वोच्च अधिकार दिया जाता है। उनकी सामाजिक स्थिति उंची है। अन्य जातियों की निम्न है। इसी कारण जातिय व्यवस्था में भेदभाव पाया जाता है। जातिय भेदभाव सामाजिक भेदभाव उत्पन्न करतें है।

अर्जित परिस्थिति के कारण भी समाज में भेदभाव में वृद्धि हो रही है। आधुनिक युग में व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति का महत्वपूर्ण आधार उसके द्वारा एकत्र की गई सम्पत्ति की सीमा है। साधारणतः यह समझा जाता है कि जिन व्यक्तियों ने अधिक संपत्ति अर्जित की है। वे दूसरे लोगो की तुलना में अधिक साहसी परिश्रमी योग्य एवं कुशल होते है। यही कारण है कि निर्धन व्यक्ति की तुलना में औद्योगपति की समाजिक स्थिति काफी ऊंची होती है इसके कारण समाज में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है।

सामाजिक भेदभाव और सतनामी समाज

संजीव कुमार मांजरे
पीएचडी शोध छात्र
सेंटर फॉर स्टडीज इन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर

प्रस्तुत शोधपत्र छत्तीसगढ़ में निवासरत सतनामी समाज के विशेष सन्दर्भ में लिखा गया है। जिसमें सतनामियों के साथ विभिन्न रूपों में सामाजिक भेदभाव की घटनाएँ सामने आते रहती हैं। सामाजिक भेदभाव छुआछुत रूपी अमानवीय कुव्यवस्था का नया संस्करण है या यूँ कहा जाये कि यह नई तरह की छुआछुत है, तो इससे इनकार नही किया जा सकता है। जिससे छुटकारा पाने के लिए सदियों से छत्तीसगढ़ का सतनामी समाज भी इस कुव्यवस्था के खिलाफ अपने मान–सम्मान के लिए लड़ते रहे हैं, जो कि अनवरत जारी है, निश्चित ही शोषणकारी लोग बदले, उनके शोषण का तरीका बदला किन्तु शोषित समाज पर शोशकों के नजरिये नही बदले है। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज, भारतीय

सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखते हैं। जिसके कारण सतनामियों को ऐतिहासिकता से लेकर वर्तमान में भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, लिंग, मिडिया, राजनैतिक और प्रशासनिक, हर क्षेत्रों में सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता आ रहा है। सामाजिक–सांस्कृतिक सम्मान, शैक्षणिक और राजनैतिक अधिकार तो संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। किन्तु व्यवहारिक रूप से सभी अधिकारों को किनारा कर दिया जाता है। एससी/ एसटी अत्याचार निषेध कानून के बावजूद आज भी सतनामियों को मारा पीटा और प्रताड़ित किया जाता है। सतनामियों को संवैधानिक न्यायिक अधिकार तो मिल गया है किन्तु सामाजिक अधिकार नहीं मिल पाया है। जिसके चलते आये दिन सामाजिक अपमान का दर्द सहना पड़ता है, ऐसे में जनमानस सामाजिक प्रतिष्ठा कानून को भी ताकपर रख देती है जिसके चलते न्याय भी दिवास्वप्न प्रतीत होती है। शासन–प्रशासन को चाहिए कि संविधान प्रदत्त अधिकारों को सही से अमल में लाये, जिससे कोई किसी के मानवीय गरिमा को चोट न पहुंचा सके तथा जातिगत अपमानित होना न पड़े। जिससे प्रदेश में भाईचारा का माहौल लम्बे वक्त के लिए स्थायी रूप से निर्मित किया जा सके।

''औद्योगिकीकरण व सामाजिक असमानता' छत्तीसगढ़ के परिपेक्ष्य में

रत्नाकर पाण्डेय
शोधार्थी (वाणिज्य संकाय)
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

औद्योगिकीकरण सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है। जिसे विकास का परिचायक माना जाता है। इस लिए प्रत्येक देश व समाज अधिक से अधिक औद्योगिकीकरण पर जोर दे रहे है। विकाससील देशों में वहा की सरकार इस प्रक्रिया को तीव्रता से लागू भी कर रही है। जिससे उस क्षेत्र का समुचित विकास हो सकें। परन्तु यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल व ग्रामीण जन सख्या वाले राज्य में सामाजिक असमानता में वशद्धि ही की है। ''औद्योगिकीकरण व सामाजिक असमानता'' एक दूसरे का विरोधाभास लगता है। परन्तु तत्कालिक रूप से इस प्रदेश में यही सत्य है।

सामाजिक असमानता का अभिप्राय समाज के मानव समूहों में आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य एक ग्रामीण प्रधान राज्य है। यहा कि 78 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। राज्य बनने के पूर्व ही यह प्रदेश आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था। राज्य निर्माण के पश्चात सरकार द्वारा इस राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन व वितरण ने अवश्य राज्य के आय में वृद्धि की है जिससे उच्च व मध्यम वर्ग को लाभ हुआ है परन्तु समाज जिसकी जनसंख्या इस प्रदेश में लगभग 32 प्रतिशत है। तत्कालिक रूप से हानि उठा रहा है। सन् 2001 के बाद से सरकार की औद्यौगिक नीति से प्रदेश में अनेक उद्योगपति जैसे – जिंदल, अडानी आदि का पावर प्लांट, स्टील कारखाना सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा जैसे क्षेत्रों में स्थापित हुई है। प्रदेश में इन औद्यौगिकीकरण के परिणाम स्वरूप आदिवासी व ग्रामीण जन भूस्थापित हुए है। उद्योगपतियो के द्वारा इन्हें कम पुर्नवास, अशिक्षा, परंपरागत व्यवसायों का ह्रास, जल जंगल जमीन के उपयोग पर रोक आदि ने इन वर्गो के आर्थिक असमानता को अत्यधिक बढ़ाया है।

भारत में लोकतंत्र की समीक्षा एवं सामाजिक भेदभाव

कु.नोर्बेलता एक्का
शोधार्थी
डॉ.सी.व्ही.रमन विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर,छ.ग.

26 जनवरी सन् 1950 को हमारा देश सम्प्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया और हमारा संकल्प था एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, समतामूलक और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का जिसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार तथा सांविधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। अपने मूल अधिकारों की रक्षा और इनको नियंत्रित करने की विधियां भी संविधान में स्पष्ट है। किन्तु 68 वर्षों के बाद भी हमारा ध्यान गणतंत्र की स्थापना से लेकर आज तक "क्या पाया, क्या खोया " के लेखे–जोखे की तरफ खिंचने लगता है। समाजवादी मूल्यों से प्रभावित एक समतावादी समाज की परिकल्पना और उसे तैयार करने के लिए हमारे संकल्प सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तीनों स्तर पर अब तक पूर्णतः सफल नहीं रहे। उदाहरण के लिए, जब हमने समाज से जातिगत भेद–भाव को दूर करने का प्रयास किया तो उसे राजनैतिक पनाह मिल गई। नतीजा, दबे–कुचलों के बीच भी कई सामन्त फलने–फूलने लगे। कुछ शोषित शक्ति सम्पन्न तो जरूर हुए पर शोषित समाज वहीं का वहीं रहा। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि कल तक जो समाज उपेक्षित था, आज वो "वोट बैंक" बन गया। आज देष में राष्ट्रीय एकता, सर्व धर्म संभाव, संगठन और आपसी निष्पक्ष सहभागिता की जरूरत है ताकि लोग बिना सामाजिक भेदभाव सचमुच में संविधान के अन्तर्गत समानता एवं सन्तुलन के अहसास को जी सकें।

सोशल मीडिया से बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाएं

नरगिस बानो
गेस्ट फैकल्टी
जनसंचार विभाग
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग.

मॉब लिंचिंग आज कल अक्सर ये खबरें सुर्खियों का हिस्सा जरूर रहती है कि फलां जगह पर भीड़ ने एक व्यक्ति को पीट–पीट कर मार डाला। कभी गौरक्षा के नाम पर, तो कभी छेड़छाड, कभी चोरी, तो कभी धर्म के नाम पर, अक्सर किसी ना किसी वजहों से ये मॉब लिंचिंग के मामले सामने आते है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर है क्या ये मॉब लिंचिंग और कहां से आती है इतनी भीड़? इन्हें कौन इक्कठा करता है? हाल ही में देश में ऐसे कई मामले सुर्खियों में रहे है जहां भीड़ के चलते कई लोगों की मौत हुई है। जिसके पीछे झूठी अफवाहों का हाथ रहा। इन अफवाहों के चलते ही ये मॉब लिंचिंग की भीड़ कई लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। आखिर अचानक कैसे इतने सारे लोगों को एक जगह होने वाली घटना का पता चल जाता है, और ये लोग उस पर उपद्रव मचाने वहां पहुंच

जाते है। एक रिसर्च के दौरान यह पाया गया कि यह एक समाज मनौविज्ञानक घटना है, जिसके लिए पहले लोगों को किसी विषय पर जबरदस्ती भड़काया और उकसाया जाता है और फिर उसके इस गुस्से का इस्तेमाल किया जाता है।

आज इस तरह के मारपीट के सभी मुद्दों पर सबसे ज्यादा मदद अगर किसी चीज से मिलती है, तो वो है सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से चंद दिनों और घंटों में ही लोगों को एक जगह पर इक्कठा किया जा सकता है। लोगों को धर्म के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर, मान–सम्मान के नाम पर और देश भक्ति के नाम पर इस कदर भड़काया जाता है, कि वह इस मॉब लिंचिंग भीड़ का हिस्सा बन जाते है। डॉक्टरों के अलावा कुछ लोगों का भी यही मानना है कि ये समाज विज्ञान और मनोविज्ञान तक पैथोलॉजी के तौर पर अनियमित घटनाओं के रूप में सीमित है।

संकेत शब्दः– मॉब लीचिंग, भ्रामक खबर, निर्देशित, अंजाम, , सोशल मीडिया, पैथोलॉजी, मनोविज्ञान, उपद्रव,

---

सामाजिक भेदभाव पर संवैधानिक हस्तक्षेप एवं विधिक उपचार

डॉ. मोहन लाल पटेल
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा, बिलासपुर,छ.ग.

सामाजिक भेदभाव दो व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली मानसिक असमानता है। जोकि समाज में जाति, धर्म, लिंग, वंश, निवास स्थान, शिक्षा, पेशा, प्रजाति आदि के आधार पर की जाती है। सामाजिक भेदभाव अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। एक आदर्श समाज के लिए जन्म के आधार पर सामाजिक भेदभाव करना अन्याय है। इस दिशा में बहुत से सामाजिक आन्दोलनों और उल्लेखनीय समाज सुधारकों ने अपना सारा जीवन एकमात्र जन्म पर आधारित भेदभाव का उन्मूलन करने के लिए लगा दिया। भारतीय संविधान ने भी सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बहुत से प्रावधानों को संविधान में समावेश किया है। जैसे--भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को यह गारण्टी प्रदान करता है कि राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरूद्व विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 नागरिकों को लोक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है और अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अछूतपन के आधार पर किसी को अयोग्य ठहराना दण्डनीय होगा। भारतीय संविधान के निर्देशों को पूरा करने के लिए संसद ने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1976, अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम 1989, मैन्युअल सफाई कर्मचारी एवं उनके पुनर्वास के लिए कानून 2013, कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मातश्त्व लाभ अधिनियम 1961 आदि बहुत से कानून पारित किये हैं। किन्तु इस बुराई का समाज से पूरी तरह से उन्मूलन करने और हटाने में सबसे बड़ी समस्या इसके लिए आम सामाजिक स्वीकश्ति है और जब तक इसमें कोई बदलाव

नहीं होता, तब तक इसमें कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि कानून केवल शोषण से सुरक्षा प्रदान कर सकता है लेकिन ये तथाकथित ऊंची जाति वालों के व्यवहार में बदलाव नहीं ला सकता। केवल युवा और आधुनिक पीढ़ी से ही शायद बदलाव की एक उम्मीद है कि वो ही सही अर्थों में हमारे देश में सामाजिक न्याय ला सकेंगे।

श्रीनिवास की संस्कृतिकरण संबंधी प्रक्रिया

डॉ. अजरा कुरैशी
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र
शास.महामाया महावि. रतनपुर

डॉ.श्रद्धा दुबे
सहायक प्राध्यापक
अंग्रेजी
शास.महामाया महा वि.रतनपुर

डॉ. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण एक जाति को जातीय संस्करण में ऊँचा पद प्राप्त करने योग्य बनाता है । संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत केवल उच्च जाति के रीति रिवाजो और आदतों को ही नहीं बल्कि उनके विचारो, मूल्यों तथा आदर्शों को भी ग्रहण करना आता है । वंश समूह के क्षेत्र में संस्कृतिकरण वंश के महत्व पर जोर देता है और यही कारण है कि उच्च वंश के साथ समरसता स्थापित करना भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत आता है । संस्कृतिकरण जनजातियों की ऊपर की ओर गतिशीलता के रूप में देखा जाता है इस गतिशीलता के फलस्वरूप सामाजिक अथवा जातीय व्यवस्था में स्थिति या पद मूलक बदलाव होते है ।

एक जाति विशेष को संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में आदर्श मान लिया जाता है और जो जाति अथवा जनजाति आदर्श है उस आदर्श जाति के रीति रिवाज कर्मकान्ड, विचारधारा व जीवन पद्धति को अपनाने की कोशिश करती है, बहुधा यह आदर्श जाति द्विज जातियॉ अर्थात ब्राम्ह्ण, क्षत्रीय और वैश्य ही होती है जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इनमें ब्राम्ह्ण सर्व श्रेष्ठ है ।

Occupational change of Primitive Tribe: A Case Study among the Birhors of Purulia District, West Bengal

Ramendra Nath Kundu
Senior Research Fellow (UGC), Department of Anthropology
West Bengal State University, West Bengal

An observational as well as ethnographic study has been carried out among the Birhor community of Purulia, West Bengal. Different socio-economic data were collected as well as occupational practice was observed during investigation, it has been observed that traditionally they made rope from *chihor lota* a wild varity of fiber plant, which was collected from jungle of surrounding area. Contextual data shows that 28.2% individuals are belong to the agricultural labour and 12.5% are daily labour, but only 24.4% individuals practicing their traditional occupation. Few changes have also occurred in the stage of traditional occupation, regarding the use of raw material. Presently they use

the synthetic cord or string from the sacs of salt or manure as an alternating use of plants fiber or *chihor lota*. In the market machine made plastic rope is very popular than fiber made rope because of its long lasting. So, for the purpose of maintaining of their own tradition they try to change their traditional work They also have a challenge in case of the quality of rope for catching the market recognition, they trying to make well finished and strong rope manually from the synthetic cord or string of plastic.

Keywords: Tribe, Culture, Traditional Occupation, Technology, Ethnography

समाज में प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियाँ एवं सामाजिक भेदभाव

डॉ. अनामिका तिवारी

दिशा अत्रि

वैदिक युग के काल में महिलाओं का समाज में बहुत आदर सम्मान था। उन्हें सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक रुप से पुरुषों के समान माना जाता था। उन्हें विवाह, शिक्षा से संबंधित पहलुओं पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। पर समय बदलता गया और मध्यकालीन युग तक आते आते महिलाओं की दशा खराब होती गयी। मानव जाति के सृजन से लेकर विकास क्रम को चरमोत्कर्ष अवस्था तक पहुंचाने में महिलाओं की भूमिका पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक है। परिवार, समाज, राजनीति, प्रशासन आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं के पूर्ण योगदान के बावजूद उनकी स्थिति द्वितीय श्रेणी की हो जाती है। हमारे देश में अभी भी जन्म से लेकर मृत्यु तक हर स्तर पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। यह हमारे समाज की दोहरी मानसिकता ही है कि एक पक्ष हमारे धर्म और संस्कृति में स्त्री को देवी स्वरुपा मानकर पूजता है लेकिन वहीं उनके व्यक्तिगत जीवन में एक इंसान के रुप में दर्जा देने के सवाल पर कतराते रहते हैं। इसका प्रमाण है कि सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक में एजेण्डा 2030 के अंतर्गत 17 सतत् विकास लक्ष्यों को रख गया जिसमें भारत सहित 193 देशों ने स्वीकारा, महिला और पुरुष समाज के मूलाधार हैं। सुंदर और सुरक्षित समाज की वो नींव हैं जिस पर विकास रुपी इमारत बनाई जा सकती है।

SOCIAL DISCRIMINATION :- NATURE ,CAUSE, AND PREVENTION

Dolly Wallace
M.Ed. 3rd sem, Education department
GGV Bilaspur

Mahatma Gandhi was thrown out from the train in Africa because he was black in colour .This is direct discrimination related to colour.

An employer refuses to interview a candidate because he/she belongs to scheduled caste. This is direct discrimination in relations to caste.

A hospital hires only female nurses based on the assumption that women are more caring then men. This is direct discrimination relations to sex.

A housing society advertisement offers apartments on rent to married couples. This is prima facia of direct discrimination to marital status.

Discrimination is when some one is treated unfairly or differently because the person is one of a particular group. Today we still are facing lots of problem with discrimination. A person might be discriminated against because of their race, age ,sex, politics, sexual orientation, gender identity, religion look, criminal record, life style clothing disabilities and many other reasons. It can be direct discrimination, indirect discrimination, harrasement , boycott, segregation, discriminatory violence. As a county we are secular, diverse and multi-lingual. India is long for discrimination with lower castes since long. Social interaction have been restricted among people of different castes. Causes of social discrimination is due to poverty, illiteracy, lack of employment facilities, social customs beliefs and practices, social attitude, lack of awareness of women. Prevention of social discrimination only possible by spreading knowledge, education, advertisement and not but least motivating people to love other people and treat them like there own family.

''भारत में वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव''

एन.एस. एक्का
सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)
शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय छुरा, जिला गरियाबंद (छ.ग.)

वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन का मूलभूत आधार रहा है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसके आधार पर व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन संगठित हुआ है। प्राचीन वैदिक कालीन समाज में सामाजिक स्तरीकरण हेतु कार्यात्मक दृष्टि से समाज को ब्राहम्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र चार वर्णो में विभाजित किया गया। जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के अलग–अलग कर्त्तव्यों का निर्धारण किया गया। वर्ण शब्द की उत्पत्ति 'वृ' धातु से हुई है। जिसका अर्थ है–वरण या चुनाव करना। इस प्रकार व्यक्ति अपने कर्म व स्वभाव के आधार पर जिस व्यवसाय को चुनाव करता है वही वर्ण है। ऋग्वेद में वर्ण का अर्थ रंग अर्थात् काले व गोरे, आर्य व दास के लिए किया गया। कालांतर में भगवतगीता में वर्ण शब्द का प्रयोग गुण तथा कर्म के आधार पर बने चार वर्णो के लिए किया जाने लगा। ऋग्वेद के पुरूषसुक्त के अनुसार ब्राहम्ण की उत्पत्ति विराट पुरूष के मुख से, क्षत्रिय की भुजा से, वैश्य की उदर से तथा शुद्रो की पैरो से हुई है। उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों में उल्लेखित है कि विराट पुरूष ब्रह्मा ने प्रांरभ में ब्राम्हणों को मुख से जन्म दिया, चूंकि समाज का संचालन सुचारू रूप से नही चल रहा था, इसलिए विराट पुरूष ने भुजाओं से क्षत्रियों का, उदर से वैश्यों व पैरो से शुद्रो को जन्म दिया। इन वर्णो में सर्वप्रथम ब्राम्हण वर्ण का कार्य अध्ययन–अध्यापन, क्षत्रियों का कार्य शास्त्रधारण व शासन संचालन, वैश्य का कार्य कृषि तथा व्यापार के द्वारा उत्पादन करना तथा शुद्र का उक्त तीनों वर्णो की सेवा करना था।

यद्यपि आरंभ में वर्ण व्यवस्था से संपूर्ण समाज को लाभ मिलता रहा परन्तु जाति उपजाति में विभाजित होने से व्यवस्था में कठोर प्रतिबंध व सामाजिक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। कालांतर में इस स्थिति ने अस्पृश्यता को जन्म दिया, फलस्वरूप समाज के एक बड़े वर्ग शुद्रो को अपने विकास के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हो सके, साथ ही उन्हे जीविकोपार्जन हेतु अन्य वर्णो की सेवा करनी पड़ती थी। उच्च वर्ण के सदस्यों ने अपनी शक्ति का दुरूपयोग कर निम्न वर्ण के सदस्यों पर प्रतिबंध लगाया व उनका शोषण किया निम्न वर्ण को अपेक्षाकृत मानवीय अधिकारों से वंचित रखा

जाने लगा। उच्च वर्ण ने मिलकर शुद्रो को दबाना आरंभ किया, जिससे वे कभी भी अपना सिर उठा नहीं सके। समर्थ होने के बाद भी उन्हे धन संचय की अनुमति नहीं थी।

परिणाम यह हुआ कि एक वर्ण विशेष शोषण, अत्याचार, भेदभाव व अन्य ऐसी ही समस्याओं से वर्षो तक जुझता रहा है वस्तुतः वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण आधारशिला रहा है। क्योंकि इससे सामाजिक संघर्ष से छुटकारा, कार्यो की निश्चितता और कार्य करने की दक्षता में वृद्धि होती रही है परन्तु उच्च वर्ण के कतिपय सदस्यों द्वारा स्वार्थवश इसे दोषपूर्ण बना दिया गया फलस्वरूप भारतीय समाज का एक वर्ग लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव से ग्रसित रहा।

Social Inclusion and Economic Equality in India

*Reshamlal Pradhan & **Dr. Mordhwaj Tripathi
*Assistant Professor & Head, Department of Computer Science
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur
**Coordinator
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur

Rapid increase in economic growth has failed to achieve economic improvement in quality of life. The sole reason behind this economic inequality is non-income inequalities. Thus marginilization, lack of social support, and social protection are some of the prime reasons behind this in-equality. India is a populous county and constitutes of various class. Social inclusion is the process of improving the terms on which individuals and groups take part in society—improving the ability, opportunity, and dignity of those disadvantaged on the basis of their identity. Social inclusion empowers all members of society to take advantage of economic opportunities. The current article identifies four social inclusions adopted in independent India to bring in equality. First, recognising and nurturing cultural diversity, by the state not privileging the religion or language of the majority and by the state giving equal respect and opportunities to the religions and languages of the minorities. Second, by institutionalising political pluralism through a multi-party democracy and effective devolution of political power through real federalism and introducing a regime of nomination at macro and micro levels, wherever needed. Third, by abandoning centre-peripheral distinction. Four, by delegitimizing caste hierarchy.

Keywords: *Social inclusion, cultural diversity, political pluralism, caste hierarchy.*

सामाजिक भेदभाव को दूर करने में डॉ. अम्बेडकर का योगदान

लोक सिंह
सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र)
शासकीय महाविद्यालय मरवाही छ.ग.

डॉ. एम.पी.रोहणी
सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र)
शासकीय महाविद्यालय पेण्ड्रा छ.ग.

स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर, राष्ट्रीय नेता थे, जिन्हें सामाजिक भेदभाव, अपमान की जो यातनायें सहनी पडी थी जिनके कारण वे उसके विरूद्ध संघर्ष करने के लिए संकल्पित हो गए थे, डॉ. अम्बेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख विधि वेत्ता, समाज सुधारक थे । वे सामाजिक भेदभाव व विषमता का सामना करते रहे और अंत तक झुके नहीं। डॉ अम्बेडकर अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर अछूतों को नया जीवन

व सम्मान दिया। बचपन से ही वे लगातार छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का घोर अपमान सहते हुए, छुआछूत के विरूद्ध लोगों को संगठित कर सार्वजनिक कुंओं में पानी पीने व मंदिर में प्रवेश करने हेतु प्रेरित करने के साथ ही दलित वर्ग के लोगों में जाग्रति लाकर ऐसे लोंगों को प्रेरणा दी कि वे अपने बच्चों को पढाने के लिए स्कूल भेंजे उनका मानना था कि सामाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। डॉ अम्बेडकर जानते थे कि, जब तक वे अछूत समझे जाते रहेंगे समाज उन्हें उचित स्थान नहीं देगा और न ही इस अस्पृश्यता को मिटाया जा सकता जिसके कारण सामाज में भेदभाव हमेशा नजर आता रहेगा। संविधान निर्माता ने छुआछूत के विरूद्ध ही अभियान नहीं चलाया बल्कि सम्पूर्ण भारत में जातिवाद और वर्णभेद को समाप्त करना चाहते थे उनका बनाया संविधान अस्पृश्यता, जाति, वर्ग तथा विभेद विहीन सामाज की स्थापना करता है।

डॉ अम्बेडकर राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में महती भूमिका निभाते हुए जाति, वर्ण संकीर्णताओं को उजागर कर अपेक्षित वर्गों को सामाज से जोडने का प्रयास किया। राष्ट्र की जनता को चाहिए कि, डॉ. अम्बेडकर के विचारों को आत्मसात करते हुए जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र की उन्नति में सहयोग प्रदान करें जिससे राष्ट्र में एकता बनी रहे।

IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON YOUTH : A STUDY OF FACEBOOK

Archana Dewangan
B.A. (J. & M.C.) 3rd Semester
Amity School of Communication
Amity University Chhattisgarh

Communication is an integral part of human life. We cannot survive without communication in today's world which is strongly connected to media, after all media is a way of communication in itself. Today's youth is highly attracted towards social media, because everyone wants to stay updated about what is happening in other's life, in their surroundings and in the whole world, they want to know the latest information and share them with others. Social media are interactive computer-mediated technologies that facilitate the creation and sharing of information, ideas, career interests and other forms of expression via virtual communities and networks. Some common features of social media are: 1. User-generated content, such as text posts or comments, digital photos or videos and data generated through all online interactions. 2. Users can create service-specific profiles on the website or app. 3. Social media facilitate the development of online social networks by connecting a user's profile with other individuals or groups.

Some of the most popular social media websites are Facebook , Google+, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter, WeChat, and WhatsApp. These social media websites have more than 100,000,000 registered users. GeoCities was one of the earliest social networking websites, appearing in November 1994.

Facebook has various content and and public pages on various themes and it also includes society. Such pages and contents especially audio visual content which attracts the youth, has a major impact over the youngsters. It creates a social and cultural differentiation through such contents in their mind and hence they get psychologically affected by them and it results in commenting, sharing and encouraging such things.

Therefore it is emerging as a great problem and becomes a major point to think and research. So it became an impotant topic to present a research paper for me.

MOB LYNCHING : CONCEPT, CAUSES AND SOLUTION IN INDIA

PRASHANSA PANDEY
STUDENT (LL.M 2ND YEAR)
DR. C.V . RAMAN UNIVERSITY, BILASPUR ,(C.G)

There is a high rise in Mob Lynching in India. Which turns out to be a dangerous weapon for the social discrimination in india . Dividing United india to various groups and sub groups. Lynching is not defined under the Indian Legal System and there are no punishments in regards of lynching. The word lynch has been originated during the American Revolution by Charles Lynch. In India lynching was first reported in the Khairlanji Massacre, 2006. During the year 2017 we have been observing a total number of 8 cases where 5 cases happened recently in the month of June. Dealing with various causes few of which are highlighted are :

1) the lack of education in india ;

2) the absence of systematic judicial system to control mob in india .

3) and various political disturbances among indians.

Lynching is a serious crime and a punishable offence and it should be included under various offences given in the Indian Penal Code. For avoiding the mob lynching there is need of instant law to be made either included under Indian penal code or other laws should be framed. Awareness programs should be created so that the people are aware that lynching is a serious offence and not to take part in it. It is the duty of the Government to punish a criminal; a layman should not take law into his own hands. And also pay attention in keeping politics away from disturbing the integrity of the society. Government is responsible for keeping eye of the law and to maintain the integrity on the society.

Keywords: lynch, offences, punishments, victims, legal authority, cow vigilantism

---

ROLE OF SPORTS IN COMBATING SOCIAL DISCRIMINATION

PANKAJ KUMAR MISHRA.
M.P.Ed.
GURU GHASIDAS CENTRAL UNIVERSITY BILASPUR , (C.G)

Sport brings together millions of people, without contemplating upon their sex, colour, gender, age, nationality or religion. Nowadays sport is considered as an expression of people, an important means to defeat each form of racism and gender discrimination and has thus the potential to play an important role in creating an inclusive and sustainable society.Sports outreaches political matters, wars, and differences at least should do. In other words, engaging and participating in sports events can be an ideal platform to foster inclusion, through a mutual acceptance of diversity and respect while combating racism, discrimination and exclusion. However, the first form of discrimination takes place when the discipline becomes competitive since you would be forced to be relegated to a level that suits you, thus it is clearly a paradox. If we reflect on the message preached by Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic games, Furthermore, sport shouldn't be a massive show full of incorrect indoctrination where just a few people are entitled to take profit. In addition to that, that sport always mirrors more countries problems such as political divisions or ethical conflicts National discriminations are perceived in the sport's core, let us think about how sports celebrations allow each community to glorify itself through a strengthening of identity shared by participants and spectators. In conclusion, this phenomenon is essential to play a key role in the modern society because it has a fundamental function in social integration, moreover, it fosters the integration of minorities, respect for others, loyalty, integrity and other values that sometimes lacks in modern society. Thus in todays era sports is the binding bridge between the classes of people in the society . eradicating social discrimination .